खण्ड-202, अंक-3
सोमवार, 11 फाल्गुन, शक संवत् 1880
(2 मार्च, 1959 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 202 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २ मार्च, १९५९

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३४९

अक्षयवरसिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतज़ा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
ग़यूर अली खां, श्री
ग़रीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री

गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबलीशास्त्री ब्रह्मचारी,श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदत्त पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती

बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धोसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्रारिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक़ अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री

रामरतन प्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायक सिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री

हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्श सिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री लखमीसिंह ने शपथ ग्रहण की।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २ मार्च, १९५९

*१८—श्रीमती राजेन्द्रकुमारी (जिला बांदा)—[स्थगित किया गया।]

तारांकित प्रश्न

कृषि योग्य भूमि

*१—कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उसने इस बात की जांच करवाई है कि प्रदेश में इस समय कितनी भूमि ऐसी है जिसे कृषि के योग्य बनाया जा सकता है ? यदि हां, तो उसका क्षेत्रफल कितना है तथा उसे खेती योग्य बनाने में कितने खर्च का अनुमान है ?

सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—जी हां। Season and Crop Report, 1956—57 के अनुसार ऐसी भूमि ४३,६१,१२७ एकड़ के उसे खेती के योग्य बनाने में ६० रुपया से १५० रुपया प्रति एकड़ के व्यय का (भूमि के दशा के अनुसार) अनुमान है।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह भूमि किन-किन जिलों में है ?

श्री मोहनलाल गौतम—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह भूमि कब तक कृषि के योग्य बना दी जायेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम—जिस जिस हद तक यह सदन मुझे रुपया देता जायेगा, मैं भूमि को कृषि के योग्य बनाने का प्रयत्न करता जाऊंगा।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये सरकार के पास क्या स्कीम विचाराधीन है ?

श्री मोहनलाल गौतम—स्कीम तो काफी है। इस पर रिसर्च भी हो रही है। लेकिन इसमें धन का ही अभाव मुख्य है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जितनी भूमि उन्होंने बताई है, उसमें से कितनी कृषि योग्य अब तक बन चुकी है ?

श्री मोहनलाल गौतम—मैं इस वक्त यह नहीं कह सकता। इस रिपोर्ट में सब आंकड़े दिये हुये हैं। उसको माननीय सदस्य देख लें।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—इसमें जो भूमि की संख्या दी है, उसमें ऊसर भूमि भी सम्मिलित है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जहां तक खयाल है, ऊसर सम्मिलित नहीं है ।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या मंत्री जी इस पर विचार कर रहे हैं कि इस भूमि को ऐसे लोगों को दिया जाय जो अपने खर्चे से इसका रिक्लेमेशन कर लें, कृषि के योग्य बनालें ?

श्री मोहनलाल गौतम—जो सवाल था उससे यह प्रश्न कहीं अधिक विस्तृत है ।

*२-३—कुंवर श्रीपाल सिंह—[१६ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

जूट की पैदावार

*४—श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५७-५८ के वित्तीय वर्ष में प्रदेश में जूट पैदा करने का कितना लक्ष्य था ?

श्री मोहनलाल गौतम—४,६२,००० मन ।

*५—श्री गनेशीलाल चौधरी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त वर्ष में प्रदेश में कितना जूट पैदा किया गया ?

श्री मोहनलाल गौतम—६,१३,८४५ मन ।

*६—श्री गनेशीलाल चौधरी—प्रदेश में प्रतिवर्ष औसतन कितने जूट की आवश्यकता पड़ती है ?

श्री मोहनलाल गौतम—६,७०,००० मन ।

श्री गनेशीलाल चौधरी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह लक्ष्य से जो अधिक जूट पैदा हुआ है वह इन्टेन्सिव कल्टीवेशन के कारण हुआ है या उस का एकरेज बढ़ने के कारण हुआ है ?

श्री मोहनलाल गौतम—इस में दोनों ही चीजें शामिल हैं ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जितनी जूट की आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिये सरकार और अधिक जूट का एकरेज बढ़ाने का विचार रखती है ?

श्री मोहनलाल गौतम—हमारा लक्ष्य तो प्रदेश को जूट में सेल्फसपोर्टिंग बनाने का है लेकिन उस में कुछ दूसरे फैक्टर्स भी आ जाते हैं ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन जिलों में जूट उत्पादन के लिये प्रोत्साहन देने की सरकार की योजना चल रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम—इस के लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने सन् १९५८-५९ के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित किये हैं ? यदि हां, तो कितने ?

श्री मोहनलाल गौतम—सन् १९५८-५९ के आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं ।

सगड़ी तहसील में बीज वितरण

*७—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान रबी आन्दोलन के समय में आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में किन-किन सरकारी बीज गोदामों और किन-किन सहकारी बीज गोदामों से कितना-कितना गल्ला किसानों को बोने के लिये दिया गया ?

श्री मोहनलाल गौतम—वर्तमान रबी आन्दोलन के समय में आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के ४ सरकारी तथा ५ सहकारी बीज गोदामों से किसानों को बोने के लिये दिये गये गल्ले का विवरण निम्नलिखित है :—

सरकारी बीज गोदाम

बीज भंडार का नाम				मन	सेर	छंटाक
१—जौनपुर	..	..	..	१६४३	२०	८
२—बिलरियागंज	..	..	..	७६३	२०	४
३—भगवानपुर	..	..	..	७१०	३५	८
४—गोसाई की बाजार	..	..	..	६७७	३१	०
		योग	..	३७९५	२७	४

सहकारी बीज गोदाम

१—अन्जान शहीद	..	..	..	७७७	१८	०
२—बड़ा गांव	..	..	..	७४५	१४	०
३—महाराजगंज	..	..	..	१२७४	२७	०
४—कप्तानगंज	..	..	..	५९८	२२	८
५—कंधरापुर	..	..	..	७८२	३९	०
		योग	..	४,१७९	०	८

*८—**श्री मुक्तिनाथ राय**—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त जिले की सगड़ी तहसील में समस्त बीज गोदामों से कितना गल्ला सवाई पर और कितना गल्ला नकद मूल्य पर किसानों को दिया गया ?

श्री मोहनलाल गौतम—७,५४४ मन २७ सेर १२ छंटाक गल्ला सवाई पर और ४३० मन गल्ला नकद मूल्य पर किसानों को दिया गया ।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या कृषि मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो गल्ला सरकारी बीज भंडारों से सवाई पर दिया गया है वह वही गल्ला है जो बीज के लिये आमतौर पर दिया जाता है या रबी आन्दोलन के समय कोई अतिरिक्त गल्ला बीज भंडारों को दिया गया था ?

श्री मोहनलाल गौतम—जो गल्ला बीज भंडारों से दिया जाता है वही सवाई पर दिया गया है और जो गल्ला कि नकद कीमत लेकर दिया गया है वह वही है जो बाहर से आया है और चूंकि इतना भंडारों में नहीं था ।

श्री मुक्तिनाथ राय—मैं यह जानना चाहता था कि एक तो वह गल्ला होता है जो बीज भंडारों से हर साल दिया जाता है लेकिन यह जो रबी आन्दोलन के सिलसिले में दिया गया है उसके लिये क्या कोई अतिरिक्त कोटा बीज भंडारों को दिया गया था ?

श्री मोहनलाल गौतम—जैसा मैंने कहा ७,५४४ मन, २७ सेर, १२ छटांक सवाई पर दिया गया है, यह वह गल्ला है जो उनके पास था और ४३० मन नकद दामों पर दिया गया है वह बाहर से लाकर दिया गया है वह कुछ दुकानदारों की मार्फत हो सकता है और कुछ बीज गोदामों में हो, उसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

गन्ने की खोई और शीरे से पशुओं का चारा बनाने का सुझाव

*९—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या गन्ने की खोई और शीरे के मिश्रण से बड़े पैमाने पर पशुओं का चारा बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री मोहनलाल गौतम—ऐसी कोई योजना सरकार के बिचाराधीन नहीं है ।

*१०—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार उस योजना की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम—प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार को यह मालूम हुआ है कि सरकारी अनुसंधानशाला के अधिकारियों की यह राय है कि खोई और शीरे के सम्मिश्रण से पशुओं के लिये पोषक चारा तैयार किया जा सकता है ? यदि हां, तो सरकार इस योजना पर क्यों विचार नहीं कर रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम—प्रश्न के पहले हिस्से का उत्तर जी हां, यह सही है, उन्होंने खोज की है और उन्होंने चारा बनाया, वह अच्छा है, अच्छा सब्सटीट्यूट है । लेकिन उसमें दो तीन दिक्कतें हैं । एक यह है कि चूंकि वह चारा मोइस्चर ऐबजार्ब करता है उसके रखने के लिये, स्टोर करने के लिये उचित जगह की व्यवस्था होनी चाहिये । दूसरे वह आग पकड़ता है, कम्बश्चन से आग लग जाती है । तो यह समस्याएं हैं ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी कुछ अपने प्रदेश की शुगर फैक्टरीज से ही इस बात का पता लगायेंगे कि जिन दिक्कतों का उन्होंने हवाला दिया है उनको किस प्रकार वह रफा करके खोई का उपयोग करते हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—जैसा कि मैंने कहा, चारा अच्छा है जो तैयार किया जाता है, लेकिन उसको स्टोर करने की जगह की कमी और आग लग जाने का खतरा, यही दिक्कतें हैं । चारे के लिये तो मैंने कहा कि वह ठीक है ।

श्री महीपाल—क्या माननीय मंत्री महोदय इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि जिससे कुछ प्रशिक्षण केन्द्र खोलकर किसानों को इसकी शिक्षा दी जा सके और किसान इससे लाभ उठा सकें ?

श्री मोहनलाल गौतम—इस प्रश्न पर विचार किया जा सकता है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार ने इस बात की जांच कराई है या अभी नहीं करायी है, अथवा आगे करायेगी कि जो दो कठिनाइयां उन्होंने बतलायीं आग और स्टोरिंग की, उनका मुकाबला मिल-मालिक कैसे करते हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—मुझे इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन उनके पास रखने के लिये जगह हो सकती है और वह कुछ इन्तजाम कर सकते हैं, क्योंकि वह एक संगठित और साधन-संपन्न संस्था है । इसको लार्ज स्केल पर करने के लिये जो कठिनाइयां हैं उसका मैंने जिक्र किया ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय कृषि मंत्री जी बतलायेंगे कि सरकार असंगठित और साधन-हीन संस्था है मिल-मालिकों के मुकाबले में ?

श्री अध्यक्ष—यह तो आप बहस कर रहे हैं । आप जो मानना चाहें वही मान लें ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार इस योजना पर विचार कर रही है कि मिलों की बगास बेल्स स्टार पेपर मिल्स को भेज दी जाय और जो कीमती लकड़ी १ आने फुट में देकर बरबाद की जा रही ह वह बचा ली जाय ?

श्री अध्यक्ष—यह केवल सुझाव है । आप शायद हवाई जहाज सप्लाई करें तो सरकार ऐसा करेगी ।

*११-१२—श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—[१६ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये] ।

आजमगढ़ जिले में बाग़ लगाने के लिए तक़ावी

*१३—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में १९५७-५८, १९५८-५९ में लोगों को बाग लगाने के लिये कितना धन ऋण एवं अनुदान के रूप में दिया गया ?

श्री मोहनलाल गौतम—१९५७-५८ में १०१ व्यक्तियों को ३०,००० रुपया तकावी ऋण दिया गया परन्तु कोई अनुदान नहीं दिया गया । १९५८-५९ में कोई ऋण अथवा अनुदान अभी तक नहीं दिया गया ।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या माननीय मंत्री जी बतान की कृपा करेंगे कि इसके लिये अनुदान की भी व्यवस्था है या नहीं ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी नहीं ।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि यह ऋण किस विभाग द्वारा दिया गया ?

श्री मोहनलाल गौतम—यह हार्टीकल्चर से संबंध रखता है, वही विभाग इसकी देखभाल करता है ।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में हार्टी-कल्चर एसोसियेशन बना हुआ है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री मोहनलाल गौतम—शायद माननीय सदस्य मेरी बात गलत समझ गये, मैंने एसोसियेशन की मार्फत नहीं कहा । हार्टीकल्चर डिपार्टमेंट इसको डील करता है ।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री जी ने इस बात की जांच करा ली है कि जिन व्यक्तियों को बाग लगाने के लिये ऋण दिया गया उन्होंने उसका प्रयोग बाग लगाने में ही किया ?

श्री मोहनलाल गौतम—मैंने यह हिदायतें दे दी हैं कि जो ऋण दिया गया है उसकी रिपोर्ट आ जाय । एक मौसम तो बाग लगाने का खत्म हो गया, दूसरा फरवरी में लगाने का था । इसकी भी रिपोर्ट आ जायगी और यह देखा जायगा कि जिनको जिस काम के लिये रुपया दिया गया है उसी के लिये वह इस्तेमाल हो ।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में बाग लगाने के लिये सब से बड़ा अनुदान किस को दिया गया है और वह कितनी रकम है ?

श्री मोहनलाल गौतम—यह सूचना मेरे पास इस समय नहीं है, लेकिन इतना निवेदन कर दूं कि १०१ आदमियों को ३०,००० रुपये दिये गये हैं जो औसतन प्रति व्यक्ति ३०० रुपये आता है । आमतौर से एक एकड़ से कम पर यह ऋण नहीं दिया जाता इसलिये अन्दाज यह है कि ३०० रुपये का औसत है ।

श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़)—जो ऋण दिया जाता है वह पुराने बागों के लिये भी दिया जाता है या केवल नये बागों के लिये ?

श्री मोहनलाल गौतम—दो योजनायें अलग-अलग हैं नये बाग लगाने की और रिजुबिनेशन की।

श्री प्रताप सिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बाग लगाने के लिये कर्जा दिया जाता है या अनुदान दिया जाता है ?

श्री मोहन लाल गौतम—इसका उत्तर मैं दे चुका हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी के पास इस बात की शिकायत आयी है कि आजमगढ़ जिले में सन् ५७–५८ में जिन लोगों को बाग लगाने के लिये ऋण दिया गया उनमें से अधिकांश लोगों ने बाग नहीं लगाया और पैसा ले लिया ?

श्री मोहन लाल गौतम—मैंने जैसा निवेदन किया कि यह हिदायतें दी जा चुकी हैं कि जो रुपया दिया गया है उसकी रिपोर्ट आ जाय कि वह बाग लगाने में खर्च हुआ या नहीं। अगर कोई शिकायत होगी तो मैं देख लूंगा। माननीय सदस्य के पास अगर कोई सूचना हो तो वे कृपा कर मुझे दें।

पशु प्रदर्शनियों में पुरस्कार

*१४—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या पशुपालन विभाग द्वारा आयोजित पशु प्रदर्शिनियों में पारितोषिक अब वस्तुओं के रूप में न देकर नेशनल सेविंग सार्टीफिकेट के रूप में दिया जाता है ?

श्री मोहन लाल गौतम—पशु पालन विभाग द्वारा आयोजित पशु प्रदर्शनियों में विजेता पशुओं के मालिकों को २५ रु० से कम का पुरस्कार नकद व वस्तु के रूप में दिया जाता है। २५ रु० से अधिक का पुरस्कार २५ प्रतिशत नकद व वस्तु के रूप में और शेष अल्प बचत योजना के अन्तर्गत "गिफ्ट कूपन" के रूप में दिया जाता है।

*१५—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उपर्युक्त विषय के संबंध में जिला अधिकारियों को आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो वह आदेश क्या हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां, जिला अधिकारियों को आदेश दिये गये हैं कि पशु पालन विभाग द्वारा आयोजित पशु प्रदर्शनियों में विजेता पशुओं के मालिकों को २५ रु० से कम का पुरस्कार नकद व वस्तु के रूप में और इससे अधिक का पुरस्कार २५ प्रतिशत नकद व वस्तु के रूप में और शेष "गिफ्ट कूपन" के रूप में दिया जाय।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करेंगे कि जिससे संपूर्ण पुरस्कार वस्त्र और नकद में दिया जा सके ताकि लोगों का उत्साह बढ़ता रहे ?

श्री मोहनलाल गौतम—मैं अभी यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि जो गिफ्ट कूपन्स दिये जाते हैं उनसे उत्साह कम होता है। इसलिये मैं इस पर बिचार करने की जरूरत महसूस नहीं करता हूं।

*१६—**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)—[राजस्व मत्री से संबंधित १ अप्रैल, १९५९ के लिये प्रश्न संख्या ९ के अन्तर्गति स्थानान्तरित किया गया।]

*१७–१८—**श्री उग्रसेन**—[१६ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

कुमायूं सहकारी सेमीनार की रिपोर्ट

*१९—**श्री प्रतापसिंह**—क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके पास २२, २३ दिसम्बर, १९५८ को जो कुमायूं सहकारी सेमीनार हुआ था उसकी रिपोर्ट आ गई है ? यदि हां, तो क्या उसकी प्रमुख सिफारिश को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहनलाल गौतम—इस सेमीनार की रिपोर्ट निबन्धक सहकारी समितियों के पास आ गई है जो उनके विचाराधीन हैं। जिन सिफारिशों पर शासन के आदेश की आवश्यकता होगी, उनके संबंध में निबन्धक सहकारी समितियां सरकार को संबोधित करेंगे। सेमीनार की सिफारिशों की प्रतिलिपि† प्रस्तुत है।

*२०—श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार उपरोक्त सुझावों को कार्यान्वित करने जा रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम—उपरोक्त परिस्थिति में इस समय सुझावों को सरकार द्वारा कार्यान्वित करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किस-किस जिले के अधिकारी आये थे और उन पर कितना खर्चा हुआ ?

श्री मोहन लाल गौतम—यह गोष्ठी कुमायूं डिवीजन की हुई थी और मेरा अनुमान है कि उसमें कुमायूं डिवीजन के ही आदमी आये थे। कितना खर्च हुआ इसके आंकड़े मेरे पास इस समय नहीं हैं।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उन प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव यह भी है कि जो सरकार ने ८ दिसम्बर को आदेश निकाला है कि गल्ले पर रोक लगा दी जाय और ६५ प्रतिशत गल्ला सरकार खरीदे। इसलिये यह प्रस्ताव आया है कि कुमायूं के पहाड़ियों के पास गल्ला नहीं पहुंच पा रहा है। लिहाजा इस आदेश को लागू न किया जाय ?

श्री मोहन लाल गौतम—यह रिपोर्ट १०-१२ पन्ने की माननीय सदस्य के सामने है उसको वह देख लें। अभी सरकार इस पोजीशन में नहीं है कि वह अपनी राय दे सके।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब निर्बन्धक कमेटी भेज देती है तो सरकार कितने दिनों बाद निर्णय लेती है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जल्द से जल्द।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कुमायूं डिवीजन में जो सेमिनार हुआ था वैसे ही सेमिनार सरकार प्रदेश के अन्य डिवीजनों में कर रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां, सब जगह करने के आदेश हैं।

*२१-२२—श्री छेदीलाल (जिला खीरी)—[१६ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

जालौन जिले में कण्ट्रोल्ड कोयले की दूकानें

*२३—श्री गरीबदास (जिला जालौन)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन में किन-किन स्थानों पर कितनी दूकानें कंट्रोल से कोयला बेचने वालों की चल रही हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—जिला जालौन में कुल ३ कंट्रोल पत्थर के कोयले की दुकानें हैं। ये दुकानें एक उरई, एक कोंच और एक कालपी कस्बे में स्थित हैं।

श्री गरीबदास—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जालौन में एक भी कोयले की दूकान न होने का क्या कारण है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इसका कारण यह है कि सारे जिलों का कोटा ४८ वैगन सालाना का है वह १·३ के हिसाब से पड़ता है। अगर वहां भी खोल दें तो उससे घट जायगा और अलाभकर हो जायगा और जो दूकानें चल रही हैं वह नहीं चल पायेंगी।

---

† छापी नहीं गई।

श्री गरीबदास---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिलाधीश द्वारा सिफारिश आई थी कि जालौन में दूकान बढ़ा दी जाय और जब तीन वैगन जालौन में जाते हैं तो उसको वितरण करने के लिये चौथी दुकान खोलने में क्या आपत्ति है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---मैंने बताया कि जालौन में खोलने की अवश्यकता बताई है मगर चूंकि जब तक स्टेट का कोटा नहीं बढ़ता है हम उस पोजीशन में नहीं हैं कि जालौन में और दुकान बढ़ा सकें। इसलिये जब कोटा बढ़ेगा तो इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री शिवप्रसाद नागर---यह ४८ वैगनों का कोटा कितने दिनों पीछे मिलता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---यह तो साल भर के लिये मैंने बताया है।

जालौन जिलान्तर्गत सहकारिता विभाग में परिगणित तथा पिछड़ी जाति के कर्मचारी

*२४---श्री गरीबदास---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला जालौन में कोआपरेटिव विभाग में किन-किन पदों पर कितने कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं और उनमें किन-किन पदों पर कितने-कितने कर्मचारी परिगणित एवं पिछड़ी जाति के हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---जिला जालौन में सहकारी विभाग में निम्नलिखित कर्मचारी काम कर रहे हैं:

१---जिला सहकारी अधिकारी	१
२---अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी	२
३---सहकारी निरीक्षक	७
४---चपरासी	७

उपरोक्त ७ चपरासियों में से ६ चपरासी पिछड़ी जाति के हैं। शेष कर्मचारियों में कोई भी परिगणित एवं पिछड़ी जाति का नहीं है।

श्री गरीबदास---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पूरे विभाग में केवल एक चपरासी परिगणित जाति का है। इसके अलावा कोई भी कर्मचारी नहीं है इसका कारण क्या है ?

श्री मोहनलाल गौतम---यह बाकी जो नियुक्तियां हैं वह पब्लिक सर्विस कमीशन से हुई हैं।

केन यूनियन घुघली का कथित ग़बन

*२५---श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५०-५१ में जो २,६०० रु० का गबन घुघली यूनियन (केन), जिला गोरखपुर में हुआ था उसके प्रति क्या कार्यवाही हो रही है तथा संबंधित कर्मचारी को उक्त कार्य के लिये क्या दन्ड दिया गया ?

श्री मोहनलाल गौतम---प्राप्त सूचनानुसार केन यूनियन घुघली, जिला गोरखपुर में सन् १९५०-५१ में कोई गबन नहीं हुआ था, अतः कर्मचारियों को गबन के आरोप में दन्ड देने का प्रश्न नहीं उठता।

तिलहर में भट्टों को कोयला

*२६---श्री बालकराम (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कसबा तिलहर, जिला शाहजहांपुर में कितने भट्टों को कोयला दिया जाता है और कितना-कितना ?

नोट---तारांकित प्रश्न २६ श्री देवनारायण भारतीय ने पूछा।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---ईंट के भट्ठों को जो कोयला दिया जाता है उसकी मात्रा कोई नियत नहीं है। भट्ठों में कोयले का वितरण जिले में उपलब्ध कोयले के छमाही कोटे के अनुसार होता है। कस्बा तिलहर, जिला शाहजहांपुर में ईंट के दो मान्यता प्राप्त भट्ठे हैं। इन भट्ठों को पिछले तीन वर्षों में तथा वर्तमान छमाही (जनवरी–जून, १९५९) में जो कोयले का कोटा दिया गया है उसकी तालिका संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २४५ पर)

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---तिलहर में कुल कितने भट्ठों को कोयला इस समय दिया जा रहा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---३ थे जिनमें से अब १ ही है। एक को तो जमीन ही नहीं मिली और एक में कुछ इरैग्यूलैरीटीज थीं। इसलिये उसे आजकल सस्पेंडेड कर दिया है।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार तिलहर जैसी बड़ी चुंगी के लिये एक भट्ठे को वहां की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये काफी समझती है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---काफी तो नहीं समझती, मगर जब स्थान और मिट्टी ही ईंटें बनाने के लिये न मिले तो सरकार क्या करे ?

सहकारी विभाग के सहायक सुपरवाइज़र

*२७---श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सेन्ट्रल जोन लखनऊ के सहायक रजिस्ट्रार सहकारी विभाग ने एक आदेश जारी किया है कि रेन्ज के समस्त सहायक सुपरवाइजरों को अलग कर दिया जावे ? यदि हां, तो इस प्रकार का आदेश जारी करने का क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल गौतम---जी नहीं। अतः प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर भी शून्य है।

श्री भीखालाल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अनट्रेन्ड असिस्टेंट सुपरवाइजर जो काफी दिनों से काम कर रहे हैं उनको अलहदा करने की योजना सरकार के बिचाराधीन है ?

श्री मोहनलाल गौतम---यह केवल लखनऊ रीजन के लिये नहीं है बल्कि सारे सूबे के लिये है और इसका उत्तर यह है कि जब काम शुरू होता है और ट्रेंड आदमी नहीं होते तो अनट्रेंड रख लिये जाते हैं। जब ट्रेंड आदमी आ जाते हैं तो अनट्रेंड की जगह ले लेते हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर---मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सेंट्रल जोन, लखनऊ के सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग ट्रेंड हैं या अनट्रेंड हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---यह ट्रेनिंग का सवाल सुपरवाइजर्स के लिये है। बाकियों की ट्रेनिंग का थोड़ा-सा इंतजाम है। पब्लिक सर्विस कमीशन उनको चुनता है। इंस्पेक्टर्स और असिस्टेंट रजिस्ट्रार को। उनकी कुछ ट्रेनिंग होती है। जहां तक हो सका है वह दी गयी है। डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन भी होते हैं।

*२८---श्री भूपकिशोर (जिला एटा)---[हटा दिया गया।]

*२९---श्री नरेन्द्रसिंह भन्डारी (जिला गढ़वाल)---[वित्त मंत्री से संबंधित ३ मार्च, १९५९ के लिये प्रश्न संख्या २५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

गढ़वाल जिले में सस्ते गल्ले की दुकानें

*३०—श्री नरेन्द्रसिंह भन्डारी—क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विगत ६ महीनों के अन्दर गढ़वाल जिले में कुल कितने सस्ते गल्ले की दुकानें और किन-किन स्थानों में खुली हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—विगत ६ महीनों (अगस्त, १९५८ से जनवरी, १९५९) के अन्दर जिला गढ़वाल में कुल ८२ सस्ते गल्ले की दुकानें खोली गईं। दुकानों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २४६ पर)

श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी—क्या खाद्य मंत्री को मालूम है कि गढ़वाल जिले के दूरस्थ इलाकों में जहां भीषण अभाव है वहां सस्ते गल्ले की दुकानें अभी नहीं खुली हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—वहां दो सौ से अधिक और तीन सौ से कम दुकानें हैं। वे कोने-कोने में खोल दी गयी हैं। ऐसा नहीं मालूम होता है कि वहां कोई कमी है।

श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी—क्या यह सही है कि गढ़वाल की जनता की ओर से जहां अधिकाधिक गेहूं और चावल की मांग की जाती है वहां इन सस्ते गल्ले की दुकानों में मोटा अनाज ही उन्हें अधिक मिलता है ?

श्री अध्यक्ष—यह पूरक प्रश्न नहीं है कि अनाज दुकानों पर किस किस्म का बिकता है। मूल प्रश्न दुकानों की कमी के बारे में है।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय खाद्य मंत्री जी को ज्ञात है कि जो दो सौ से अधिक दुकानें बतायीं उन पर ६ महीने से अनाज नहीं है, वह भेजवाने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—अनाज है। जिला अधिकारियों को, खास तौर से पहाड़ी इलाकों के, यह भी अधिकार दिया गया है कि जितनी आवश्यकता हो वह दुकानें खोल सकते हैं बगैर रेफरेंस किये हुए गवर्नमेंट को।

श्री प्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि जो अनाज पहले था वह नहीं बांटा गया इस वजह से कि वह सड़ गया था, इस वजह से जनता नहीं ले रही है और वहां अच्छा अनाज भेजवाने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—कोई चीज सड़ी नहीं है। वह फ्रेश और ताजी है।

श्री गेंदासिंह—दुकानों की संख्या बढ़ा देने के लिये भी जिला अधिकारियों को आदेश हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जी हां।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इन दुकानों में प्रति दिन कितने मन गल्ला बिकने का आदेश दिया गया है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह तो आम साधारण नियम है कि हर जगह २५ से ३० मन डेली का है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि अब भी पर्वतीय क्षेत्र में पन्द्रह से बीस मील तक जाना पड़ता है तब कहीं एक दुकान मिलती है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—हर स्थान पर ऐसा नहीं हो सकता। कहीं कहीं पर हो सकता है।

कृषि यंत्र बनाने वाले कारखानों को लोहा

*३१—**श्री त्रिलोकी सिंह** (जिला लखनऊ)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कृषि के औजार बनाने वाले कारखानों को लोहा प्राप्त करने की क्या सुविधा सरकार ने दी है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—लोहा तथा इस्पात का कोटा कृषि के औजार बनाने वाले कारखानों को कृषि तथा टैक्निकल कोआपरेशन मिशन से प्राप्त लोहे के कोटे से दिया जाता है। विभिन्न जिलों में सरकार द्वारा स्वीकृत कृषि के औजार बनाने वाले कारखाने अपनी लोहे तथा इस्पात की आवश्यकताओं को संबंधित जिलाधीशों से तथा विकास कमिश्नर की सिफारिश पर प्रान्तीय लोहा तथा इस्पात नियंत्रक द्वारा प्राप्त करते हैं। जिला नियोजन अधिकारी भी कृषि के औजार बनाने वाले कारखानों को लोहा तथा इस्पात अपने अधीन जिले के नियोजन कोटा और टी० सी० एम० कोटा से देते हैं किन्तु वास्तविक रूप से जो माल दिया जाता है वह उस विशेष माल की उपलब्धता पर निर्भर रहता है जो अपेक्षित है।

श्री प्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस कोटे में कमी की कोई शिकायत सरकार के पास आयी है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—कोटे की कमी तो है ही।

श्री प्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि की महत्ता को देखते हुए और नागपुर प्रस्ताव को देखते हुए इन औजारों को बढ़ाने के लिये सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—बराबर सेंट्रल गवर्नमेंट से लिखा-पढ़ी कर रहे हैं। लोहा हर तरह का कम आता है लेकिन अभी हाल ही में एक्स्ट्रा कोटा २ हजार टन का उन्होंने दिया है। बार-बार हम उनको लिखते हैं कि और बढ़ा दिया जाय।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी को यह विदित है कि कृषि के औजार बनाने वाले कारखानों को जो गर्डर और रेल का कोटा दिया जाता है उसका दुरुपयोग होता है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—चूंकि जिस किस्म का लोहा लोगों को आवश्यकता होती है वह उपलब्ध नहीं होता उस मात्रा में इसलिये वह खुद शायद मांग लेते हैं कि जो कुछ भी मिल जाय उसी से काम चला लें।

श्री प्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कब तक यह कमी दूर हो जायगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—ज्यों-ज्यों देश का उत्पादन बढ़ेगा लोहे का।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि के औजार बनाने के उद्योग अधिकतर सब कानपुर में ही खोले गए हैं या उत्तर प्रदेश के और जिलों में भी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—मेरी लिस्ट में तो सर्वत्र दिखाई दे रहे हैं, हर जिले में।

श्री प्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी संक्षेप में उन कारणों की ओर प्रकाश डालेंगे जिससे कि इस कमी को दूर करने के लिये प्राथमिकता नहीं दी जा रही है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—प्राथमिकता तो दी जा रही है मगर फिर भी कमी है।

पश्चिमी जिलों में सस्ते अनाज की दूकानें बढ़ाने की प्रार्थना

*३२—**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कुछ सस्ते गल्ले की दूकानें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खोलने का बिचार रखती है ? यदि हां, तो किस-किस जिले में और कितनी-कितनी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों के लिये पर्याप्त संख्या में दूकानों की स्वीकृति दी जा चुकी है । अतः इस संबंध में फिलहाल निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । खाद्यान्नों की उपलब्धता तथा सारे प्रदेश की स्थिति को देखते हुए यदि आवश्यकता समझी जायगी तो दूकानें बढ़ा दी जायंगी ।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी जिलों का भी डेपुटेशन प्रधान मंत्री और खाद्य मंत्री से दिल्ली में मिला इसको देखते हुए वह आवश्यकता समझते हैं या नहीं पश्चिमी जिलों के लिये ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—आवश्यकता समझी और यह फरवरी ही फरवरी में ८८ दूकानें और बढ़ाई गईं ।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह डेपुटेशन जब मिला उसके बाद कितनी दूकानें बढ़ाई गईं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—मैं कह तो रहा हूं कि यह फरवरी के आखीर में जाकर ८८ दूकानें बढ़ाई गईं उधर ।

श्री रामदास आर्य (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि पश्चिमी जिले पिछले ३ वर्षों से बाढ़-पीड़ित रहे हैं और वहां पर बहुत कम दूकानें खोली गई हैं ? इस आवश्यकता को देखते हुए ऐसे क्षेत्रों में वह तुरन्त दुकाने खोलने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—बाढ़-ग्रस्त जिलों के लिये हमने दूकानें हाल में ही खोलने के लिये कहा है । अगर और आवश्यकता समझी जायगी तो और भी बढ़ाई जायंगी ।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि पश्चिमी जिलों के सदस्यों की यह मांग थी कि पश्चिमी जिलों में अधिक अकाल है, अनाज की कमी के कारण वहां अधिक दूकानें खोली जायं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जी हां, यही वजह थी, जहां तक मुझे लिस्ट को देखने से मालूम होता है, मेरठ में ८८ दूकानों में से लगभग ४०, ४५ दुकानें खोली गईं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी इस पश्चिमी उत्तर जिलों में कानपुर जिले को भी शरीक करते हैं ? यदि हां, तो क्या वहां पर भी कुछ गल्ले की दुकानें खोलने का वह विचार कर रहे हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह पूर्व पश्चिम का सवाल नहीं है परन्तु जहां तक मालूम है नवम्बर में जहां कानपुर में १२० दुकानें थीं अब २७५ के करीब हो गई हैं । देहाती क्षेत्र में भी खोली गई हैं ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो अभी ८८ दूकानें खोली गईं उनमें कितनी शहरी क्षेत्र में और कितनी ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गईं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इस वक्त यह बताना मुश्किल है कि देहाती क्षेत्र में कितनी खोली गई हैं ।

*३३—**श्री वासुदेव दीक्षित** (जिला फतेहपुर)—[१६ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

*३४-३५—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—[१६ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३६-३७—श्री कल्याण चन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—[१६ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

मेरठ जिले में बीज और खाद का वितरण

*३८—श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि मेरठ जिले में रबी आन्दोलन में खास कर ब्लाक लौनी और मुरादनगर रजापुर में कितना बीज और खाद कोआपरेटिव तथा कृषि स्टोर द्वारा बांटा गया ?

श्री मोहन लाल गौतम—वांछित सूचना तालिका 'क' में संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २४७ पर)

*३९—**श्री तेजा सिंह**—क्या सरकार के पास ऐसी शिकायतें पहुंची हैं कि किसानों को बीज पूरी मात्रा में नहीं दिया गया और बहुत सी भूमि बीज न होने के कारण बिना बोआई के रह गई है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी नहीं, सरकार को यह सूचना मिली है कि जिला मेरठ में ऐसी कोई भूमि नहीं रही जो कि बीज न मिलने के कारण बोआई से रह गई हो ।

श्री तेजासिंह—क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि मुरादनगर परगने में सुरेना एक गांव है जिसकी १० हजार की आबादी है वहां पर बीज नहीं दिया गया हालांकि प्रधान की मार्फत २, २ रुपया वैरिफिकेशन के लिये हर एक फार्म पर वसूल किया गया ?

श्री मोहनलाल गौतम—इस वक्त कोई शिकायत मेरे सामने नहीं है ।

श्री तेजासिंह—क्या माननीय मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि लौनी ब्लाक कोआपरेटिव स्टोर से सिर्फ उनको बीज दिया गया जो कोआपरेटिव के मेम्बर थे और जो नहीं थे उनसे २० रुपया शेयर मनी २ रुपया दाखिले का और ५ रुपया सीड स्टोर बनाने के लिये वसूल किया गया ? यदि ऐसा है, तो क्यों ?

श्री मोहनलाल गौतम—यह जितना किया गया है उसमें अधिकांश ऐसा है जो नियम के अनुसार है । कोआपरेटिव सीड स्टोर से बीज उसी को मिलेगा जो मेम्बर होगा । २२ रुपया जो लिया गया वह मेम्बर बनाने की फीस और शेयर मनी है । अगर कोई शिकायत की बात हो तो माननीय सदस्य मुझे बतलायें मैं उसको देखूंगा ।

श्री तेजासिंह—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जब एम०एल० एज० की मीटिंग हुई थी उसमें कहा गया कि जो मेम्बर नहीं हैं और जिनसे रुपया नहीं लिया गया है उन नान-मेम्बरों को बीज दिया जायगा ?

श्री मोहनलाल गौतम—जो कहा गया एम०एल०एज० की मीटिंग में कि जिनसे रुपया नहीं लिया जायगा, दिया जाय तो ऐसा करना ठीक नहीं है । रुपया कितना वसूल किया जाय इस पर बात होना ठीक है । कायदे के अनुसार मेम्बर होना जरूरी है । नान-मेम्बरों को दूसरे तरीके से तकावी दी जा सकती है या उसी कीमत पर बीज दिया जा सकता है लेकिन सहकारी बीज स्टोर से मेम्बरों को ही बीज दिया जाना उचित है ।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या मंत्री जी को मालूम है कि लौनी ब्लाक के अन्तर्गत जो बीज गोदाम हैं उनके सम्बन्ध में उनको कोई शिकायत दी गई थी तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री मोहनलाल गौतम—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जो नकद दामों से बीज देने के लिये भेजा गया था वह नवम्बर में पहुंचा जब कि बोवाई का समय खत्म हो चुका था।

श्री मोहनलाल गौतम—यह बीज बाहर से मंगाया गया था और बड़ी मुश्किल से मिला था। हमको बहुत खुशामद करनी पड़ी थी पंजाब गवर्नमेंट की कि वह हमको बीज दें। इसके आने में कहीं कहीं अगर देर हुई हो तो हो सकता है, लेकिन अधिकांश बीज उसका समय पर आ गया था।

श्री हरी सिंह—क्या सहकारिता मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब वह मेरठ टूर पर गये थे तो किसानों और माननीय सदस्यों ने शिकायत की थी कि बीज न मिलने के कारण जमीन वैसी ही पड़ी रह गयी ?

श्री मोहनलाल गौतम—मैंने उसी वक्त अफसरान को हुक्म दे दिया था कि जहां भी जरूरत हो फौरन बीज दे दें और उन्होंने उसका पालन किया।

खरीफ अभियान में अधिकारियों के दौरे पर व्यय

*४०—**श्री राजेन्द्र सिंह** (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)—क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खरीफ आन्दोलन के सिलसिले में १ जनवरी, १९५८ ई० से ३१ जुलाई, १९५८ ई० तक कितना रुपया जिला हरदोई, लखीमपुर, सीतापुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर तथा फर्रुखाबाद में सरकारी अधिकारियों के दौरे पर पेट्रोल तथा टी० ए०, डी० ए० में व्यय हो चुका है ?

श्री मोहनलाल गौतम—खरीफ अभियान के लिये कोई अलग से सरकारी अधिकारियों के दौरे पर, पेट्रोल पर, तथा टी० ए०, डी० ए० पर नहीं खर्च किया गया। विभाग का जो सामान्य व्यय इन मदों पर होता है उसी में से यह खर्च भी किया गया है और सरकार ने इसके लिये अलग से कोई अनुदान नहीं दिया।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन अधिकारियों के दौरों में अगर कोई रकम खर्च नहीं हुई तो पेट्रोल कितना खर्च हुआ ?

श्री मोहनलाल गौतम—इसका अलग हिसाब नहीं रखा जाता है।

झांसी जिले में महरौनी तहसील के कृषि फार्म पर व्यय

*४१—**श्री भुवनेशभूषण शर्मा** (जिला इटावा) (अनुपस्थित)—दिनांक १२-१२-५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १३७ के उत्तर से सम्बन्धित क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस कृषि फार्म में कितने व्यक्ति काम करते हैं और प्रत्येक का माहवारी वेतन स्तर क्या है ?

श्री मोहन लाल गौतम—आवश्यक सूचना संलग्न सूची 'अ' में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २४८ पर)

*४२—**श्री भुवनेशभूषण शर्मा** (अनुपस्थित)—क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त कृषि फार्म कितने दिन से चलाया जा रहा है और हर साल कितनी पैदावार होती है और कितना व्यय ?

श्री मोहनलाल गौतम—यंत्रसज्जित सैदपुर फार्म नौ वर्षों से स्थापित है। प्रत्येक वर्ष की अन्न उत्पत्ति तथा उस पर किए गए व्यय का विवरण संलग्न सूची "ब" में दिया है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २४९ पर।)

नोट—तारांकित प्रश्न ४१-४३ राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे ने पूछे।

*४३--श्री भुवनेशभूषण शर्मा (अनुपस्थित)---क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि फार्म में कितने एकड़ भूमि है ?

श्री मोहनलाल गौतम---संदपुर फार्म का क्षेत्रफल २,०३३ एकड़ है ।

श्री गेंदा सिंह---इस फार्म में जो व्योरा दिया गया है उसमें क्या यह भी अंकित है कि वह घाटे मे चल रहा है या मुनाफे में चल रहा है ?

श्री मोहनलाल गौतम---डेयरी और कैटिल सेक्शन में ४९-५० को छोड़ कर लगातार घाटा है। एग्रीकल्चर सेक्शन में ४९-५० में ३,७११ रुपये का मुनाफा, ५०-५१ में १९,७०४ रुपये का मुनाफा, ५१-५२ में २३,७१३ रुपये का घाटा, ५२-५३ में २२,७०१ रुपये का घाटा, ५३-५४ में १५८ रुपये का मुनाफा, ५४-५५ में ८२७ रुपये का मुनाफा, ५५-५६ में १७,५१३ रुपये का घाटा, ५६-५७ में ५२,२५२ रुपये का मुनाफा, और ५७-५८ में ४,६३८ रुपये का घाटा हुआ है।

श्री गेंदा सिंह---५५-५६ में इतने घाटे का क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल गौतम--मैंने पहले भी सदन में एक बार निवेदन किया था कि मैंने डिप्टी डायरेक्टर आफ स्टेट मेकेनाइज्ड फार्म्स, एनीमल हसबेंड्री कमिश्नर और डायरेक्टर आफ एग्रीकल्चर की एक कमेटी बैठा रखी है यह देखने के लिये कि यह घाटा कैसे दूर किया जा सकता है। वह उस काम को कर रही है।

एटा जिले में रबी अभियान के अन्तर्गत सहायता

*४४--श्री गंगा प्रसाद वर्मा (जिला एटा) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हाल के रबी अभियान के सिलसिले में जिला एटा में किन-किन तहसीलों में कितना रुपया तकावा वितरण हुआ ?

श्री मोहनलाल गौतम---सूचना इस प्रकार है :

नाम तहसील	तकावी जो दी गई रु०
एटा	२,३०,५२७.४४
कासगंज	१,३७,४१३.९५
अलीगंज	१,६३,५३२.३७
जलेसर	७८.५२६.१९

*४५---श्री गगा प्रसाद वर्मा (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला एटा में वर्तमान अभियान में कितने केन्द्रों से सरकार की तरफ से कितने मन किस-किस किस्म का रबी का बीज वितरित किया गया ?

श्री मोहनलाल गौतम---४२ केन्द्रों से ८४,८१३ मन बीज वितरित किया गया। किस-किस किस्म का बीज वितरित किया गया यह सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ २५० पर)

*४६---श्री गंगाप्रसाद वर्मा (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त बीज के वितरण में सरकारी कर्मचारियों द्वारा रिश्वत लिये जाने की कितनी दरख्वास्तें एटा जिले मे प्राप्त हुईं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मोहनलाल गौतम---सूचना एकत्रित की जा रही है।

कटेहर-जालूपुर, सुल्तानीपुर परगनों में सस्ते अनाज की दुकानें

*४७—श्री लोकनाथ सिंह (जिला वाराणसी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि परगना कटेहर-जालूपुर व परगना सुल्तानीपुर जिला वाराणसी में कितने सस्ते गल्ले की दुकानें चल रही हैं और कहां-कहां ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जिला वाराणसी के परगना कटेहर-जालूपुर तथा सुलतानीपुर में सस्ते गल्ले की कुल १८ दुकानें हैं और उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ २५१ पर)

श्री लोकनाथ सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पूरे सुलतानीपुर परगने में केवल एक सस्ते गल्ले की दुकान क्यों है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—वहां एक की ही आवश्यकता समझी गयी है।

श्री लोकनाथ सिंह—क्या माननीय मंत्री जी वहां की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और सस्ते गल्ले की दूकाने बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—आवश्यकता हुई और वहां के जिलाधीश तथा वहां की खाद्य समिति के जो सदस्य हैं वे प्रस्ताव पास करेंगे तो जरूर विचार कर खोला जायेगा।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सुलतानीपुर परगने की आवश्यकता वहां के जिलाधीश को और वहां के सप्लाई अफसर को पहले बतलायी गई थी और उसके बावजूद भी दूकानें नहीं खुलीं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—बतायी नहीं गयी थी, अगर बतायी गयी होती तो अवश्य उस पर विचार हुआ होता।

श्री राजनारायण—क्या इस सरकार को मालूम है कि मैंने खुद लिखित उनको दिया है कि दूकानें और खुलनी चाहिये। फिर भी दूकानें नहीं खुलीं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जहां तक मेरी सूचना है, मुझे तो ऐसी शिकायत नहीं मिली।

श्री गेंदासिंह—किस ढंग से जिला अधिकारियों को बताया जाय, क्या इस पर रोशनी डालने की माननीय मंत्री जी मेहरबानी करेंगे ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जिस समय जिले में खाद्य समिति की बैठक होती हो उस समय आप वहां की परिस्थिति उनके सामने रखिये और बहुमत से सामने रखिये। यदि उस समय जिला अधिकारी न भी करें तो हम उस पर विचार करेंगे।

श्री गेंदा सिंह—खाद्य समितियां क्या सभी जिलों में बन गयी हैं और उनकी मीटिंगें बराबर हुआ करती हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—बन तो सब जगह गयी हैं लेकिन कहीं-कहीं बुलायी नहीं जाती हैं ऐसा मुझे मालूम हुआ है ? उसके लिये हमने हर जिले के सदस्यों से भेंट करना शुरू किया है और इसकी सूचना भेजी जा रही है कि माह में कम से कम एक बार खाद्य समिति की बैठक अवश्य बुलायी जाय।

श्री राजनारायण—क्या वाराणसी जिले में खाद्य समिति है और है तो उसके कौन-कौन सदस्य हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—उसमें सब एम० एल० एज० और एम० पीज० हैं और जो वहां के प्रमुख नागरिक होते हैं उनको जिलाधीश बुला लेते हैं।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को पता है कि आज तक किसी खाद्य समिति की बैठक में सम्मिलित होने का निमंत्रण पत्र मुझे नहीं मिला ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---आपको तो प्रान्तीय खाद्य समिति में बुलाया गया था और आप नहीं आये। शायद वहां भी न गये हों।

श्री राजनारायण---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चूंकि प्रान्तीय सरकार की दकियानूसी और जनहित विरोधी नीति के कारण मैंने सरकारी मीटिंग में जाने से इनकार कर दिया था इसीलिये जिलाधीश महोदय ने मुझे उस मीटिंग में नहीं बुलाया ?

श्री अध्यक्ष---मंत्री जी ने तो यह कहा कि शायद आप बुलाये गये हों और आप न गये हों।

श्री राजनारायण---क्या माननीय खाद्य मंत्री जी इस बात की जानकारी करायेंगे कि क्या मुझे कोई निमंत्रण-पत्र भेजा गया ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---अगर माननीय सदस्य मुझे लिख कर भेज देंगे कि मुझे नहीं बुलाया गया तो मैं पूछ लूंगा कि क्यों नहीं बुलाया गया।

श्री गेंदा सिंह---क्या माननीय खाद्य मंत्री जी बतलाने की मेहरबानी करेंगे कि किन-किन जिलों में अब तक खाद्य समितियां नहीं बुलाई गई हैं और वहां किस प्रकार कार्यवाही की गई ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---मैंने अभी बताया कि जब मुझे पता चला कि बहुत सी जगहों में खाद्य समितियों की बैठक नहीं बुलाई गई तो मैंने हर जिले के एम० एल० एज० से भेंट करके यह निश्चय किया और हर जगह के लिये सर्कुलर भेज रहा हूं कि जहां नहीं बुलाई गई हैं वहां बुलाई जायं।

श्री लोकनाथ सिंह---क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इतने प्रश्नों के बाद सुल्तानीपुर परगने में सस्ते गल्ले की दूकानों की आवश्यकता उन्होंने महसूस की या नहीं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---वह तो मैं आपके प्रश्न से ही आवश्यकता समझ गया था लेकिन इन प्रश्नों से तो महत्ता और कम हो गई है।

कृषि अधिकारियों के नाम विभागीय बकाया

*४८---**श्री रामस्वरूप वर्मा**---क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि १९५५-५६, १९५६-५७, १९५७-५८ में अलग-अलग कौन-कौन से प्रथम श्रेणी के कृषि अधिकारियों के नाम विभागीय डयूज किस-किस मात्रा में बकाया थे ? क्या उनकी नामावली मय डयूज के सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री मोहनलाल गौतम---सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या माननीय सहकारिता मंत्री जी बतायेंगे कि यह सूचना कब तक एकत्रित हो जायेगी और कब सदन की मेज पर रखी जायेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम---कोशिश की जायेगी कि जल्द से जल्द एकत्रित हो और सदन की मेज पर आ जाय।

इलाहाबाद में सस्ते अनाज की दूकानें

*४९---**श्री कल्याणचन्द मोहिले**---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश के किन-किन नगरों में सरकारी गल्ला बांटने के लिये कार्ड सिस्टम चलाया गया है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—राज्य के निम्नलिखित नगरों में सरकारी गल्ला बांटने के लिए पारिवारिक परिचय-पत्र (Family Identity Card) सिस्टम चलाया गया है :

(१) कानपुर	(२) इलाहाबाद	(३) वाराणसी
(४) आगरा	(५) लखनऊ	(६) मेरठ
(७) बरेली	(८) सहारनपुर	(९) रुड़की।

*५०—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद जिले में सरकारी गल्ले की दूकानें कितनी हैं और प्रत्येक दूकान पर कितने लोगों को कार्ड द्वारा गल्ला देने की व्यवस्था की गई है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इलाहाबाद जिले में सस्ते गल्ले की ९४ दूकानें हैं। नगर में खुली हुई प्रत्येक दूकान पर केवल ३,५०० यूनिट तक कार्ड द्वारा गल्ला देने का व्यवस्था कर दी गई है तथा सम्बन्धित जिलाधीशों को आवश्यकतानुसार दूकानों की संख्या बढ़ाने के आदेश भी दे दिये गये हैं।

*५१—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या यह सही है कि जो कार्ड अभी तक लोगों को दिये गये हैं वह केवल डेढ़ सौ रुपया मासिक आय वालों को दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जी हां, पहिले यह परिचय-पत्र केवल डेढ़ सौ रुपया तक की मासिक आय वालों का दिये गए थे परन्तु हाल ही में यह सुविधा २५० रु० तक मासिक आय वालों क लिये बढ़ा देने के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय खाद्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिले के लिये जितनी दूकानें बताई गई हैं उनमें कितनी दूकानें देहातों में और कितनी नगर में खोली गई हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जहां तक खयाल है इलाहाबाद शहर में ३,५०० यूनिट पर एक दूकान खुला है और इसी अनुपात में जनसंख्या के आधार पर दूकानों की संख्या होगा लेकिन दूकानों की कितनी संख्या है शहर में या बाहर इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ३,५०० यूनिट का जो नियम इलाहाबाद में लागू है वही नियम प्रत्येक शहर में लागू करेंगे ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जहां पर २५० रुपये की आमदनी से नीचे वालों को देने की व्यवस्था है, कवाल टाउन्स में, और सरकार पूरी जिम्मेदारी लेती है सारे लोगों को देने के लिये वहां पर करेंगे ही लेकिन अन्य नगरों में तो हम सिर्फ सब्सी डाइज करते हैं, वहां पर टोटल राशनिंग नहीं है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—२५० रुपये तक के कार्ड अभी तक क्यों नहीं बने ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जनवरी में यह कार्य प्रारम्भ किया गया और म्युनिसिपैलिटीज और स्कूलों का स्टाफ कर रहा है, मेरा ख्याल है कि अब तक तो बन गये होंगे।

श्री शिवप्रसाद नागर—जिन नगरों में सस्ते गल्ले की दुकानों पर कार्ड सिस्टम कर दिया गया है वहां पर फेमिली गल्ला दिया जाता है या पर यूनिट और कितना ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—कहीं फेमिली के यूनिट देखकर सबका देते हैं, लेकिन इसके लिये कोई निश्चित नियम नहीं है ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—इन ९ शहरों को छोड़कर बाकी छोटे शहरों में यह सुविधा क्यों नहीं दी गई है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—बड़े शहरों में खाने-पीने के सामान और हर चीज की महंगाई ज्यादा होती है और वहां का रहन-सहन का स्तर भी ऊंचा होता है।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या राशन कार्ड का कुछ मूल्य भी लिया जाता है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—नोटिस चाहिये।

श्री प्रताप सिंह—२५० रुपये की आय का मापदंड सरकार के पास क्या है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जैसे एम० एल० ए० हैं वे तो २५० रुपये से नीचे ही हुये।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—बड़े शहरों का रहन-सहन और महंगाई छोटे शहरों से तेज किन आंकड़ों के आधार पर मंत्रीजी ने बताया है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—सभी को विदित है कि बड़े शहरों में भत्ता अधिक मिलता है, बड़े शहरों में मकान का किराया और खान-पान की सामग्री का मूल्य अधिक होता है।

अतारंकित प्रश्न

टेहरी-गढ़वाल में सस्ते अनाज के गोदाम

१—श्री रामचन्द्र उनियाल (जिला टेहरी-गढ़वाल)—क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टेहरी-गढ़वाल में सस्ते अनाज के कितने गोदाम हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—टेहरी-गढ़वाल जिले में सस्ते अनाज के वितरण हेतु निम्न-लिखित स्थानों पर खाद्य गोदाम खोले गये हैं:

१—चमवा
२—टेहरी
३—भलदियाना
४—देवप्रयाग
५—कीर्तिनगर
६—नरेन्द्रनगर
७—लम्बगांव
८—भटवारी

२—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—[मुख्य मंत्री से सम्बन्धित १२ मार्च, १९५९ के लिये प्रश्न सख्या २ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी नियमावली, १९५४ में प्रख्यापित संशोधन

राजस्व मंत्री के सभासचिव (श्री धर्मसिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जोत-चकबंदी नियमावली, १९५४ में राजस्व विभाग क। विज्ञप्ति संख्या ५३५-सी० एच०/१-अ—२८०-५८, दिनांक २९ दिसम्बर, १९५८ ई० के अधीन प्रयारूपित संशोधनों† को उत्तर प्रदेश जोत-चकबन्दी अधिनियम, १९५३ की धारा ५४ की उपधारा (५) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

आश्वासन समिति का द्वितीय प्रतिवेदन†

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह (जिला गोंडा)—अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वासन समिति के सभापति की हैसियत से, समिति द्वारा दिये गये अधिकारों के अनुसार समिति का यह प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

सन् १९५७ में जो आश्वासन सरकार द्वारा दिये गये थे, उनके संबंध में यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें लगभग ४४२ आश्वासनों का विवरण है जिनमें से २५६ पूरे हो चुके हैं और लगभग २०० बाकी रह गये हैं। मगर दुःख की बात यह है कि इनमें २१ आश्वासन ऐसे हैं जिनके संबंध में सरकार की ओर से कोई उत्तर भी नहीं दिया गया है।

यह हम लोगों का सौभाग्य है कि पिछले सदन का ४ भागों में १,१०० आश्वासनों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत हो चुका है और आशा है कि शीघ्र ही सन् ५८ के बारे में भी सदन के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायगा।

---

†छापे नहीं गये।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १६५६

वित्त मत्री (श्री सैयद अली जहीर)—अध्यक्ष महोदय, मैं, उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १६५६ के संबंध में प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। इसकी प्रतियां छपने के बाद माननीय सदस्यों को दे दी जायंगी ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ २५२ २ ३ पर)

श्री अध्यक्ष—अभी वह हस्तलिखित है, छपी नहीं है लेकिन चूंकि ५ दिन बाद इसको सदन के सामने प्रस्तुत होना ही चाहिये था इसलिये वह आज प्रस्तुत कर दी गयी है और वह छपने के लिये प्रेस में दे दी जायगी, कल बांट दी जायगी ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—किस नियम के तहत ऐसा किया जा रहा है, वह मैं जानना चाहता हूं । हमको कापी न मिले और उसको उपस्थित भी कर दिया जाय और समझ लिया जाय कि वह प्रस्तुत हो गया ।

श्री अध्यक्ष—नियम में यह दिया हुआ है—

"यथा स्थिति सदन की प्रवर समिति द्वारा अथवा सदनों की संयुक्त प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक पर विचार किया जाय ।"

'परन्तु यदि प्रतिवेदन की प्रतिलिपि सदस्यों के उपयोग के लिये प्रस्ताव किये जाने के दिन से तीन दिन पहले सदस्यों के लिये उपलब्ध न कर दी गयी हो तो कोई सदस्य इस तरह विचार किये जाने पर आपत्ति कर सकेगा। यदि अध्यक्ष प्रतिवेदन पर विचार किये जाने की अनुमति न दें, तो ऐसी आपत्ति अभिभावी होगी"

तो जिस रोज मोशन होगा, उसके तीन दिन पहले प्रतिलिपि सदस्यों को मिलना आवश्यक है । यानी मोशन प्रतिलिपि मिलने के तीन दिन बाद ही हो सकेगा । आज क्योंकि प्रतिलिपि नहीं दी गयी है इसलिये आज का दिन नहीं माना जायगा ।

श्री राजनारायण—अध्यक्ष महोदय, अगर यह आज प्रस्तुत न होती और छप कर आने पर बाद में की जाती तो क्या नुकसान होता ?

श्री अध्यक्ष—सदन ने ५ दिन का समय इसके लिये दिया था । वह आज खत्म हो रहा था, इसलिये उसका आज सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना लाजिमी थी । वह लिखित रूप में हमारे पास मौजूद है । यह सुभीते की बात है कि कल वह छप कर आदरणीय सदन के सदस्यों को मिल जायगा । परन्तु जब उसकी प्रतिलिपियां सदस्यों को उपलब्ध करा दी जायंगी उसके तीन दिन बाद ही मोशन हो सकेगा । आज से आपको बजाय तीन दिन के चार दिन मिल जायंगे ।

श्री राजनारायण—जब नियम में यह जरूरी है कि ३ दिन पहले मिल ही जाना चाहिये तो ऐसे नियम बनाने के और भी कारण हैं क्योंकि उसमें संशोधन आदि आने की बात भी रहती है कि वह इतने घंटे पहले आ जाने चाहिये । लेकिन. श्रीमन्, इससे हमारी शंका का समाधान नहीं हो पाया कि वे सदन में प्रस्तुत करें और बिना सदस्यों को दिये हुए, यह कैसे माना जाय ?

श्री अध्यक्ष—कई चीजें सदन की मेज पर रखी जाती हैं .....।

श्री राजनारायण—लेकिन उन्होंने तो इसे आपकी मेज पर भी नहीं रखा है ?

श्री अध्यक्ष—अभी मेरे पास वह मौजूद है ।

श्री राजनारायण—तो आप इसको जरा देख लीजिये ।

श्री अध्यक्ष—बात यह है कि वह रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी पड़ी है । सिर्फ इतना है कि वह छपी नहीं है । छपने के लिये हम यह प्रथा कर सकते हैं कि अगर सदन ने ५ रोज में रिपोर्ट

प्रस्तुत करने के लिये कहा तो वह उसको ६ रोज में पेश करने की इजाजत दे सकता है अगर वह उसको बुरा न माने लेकिन यह चीज अच्छी नहीं मालूम होती है। यदि सदन ने निश्चय किया हो कि ५ रोज में उसे पेश करना चाहिए तो उसी दिन पेश होना चाहिये। लेकिन सदन चाहे तो एक रोज बढ़ाने की प्रथा कायम हो सकती है। परन्तु जब प्रतिवेदन आ गया है तो उसमें कोई सदन का नुकसान होता नहीं है क्योंकि जब प्रतिवेदन हमारे पास आ जाता है तो उसको छपने के लिये हम ही दे देते हैं। दूसरे रोज वह रिपोर्ट छप जायगी और उसके बाद सबको मिल जायगी।

कानपुर के विद्यार्थियों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्तावों को तथा नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ विषयों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—कानपुर में पुलिस और विद्यार्थियों में हुई मुठभेड़ के सम्बन्ध में जो खबर आयी है उस सम्बन्ध में ३ कामरोको प्रस्ताव आये हैं। यह कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकता क्योंकि यह खबर सिर्फ अखबारों के जरिये आयी है कोई निश्चित नहीं है। नियम ५२ के अनुसार भी नोटिस दिया गया है कि माननीय गृह मंत्री जी इस सम्बन्ध में कोई वक्तव्य दें जिसके बाद यह निश्चित पता लग सकता है कि घटना क्या है। इसीलिये नियम ५२ बनाया गया है कि एकदम से कोई घटना हो जाय और कोई खबर आ जाय तो उस पर वक्तव्य दिया जा सके और उसका स्पष्टीकरण हो जाना चाहिये। फिर आवश्यक समझने पर उस पर बहस की मांग की जा सकती है। आज मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रहा हूं लेकिन नियम ५२ के अनुसार जितनी मेरे पास सूचनायें आयी हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण यही है जो कि घटना कानपुर में हुई है। यदि इस सम्बन्ध में गृह मंत्री जी कोई वक्तव्य दे सकते हों तो आज दें नहीं तो उसके लिये मुझसे समय मांग लें।

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—श्रीमन्, मेरे पास आज जो सूचना है, वह आज्ञा हो तो दे दूं।

श्री अध्यक्ष—पूरी सूचना आ चुकी है?

श्री रामस्वरूप यादव—इस वक्त तक की तो पूरी आ चुकी है।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, तो दे दें। इसके पहले राजनारायण जी कुछ कहना चाहते थे वे कह लें।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने जो कहा कि श्री नारायणदत्त तिवारी का एक कामरोको प्रस्ताव आया है .....

श्री अध्यक्ष—३ आये हैं।

श्री राजनारायण—उसमें मुझ गरीब का भी एक कामरोको प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष—श्री नारायणदत्त तिवारी के लिये तो मैंने कहा ही नहीं। मैंने ३ कामरोको प्रस्ताव के लिये कहा जिनमें से एक तो श्री चन्द्रजीत यादव का है, एक श्री राजनारायण जी का है और एक श्री मोतीलाल अवस्थी जी का है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, आपने यह कहा कि अखबारों में पढ़ने से ही यह खबर मालूम हुई है। इस सम्बन्ध में मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि यह केवल अखबार की ही खबर नहीं है बल्कि मेरे पास आज सुबह ही टेलीफोन से मैसेज आया है जिसको मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं और वहां के ला कालेज में पढ़ने वाला एक विद्यार्थी खुद वहां की रिपोर्ट लेकर मेरे पास आज सुबह ही आया .....

श्री अध्यक्ष—उसको तो आपने मेरे पास लिखकर भेजा ही नहीं। जिस वक्त आपने कामरोको प्रस्ताव भेजा और आपके पास कोई खबर आ गयी थी तो मेरे पास लिख भेजते। आपने लिखा ही नहीं बिलकुल।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मैं तो बतला रहा था कि मुझे इसकी निश्चित खबर है और मैं वहीं से आया हूं।

श्री अध्यक्ष—लेकिन आज उसके ऊपर कामरोको प्रस्ताव नहीं हो सकता।

श्री मोतीलाल अवस्थी—तो मेरा कामरोको प्रस्ताव कल ही ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—अभी जो खबर आयी है उसके ऊपर माननीय मंत्री जी वक्तव्य देंगे। आप चाहें तो कल कामरोको प्रस्ताव दे सकते हैं। आज वक्तव्य पर आप सवाल भी पूछ सकते हैं।

श्री रामस्वरूप यादव—अध्यक्ष महोदय, २८ फरवरी को एक फ्री स्टाइल दंगल दारासिंह और उसकी पार्टी का ग्रीन पार्क में रात्रि को डी० ए० वी० कालेज होस्टल के सामने हो रहा था।

श्री राजनारायण—मैं एक वैधानिक प्रश्न उठाना चाहता हूं। जहां तक हमारी रपट है और सरकारी कागजात में छपा है उसके मुताबिक यादव जी किसी और विभाग के उप-मंत्री हैं, लेकिन सदन में आधे सेक्रेटेरियट का भार उनके ऊपर है। जितने विभाग आते हैं हरएक के डिप्टी मिनिस्टर हो कर खड़े हो जाते हैं। तो जो जिस विभाग का डिप्टी मिनिस्टर न हो उनको उस विभाग की तरफ से खड़े हो कर उत्तर देना वैध है या नहीं है, पर मैं अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष—वे बधाई के पात्र हैं कि सब विभागों की सूचना दे सकते हैं। मिनिस्टर की डेफिनीशन में यह है कि अगर वे यहां इस वक्त राजनारायण जी से कहें कि आप हमारी तरफ से वक्तव्य दे दें तो उस वक्त तक के लिये राजनारायण जी मिनिस्टर हो सकते हैं। मिनिस्टर की डेफिनीशन इस प्रकार साफ है। मंत्री किसी भी सदस्य को पावर डेलिगेट कर दे अपनी तरफ से बोलने के लिये तो उसकी तरफ से बोलने का उसको अधिकार हो जाता है और उस वक्त के लिये वह मंत्री समझा जायगा। जहां तक यादव जी की बात है वे तो गृह मंत्री के साथ कार्य करते हैं और बाकी अगर कोई मंत्री नहीं आते हैं तो उनकी भी वे ओबलाइज करते रहते हैं, उसमें कोई अनुचित बात नहीं है।

श्री रामस्वरूप यादव—मैं कह रहा था कि २८ फरवरी की रात्रि को दारासिंह पहलवान और उसकी पार्टी का ग्रीन पार्क में फ्री स्टाइल दंगल था जो डी० ए० वी० कालेज होस्टल के सामने हो रहा था। उसमें डी० ए० वी० कालेज होस्टल के लड़के दीवारों पर चढ़ गये और जो तार लगाये गये थे उनको जबरदस्ती तोड़ कर घुसे और वे उन क्लासेज में भी बैठे जो ज्यादा पैसे के थे और जहां कि उनको बैठने का अधिकार नहीं था और जब पुलिस ने रोका तो उन्होंने ईंटों की वर्षा की जिसमें कि डी० एस० पी० सिटी के भी चोट आयी।

फिर कल सायंकाल ग्रीन पार्क में डी० ए० वी० कालेज होस्टल के सामने एक महिलाओं का हाकी मैच हो रहा था जो कि हरिजन धर्मशाला की सहायता के लिये श्री हरि जी निगम द्वारा आयोजित किया गया था। वह टीम दिल्ली से आयी हुई थी। मैच शुरू हुआ तो बहुत से लड़के बिना टिकट घुसना चाहते थे और जो पुलिस के कांस्टेबिल ड्यूटी पर थे, उन्होंने रोका। उन्होंने अन्दर घुसने की जबरदस्ती की और ईंटें फेंकना शुरू कर दीं। मैजिस्ट्रेटों ने भी कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सके। जो यूनियन के सेक्रेटरी थे बजाय इसके कि लड़कों को सलाह देते, उन्होंने उनको और तंग करने में मदद दी। काफी संख्या में लड़के आ गये जिससे यह स्थिति हो गयी कि झगड़ा बढ़ जायगा तो पुलिस ने हलका सा लाठी चार्ज किया और टीयर गैस

के भी कुछ सेल्स छोड़े लेकिन लड़के बराबर अपनी होस्टल की छत से और अहाते से ईंटे फेंकते रहे जिसके फलस्वरूप ४५ अफसरों व पुलिस कांस्टेबलों के चोटें आईं। इस सिलसिले में ९ आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन सूचना यह मिली है कि उनको जमानत पर फिर रिहा कर दिया गया। किसी की हालत ऐसी नहीं है जो कहा जा सके कि खतरनाक है। स्थिति ठीक है।

आज सेंट मेरी स्कूल की बस डी० ए० वी० कालेज के सामने से जा रही थी तो उसे रोकने की कोशिश की। पुलिस ने जाकर वहां से लड़कों को हटाया। इसी तरह से सिटी ट्रान्सपोर्ट बस सर्विस की बस भी कालेज के सामने से जा रही थी। उसके लिये भी कोशिश की कि वह न जा सके। प्रिन्सिपल से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने भी कांट्रेक्ट किया। अब १४४ इसी वजह से लगा दी कि यह जरूरी था कि जिससे कोई आगे झगड़ा न हो सके। लेकिन, श्रीमन्, यह भी रिपोर्ट अभी मिली है कि बावजूद धारा १४४ के ११ बजे के करीब वे अपना प्रोसेशन निकाल रहे हैं। पुलिस सक्रिय है और आशा की जाती है कि सब शान्ति से समस्या हल हो जायगी।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं निवेदन कर दूं कि मंत्री जी ने जो खबर दी है सब एक पक्षीय है.....

श्री अध्यक्ष--आप प्रश्न ही करें।

श्री राजनारायण--क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विद्यार्थी जब अपने होस्टल में चले गये तो पुलिस का बड़ा दल उस फाटक में गया और वहां पर....

श्री अध्यक्ष--प्रश्न करते हुए आप यह स्पष्ट कर दें कि किस समय की बात आप पूछ रहे हैं।

श्री राजनारायण--कल शाम को जब कि महिलाओं का मैच हो रहा था तो हाकी मैच के समय, जैसा मंत्री जी ने कहा, वहां पर गड़बड़ी हुई तो गड़बड़ी का कारण, श्रीमन्, असल में यह था कि परसों २८ तारीख.....

श्री अध्यक्ष--आप सवाल करें। किस रोज के बारे में आप पूछ रहे हैं?

श्री राजनारायण--कल के बारे में। हम लोगों का कामरोको प्रस्ताव था। कल ही के बारे में प्रश्न कर रहे हैं।

कल जब पुलिस का बड़ा दल उनके होस्टल के फाटक में गया तो फाटक पर श्री अनन्तराम, वार्डन और श्री विद्याधर पंडित आफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट, इन दोनों आदमियों ने खड़े होकर पुलिस को रोकना शुरू किया और कहा कि पुलिस अन्दर न घुसे। तो क्या मंत्री जी को जानकारी है कि उनको धक्का देकर पुलिस अन्दर गयी और छात्रवास में अश्रुगैस फेंकी गयी?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--मान्यवर, इस सम्बन्ध में जो सूचना मुझे प्राप्त हुई है और जो रिपोर्ट आयी है वह मैंने सदन के सामने रख दी।

श्री अध्यक्ष--उन्होंने जो प्रश्न पूछा है, आपके पास ऐसी कोई खबर आयी है कि नहीं?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं, ऐसी कोई खबर नहीं कि होस्टल के अन्दर पुलिस गई।

श्री राजनारायण--क्या सरकार को जानकारी है कि विद्यार्थियों को बुरी तरह से घायल कर के जब विद्यार्थी अस्पताल में गये तो ९ विद्यार्थियों को घायल स्थिति में अस्पताल में हथकड़ी पहिनायी गयी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—विद्यार्थी गिरफ्तार हुए थे और तत्काल ही जमानत पर छोड़ दिये गये । उनको कहीं हथकड़ा पहिनाने की सूचना नहीं है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पलीवाल (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न तो नहीं पूछना चाहता लेकिन जो वक्तव्य गृह मंत्री की ओर से दिया गया है उसको देखते हुए और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि तीन दिन से लगातार यह संघर्ष आज तक चल रहा है, मैं चाहता हूं कि इस विषय पर विवाद की आप आज्ञा दें क्योंकि प्रश्नों से इसका समाधान नहीं हो सकेगा ।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)—पुलिस और विद्यार्थियों के बीच में जो झगड़ा बतलाया जाता है क्या वह जब आधा मैच समाप्त हो गया था उसके बाद हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—झगड़ा तो एक दिन पहले ही हो गया था जब कुश्ती हो रही थी । दूसरे दिन जब मैच शुरू हुआ तभी दरवाजा वगैरह तोड़ करके भीतर घुसने की चेष्टा की गयी और मेरा खयाल है हाफ टाइम के पहले ही झगड़ा हो गया था और इसीलिये मैच अबन्डन किया गया ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—इस लाठी चार्ज में कितने विद्यार्थी घायल हुए इसकी भी सूचना सरकार के पास है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—घायलों की संख्या ४५ और वह ४५ आफिसर्स हैं जिनको ईंटों से चोट लगी ।

श्री त्रिलोकी सिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उनको यह इत्तला है या नहीं कि ७ विद्यार्थी कानपुर के अस्पताल में घायल हालत में कल रात को दाखिल किये गये थे और आज इस समय तक दाखिल हैं ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसकी सूचना तो मेरे पास नहीं है ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एल० टी० कालेज के छात्र जिसको १०२ डिग्री का बुखार था, उसको भी पुलिस ने बुरी तरह से पीटा है ?

श्री अध्यक्ष—जब उनके पास यह खबर ही नहीं है कि पुलिस वाले वहां घुसे तो यह प्रश्न कैसे उठता है ?

श्री राजनारायण—छात्रावास में पुलिस गयीं, इससे इन्कार नहीं किया ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैंने निवेदन किया कि छात्रावास में पुलिस जाने की कोई सूचना नहीं है ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—इस बात की सूचना मानकर, कि पुलिस दल छात्रावास का फाटक तोड़कर जबर्दस्ती घुसा और विद्यार्थियों को पीटा गया, उनका सामान घड़ी, फाउन्टेनपेन वगैरह पुलिस दल ले गया, क्या इसकी जुडीशियल इंक्वायरी सरकार करायेगी ?

श्री अध्यक्ष—यह तो आपका सुझाव है । जानकारी के लिये प्रश्न पूछिये ।

श्री त्रिलोकी सिंह—क्या मंत्री जी बतायंगे कि जिस फाटक पर झगड़ा हुआ बताया जाता है वहां से तीन फर्लांग की दूरी पर डी० ए० वी० कालेज के विद्यार्थियों के छात्रावास में कुछ विद्यार्थियों को चोट लगी जो अपने छात्रावास के अन्दर बैठे थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---छात्रावास के भीतर जाने के लिये तो मैंने निवेदन किया कि पुलिस का दल .....

श्री त्रिलोकी सिंह---मैंने चोट के बारे में पूछा है। मुमकिन है न गये हों और चोट पहुंचा दी हो।

श्री कमलापति त्रिपाठी---मैंने निवेदन किया कि पुलिस दल भीतर गया, इसकी कोई सूचना हमारे पास नहीं है। जो है वह यह है कि वहां ढेले आये और टीयर गैस फेंका गया।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कितने राउंड टीयर गैस के फायर किये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इसकी तफसील तो मेरे पास नहीं है।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि एकाध प्रश्न और कर लें। यह मालूम होता है वक्तव्य से कि जितने प्रश्न हो रहे हैं उन विषयों पर प्रकाश उक्त वक्तव्य नहीं डाल सकता है। इसलिये एकाध प्रश्न करके आगे जो कुछ सदस्यों को कार्यवाही करनी हो वह वे करें।

श्री सुरथ बहादुर शाह (जिला खीरी)---क्या यह सही है कि ४० राउंड टीयर गैस चलाये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मैंने निवेदन किया कि इसकी तफ्तीश मेरे पास नहीं है कि कितने राउंड या कितना टीयर गैस चलायी गयी। टीयर गैस चलायी गयी, यह बात सही है।

श्री त्रिलोकी सिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न नहीं पूछना चाहता हूं। यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय के महत्व को देखते हुए, जैसा कि स्वतंत्र प्रगतिशील दल के माननीय नेता ने निवेदन किया है, इस पर विचार करने के लिये और वाद-विवाद के लिये आप किसी दिन, जैसी सुविधा हो, २१/२ घंटे का समय नियत कर दें।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि वक्तव्य जो आया है वह आपने सुन लिया और प्रश्नोत्तर भी सुन लिये। मैंने यह कह दिया कि आपको कल मौका है। आप चाहें तो कामरोको प्रस्ताव दे सकते हैं। मैं एक दिन बातने से समय को बाधक नहीं समझूंगा और यह नहीं कहूंगा कि आपने देर में प्रश्न उठाया। मैं उसके ऊपर जो कुछ निर्णय उचित समझूंगा, दूंगा और इस बीच में सरकार, प्रश्नों के अन्दाज से, और जानकारी हासिल कर ले और यदि वह खुद ही समझते हैं कि इस विषय पर चर्चा हो तो वह स्वयं समय नियत कर दें वर्ना अगर कामरोको प्रस्ताव आयेगा तो मैं उस पर निर्णय दे दूंगा, अभी मैं नहीं कह सकता कि वह क्या होगा। मैं चाहूंगा कि तबतक प्रश्नों के दृष्टिकोण से जांच सरकार उसी तरह की करा लेगी और कल सदस्यगण बहस के लिये प्रश्न उठाना चाहें तो उठा सकते हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, मेरा कामरोको प्रस्ताव था और मैं दस बारह बार उठा बैठा लेकिन मुझे मौका नहीं दिया गया, निगाह जरा हमारी तरफ भी....

श्री अध्यक्ष---आप कल कह दीजिये, तब आप को मौका होगा।

श्री श्यामलाल को संडीला बाजार में गोली मार कर घायल किये जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत स्वायत्त शासन उपमंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—अब श्री नारायणदत्त तिवारी द्वारा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना पर जिला हरदोई के, प्रजा सोशलिस्ट कार्यकर्त्ता श्री श्यामलाल को संडीला के बाजार में गोली मार कर सख्त घायल कर दिये जाने की सूचना के सम्बन्ध में गृह मंत्री वक्तव्य देंगे। उस रोज आधा वक्तव्य आपने दिया था, पूरा नहीं दे पाये थे, वह कृपा कर आज आप दे दें।

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—अध्यक्ष महोदय, उस दिन मेरे पास पुत्त सिंह के बारे में सूचना थी, वह मैंने दे दी था। श्री श्यामलाल के बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि उनका किसी राजनैतिक दल से सम्बन्ध नहीं था और न वह किसी राजनैतिक दल की कांफ्रेन्स में हाजिर होने गये थे। २७ फरवरी, १९५९ को ११ बजे श्री गंगाराम जो श्री श्यामलाल के भतीजे हैं, उन्होंने थाना संडीला में रिपोर्ट की कि जब वह श्याम लाल और उनकी स्त्री के साथ रामायण सम्मेलन शीतला देवी के मन्दिर में रामलीला ग्राउन्ड में गये थे तो गंगाराम का मकान पहले पड़ता था और वह अपने घर चले गये और श्याम लाल और उनकी स्त्री कोई २५ कदम पर ही थे कि वहां से बन्दूक की आवाज आई और सुनाई दिया कि दौड़ो मार डाला—दौड़ो मार डाला। इस पर गंगाराम और उनका नौकर बाबूलाल, श्यामलाल के घर को दौड़े तो उन्होंने देखा कि छुटई गद्दी और एक और आदमी उधर से भागे, छुटई गद्दी के पास उस समय पिस्तौल थी। उसी समय मंगली प्रसाद जोशी और मातादीन अरख भी आ गये और उन्होंने भी छुटई और दूसरे आदमी को भागते देखा। एक केस धारा ३०७ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत थाना संडीला में रजिस्टर किया गया और उसकी तहकीकात सीनियर इंसपेक्टर द्वारा फौरन शुरू की गयी। श्री श्याम लाल को संडीला अस्पताल पहुंचाया और उनकी दशा डाक्टर द्वारा चिन्ताजनक पायी गयी। इस पर उनको बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में इलाज के लिये पहुंचाया गया। उसके बाद छुटई गद्दी को उस के घर पर गिरफ्तार कर लिया गया। श्री श्यामलाल का डाईंग डिक्लेरेशन रिकार्ड कर लिया गया था जिसमें उन्होंने सुरजनिया के श्री परिचित सिंह पर भी शक किया था। २८ फरवरी को वहां एस० पी० भी पहुंच गये और तहकीकात जारी है। गोली लगने से ही उनको सख्त चोट बतायी जाती है और श्री श्याम लाल को किसी राजनैतिक दल का सदस्य नहीं बताया जाता और जो पी० एस० पी० के दो दिन की कांफ्रेन्स होने वाली थी उस से उनका कोई सम्बन्ध नहीं था। हां, श्री घूरे लाल जो श्री श्यामलाल के भाई हैं वह पी० एस० पी० के मेम्बर हैं। इस मामले का किसी राजनैतिक कारण से सम्बन्ध नहीं है। यह कुछ बदमाशों का काम बताया जाता है जो श्री घूरे लाल के खिलाफ थे।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने जो कहा कि श्री श्यामलाल का किसी भी राजनैतिक दल से सम्बन्ध नहीं था तो क्या उन्होंने इस सम्बन्ध में किसी राजनैतिक दल से पूछा है या किस बुनियाद पर उन्होंने ऐसा कहा ?

श्री रामस्वरूप यादव—वहां के सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ने जो जानकारी वहां के लोगों से की है, और जिनसे जानकारी उन्होंने की है उस में पी० एस० पी० के भी कार्यकर्त्ता सम्भवतः थे उससे तो यही पता लगा है कि श्यामलाल पी० एस० पी० के वर्कर नहीं हैं, उनके भाई धूरेलाल पी० एस० पी० के वर्कर हैं।

श्री प्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि श्यामलाल जी पर हमला प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की कांफ्रेंस के एक रोज पहले किया गया, उसका प्रयास किया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव---वह तो २८ तारीख को होने जा रही थी, तो यह कहना कि एक दिन पहले इस वजह से हमला किया गया कि वहां सम्मेलन हो रहा था, यह जहांतक सरकार को सूचना है, सही नहीं है और वह राजनैतिक सम्मेलन कोई खास शख्स करे तो उस पर कहीं हमले नहीं किये जाते।

श्री मोहन लाल वर्मा (जिला हरदोई)---मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है उसके संबंध में मैं जानकारी हासिल करना चाहता हूं कि श्यामलाल और उनके भाई घूरेलाल ने, बेगमगंज से जो वहां पर है उसको पंचायत का एलेक्शन हुआ था तो, पहले १७ मार्च, १९५६ को और दूसरे अक्तूबर, १९५९ को जिलाधीश, एस०डी० ओ० और सुपरिंटेंडेंट पुलिस, इन्चार्ज थाना के पास दो दरख्वास्तें भेजी थीं कि हमको इन इन लोगों से खतरा है और दूसरा जो प्रार्थना-पत्र दिया वह एक शिवराम सिंह कार्यकर्त्ता के मर्डर के समय दिया था? पुलिस ने इन दोनों प्रार्थना-पत्रों का क्या जांच की?

श्री कमलापति त्रिपाठी---पुलिस के पास इस किस्म की किसी दरख्वास्त का होना नहीं बताया जाता है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास इस बात की स्पष्ट और निश्चित सूचना है कि संबंधित पुलिस अधिकारी ने इस बात की जांच की कि श्यामलाल प्रजा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्त्ता हैं या नहीं? उक्त पार्टी दफ्तर से पूछा या नहीं?

श्री कमलापति त्रिपाठी---प्रजा समाजवादी दल का कार्यकर्त्ता होने के संबंध में श्यामलाल जी के कोई रिपोर्ट नहीं है। उनके भाई के संबंध में है कि वह प्रजा समाजवादी दल के कार्यकर्त्ता थे।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---यह जो कहा जा रहा है कि जो हमला किया गया उसमें राजनीतिक कारण नहीं था तो इस हमलावर के इरादे की जानकारी सरकार को किस तरह हो गया?

श्री रामस्वरूप यादव---स्थिति तो यह है कि डी०वाई०एस०पी० ने श्री मोहनलाल वर्मा से, जो विधान सभा के सदस्य हैं, २८ तारीख को खुद पूछा और उनकी राय थी कि इसमें राजनीतिक मसले के कारण हमला नहीं हुआ।

श्री मोहन लाल वर्मा---अध्यक्ष महोदय, मुझसे उनके कार्यकर्त्ता होने के संबंध में कोई बातचीत नहीं हुई। डी०वाई०एस०पी० ने मुझसे यह प्रश्न ही नहीं किया। पहले दिन जब कांफ्रेंस खत्म हुई १२ बजे रात को और जब कत्ल हुआ मैं वहीं पर मौजूद था, तो मुझसे उन्होंने प्रश्न ही नहीं किया, केवल यह पूछा कि कैसे कत्ल हुआ। मैं रात भर वहीं पर रहा। यह सब जानते हैं कि वह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ता हैं और कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---जितनी दरख्वास्तें श्यामलाल जी की तरफ से दी गयी थीं उनके बारे में माननीय मंत्री जो जांच करायेंगे कि वे प्रार्थनापत्र पोस्ट-आफिस से दिये गये या हाथ से? उसकी जांच कराकर सदन में उसकी रिपोर्ट रखने की कृपा करेंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मान्यवर, मुझे जांच कराने में और पता लगाने में कोई आपत्ति नहीं है। जो रिपोर्ट है वह एस० पी० और कलेक्टर की है। उसके अनुसार पुलिस के पास इस प्रकार की किसी दरख्वास्त होने का कोई पता नहीं है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न तो उन्होंने पूछा और आपकी सूचना में अभी, जो आई है, इस प्रकार के दरख्वास्त के संबंध में रिपोर्ट नहीं है, यह बात ठीक है। लेकिन वह उसकी जांच चाहते हैं कि हो जाय, यही उनका प्रश्न है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—श्रीमन्, मैंने यह निवेदन किया कि मेरे पास स्पष्ट यह लिखा हुआ है कि ऐसो किसो एप्लोकेशन का पुलिस के रेकार्ड में होना नहीं पाया जाता।

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न पूछा गया था ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—पूछा गया था, कम से कम रिपोर्ट में है। तो यह तो स्पष्ट है कि पुलिस के रेकार्ड में इस प्रकार का पत्र नहीं पाया जाता। लेकिन माननीय सदस्य को यह राय है कि इसको जांच करा लो, तो मैं और जांच करा लूंगा।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मंत्री जी यह देखते हुये कि डो० वाई० एस० पा० ने जो रिपोर्ट दो है उसको इस आदरणीय सदन के एक सदस्य क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसकी सो०आई०डो० या किसो अन्य व्यक्ति द्वारा जांच करायेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सी०आई०डी० की जांच या किसी अन्य जांच का प्रश्न उठता है जैसी आवश्यकता हो। इस समय तो इसकी जांच हो ही रही है और बड़ी कड़ाई के साथ हो रही जैसो पुलिस में होती है।

श्री मोहन लाल वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि संडीला जैसे थाने में जहां कत्ल हुआ है और जो कि ए-क्लास का थाना है वहां लगभग १५ दिन से कोई इंचार्ज नहीं है, जो इंचार्ज थे वे रिटायर हो गये और दो साल के सब-इंस्पेक्टर को चार्ज होल्ड करने के लिये दिया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—किस सब-इंस्पेक्टर को चार्ज होल्ड करने को दिया गया है मान्यवर, इसकी कोई तफसील इस समय होना संभव नहीं है।

श्री अध्यक्ष—अब यह प्रश्न समाप्त हुआ, काफी हो गया इस पर।

१९५९-६० के आय-व्ययक मे अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—

अनुदान संख्या २५—लेखा शीर्षक ४१—पशु-पालन

श्री अध्यक्ष—अब वित्तीय वर्ष १९५९-६० के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान होगा।

सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश पर यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २५-लेखा शीर्षक ४१-पशु-पालन के अन्तर्गत १,८८,८१,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २५-लेखा शीर्षक ४१-पशु-पालन के अन्तर्गत १,८८,८१,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २३—लेखा शीर्षक ४०—कृषि सम्बन्धी विकास अभियंत्रण और गवेषणा तथा अनुदान संख्या ४७—लेखा शीर्षक ७१—कृषि सुधार और खोज की योजनाओं पर पूंजी की लागत

*सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश पर यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २३—लेखा शीर्षक ४०-कृषि संबंधी विकास, अभियंत्रण और गवेषणा के अन्तर्गत ३,५२,४७,७०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष––दूसरी भी आप उपस्थित कर दें, एक साथ ही बहस हो जायगी।

श्री मोहनलाल गौतम––श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश पर यह भी प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४७–लेखा शीर्षक ७१–कृषि सुधार और खोज (research) की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत १०,१३,७५,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९–६० के लिये स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह मांग पेश करते हुए हर्ष होता है, इसलिये कि यह एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिस पर जितना ही खर्च किया जाय वह कम है क्योंकि हमारे देश की एकोनामी और विकास के लिये जिन जिन उन्नति के कार्यों की ओर हम नजर डालते हैं उनकी आधारशिला खेती है। खेती की अगर पैदावार बढ़ी तो हमारी सब योजनायें पूरी हो सकेंगी और हम अपनी आर्थिक अवस्था को सुधारने में सफल हो सकेंगे। हमारा इरादा है कि हम अगले सात वर्षों में तृतीय पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने तक इस देश की खेती को दूना कर लें। इसके लिये अभी से प्रयत्न करने की आवश्यकता है। इस संबंध में जो कार्य हो रहे हैं उसकी तरफ मैं आपकी आज्ञा से थोड़े में इशारा करना चाहता हूं। मुझे इस बात का संतोष और खुशी है कि पिछली खरीफ की फसल अच्छी हुई, विशेषकर धान की और अगर कुदरत की कृपा रही तो यह आशा है कि रबी की भी फसल अच्छी हो जायगी। इससे जो हमारे प्रदेश में मुसीबत कई वर्षों से आई थी उस मुसीबत में कुछ कमी हुई और हमारी कठिनाइयां भी कम हुई और अगर इसी तरह से कुछ और फसलें अच्छी हुईं तो हम अपनी मुसीबत के जाल से बहुत हद तक निकल जायेंगे।

यह जो खरीफ की फसल अच्छी हुई इसमें कुदरत तो सहायक थी ही लेकिन इस विभाग की ओर से जो प्रयत्न हुए उनकी ओर मैं आपकी आज्ञा से थोड़े में इशारा करना चाहता हूं हमारे प्रदेश ने सब से पहले खरीफ आन्दोलन शुरू किया और उसकी सफलता का यह एक सबूत है कि उसको सारे देश ने अपनाया और इस प्रकार के खरीफ आन्दोलन हर प्रदेश में चल रहे हैं। आन्दोलन का आधार यह था कि जो साधन हमारे पास हैं उनका अधिक से अधिक उपयोग किस तरह से किया जाय। इसके लिये काफी साहित्य माननीय सदस्यों को दिया जा चुका है। इसलिये मैं इसको दुहराकर सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं। माननीय सदस्यों से सहयोग देने के लिये प्रार्थना की गई थी और मुझे खुशी है कि बहुत से सदस्यों ने सहयोग दिया और मैं आशा करता हूं कि आगे भी इसी तरह से उनसे सहयोग प्राप्त होता रहेगा।

(इस समय १२ बजकर ४४ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता श्री नेकराम शर्मा पीठासीन हुए।)

यह आन्दोलन इसी प्रकार चलाया गया और इसकी मुख्य मुख्य बातों का प्रचार सारे प्रदेश में नहीं हो सका क्योंकि खेती एक सरकारी मुहकमा नहीं है। सरकारी मुहकमा सलाह दे सकता है, सहायता दे सकता है और साधन जुटा सकता है लेकिन खेती करना किसान का काम है और मुख्यतः अन्त में उसी के ऊपर इसकी तरक्की का दारोमदार है। इसलिए जितनी बातें की गईं उनमें सब से बड़ी बात यह की गई कि ढाई लाख ग्राम सहायकों को शिक्षा दी गई उन तमाम बातों के बारे में जो आन्दोलन की मुख्य अंग थीं ताकि ये बातें गांव गांव पहुंच सकें। ग्राम सहायक उनको हर किसान तक पहुंचा सकें और किसान उनसे फायदा उठा सकें।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)––आपके विभाग से ग्राम सेवकों को दिया गया है या प्लानिंग डिपार्टमेंट से ?

श्री मोहनलाल गौतम---अगर माननीय सदस्य मेरी बात पूरी होने दें और अपने व्याख्यान में पूंछें तो मुझे सुविधा होगी। मैं उन सब शंकाओं का समाधान कर सकूंगा।

ढाई लाख ग्राम सहायकों को शिक्षा भी दी गयी और इस १९५९ की खरीफ के लिये जो आन्दोलन इस समय चल रहा है, जो प्रयत्न इस समय हो रहा है उसके लिये योजना यह है कि १० लाख ग्राम सहायकों को शिक्षा दी जाय। यह कैम्पेन जो इस वक्त हुआ था उसमें कृषि विभाग के अलावा दूसरे विभागों की सहायता की भी आवश्यकता है, जिसमें इन तमाम चीजों को मिला कर कृषि विभाग है, इंजीनियरिंग विभाग है, सहकारिता विभाग है, इन सब विभागों की सहायता और सहयोग से चलने की आवश्यकता है। यह सारी चीज जो चली है उसका कैप्टेन डेवलपमेंट कमिश्नर रहा है। डेवलपमेंट कमिश्नर की अध्यक्षता में, नेतृत्व में भिन्न-भिन्न विभागों के कर्मचारियों ने बहुत लगन से काम किया है। इसी तरह से कमिश्नरों के नेतृत्व में सारी कमिश्नरी के भिन्न-भिन्न विभागों के कर्मचारियों ने कार्य किया। इस प्रकार भिन्न-भिन्न विभागों की सहायता प्राप्त हो सकी और यह आन्दोलन सफल हो सका।

उसके थोड़े से नतीजे जो जाहिर हुए हैं उसकी ओर आपकी आज्ञा से माननीय सदन की सेवा में रखना चाहता हूं। इस दफा जो चावल की पैदावार फी एकड़ हुई वह ७.५८ मन हमारे यहां हुई। इतनी पैदावार हमारे यहां एक एकड़ में पहले नहीं हुई। पिछले वर्ष पैदावार ६.१९ मन थी। १९५७-५८ में चावल की पैदावार २२.९४ लाख टन थी और १९५८-५९ में चावल की कुल पैदावार इस प्रदेश में २८.५५ लाख टन हुई यानी २४ प्रतिशत के करीब यह इजाफा हुआ। १९५७-५८ में चावल से जितनी पैदावार हुई और १९५८-५९ में इस खरीफ आन्दोलन का नतीजा कहिये, कुदरत की सहायता कहिये, कारण सब सामने हैं, बहरहाल प्रयत्न सरकार का भी है उसमें। २४ प्रतिशत की पैदावार चावल की बढ़ी। इसमें जो तरीके बरते गये उसमें एक खास तरीका जापानी तरीका धान बोने का था जिससे सदन के माननीय सदस्य अच्छी तरह से परिचित हैं। १९५७-५८ तक जो भी दो तीन साल का प्रयत्न था उसका नतीजा यह था कि ३.२८ लाख एकड़ भूमि पर जापानी तरीके से धान की खेती हुई थी। इस वर्ष जिसका श्रेय इस आन्दोलन को जरूर है वह ५८-५९ में ६.७४ लाख एकड़ हुई। यानी दूने से भी कुछ ज्यादा धान की खेती का रकबा हो गया जापानी तरीके से जिसका फायदा हम सब जानते हैं। गेहूं का जो यू० पी० मेथड है .....

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---यह जो आंकड़े दे रहे हैं यह स्थायी आंकड़े हैं या अस्थायी ?

श्री मोहन लाल गौतम---माननीय सदस्य अगर कुछ दिन और इस सदन के मेम्बर रह जायेंगे तो उसका फर्क जान जायेंगे। मुझे तो अभी नहीं मालूम।

तो जो यू० पी० का तरीका है गेहूं के बोने का उसका सन् ५७-५८ में रकबा कई साल के प्रयत्न के बाद ८ लाख एकड़ था। सन् ५७-५८ में कई साल के प्रयत्नों के बाद हम ८ लाख एकड़ पर पहुंचे थे। ५८-५९ में यह रकबा १८.०४ लाख एकड़ हुआ यानी सवा दो गुने से ज्यादा।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---मैं एक वैधानिक प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। यह आंकड़े जो उपस्थित किये जाते हैं, यह किसी पुस्तक या और किसी आधार पर होने चाहिये। पता नहीं कहां से माननीय मंत्री जी आंकड़े उपस्थित कर रहे हैं या फिर उसका सोर्स बतावें।

श्री अधिष्ठाता---वह आंकड़े जो उपस्थित कर रहे हैं वह किसी आधार पर ही कर रहे होंगे।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)––श्रीमन्, मूल प्रश्न यह है कि जिस विषय का अनुदान आने को होता है उसके एक दो दिन पहले उसके विषय में कुछ पुस्तिकायें प्रकाशित होकर हम लोगों को मिलती हैं। जो सूचना विभाग से या सरकार की ओर से कृषि संबंधी यह पुस्तिका हम लोगों को मिली है इसके बिलकुल भिन्न आंकड़े माननीय मंत्री जी दे रहे हैं। तो जो आंकड़े मंत्री जी दे रहे हैं, उस पर विवाद का आधार बनेगा कैसे ? हमको जो पुस्तिका मिली है उससे बिलकुल दूसरा चित्र सामने आता है और माननीय मंत्री जी दूसरा चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता––वह उसका आधार बतायेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम––अधिष्ठाता महोदय, मैं आंकड़े जो दे रहा हूं वह जिम्मेदारी के साथ दे रहा हूं और जो साहित्य माननीय सदस्यों को उपलब्ध है उसमें अगर कोई कंट्राडिक्शन हो तो अपनी बहस में कहेंगे। उसका मैं उत्तर दे दूंगा।

श्री अधिष्ठाता––ठीक है। आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री मोहन लाल गौतम––तो मैं यह कह रहा था कि गेहूं की खेती में जो यू० पी० मेथड है उससे दो तीन साल के प्रयत्न के बाद सन् ५७–५८ में ८ लाख एकड़ जमीन बोयी गयी। ५८–५९ में वह रकबा बढ़कर १८.०४ लाख एकड़ हो गया। सवा दो गुने से ज्यादा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह दिखाने का प्रयत्न कर रहा था कि यह जो कैम्पेन चल रहा था उसमें हमने जो कुछ प्रयत्न किया उसका नतीजा क्या हुआ ? उससे कितनी पैदावार बढ़ी है वह सबको मालूम है। इसलिये जो पैदावार बढ़ी है उसमें इस प्रयत्न का भी हिस्सा है। कतार में बोने की बात रबी ५८–५९ में ७.०५ लाख एकड़ हुई। और दूसरी खरीफ की फसलें, जिसमें धान वगैरह भी शामिल है, वह ८.१८ लाख एकड़ हुई। यह मैंने थोड़े से आंकड़े इसलिये दिये कि यह मैं इस माननीय सदन की सेवा में उपस्थित करूं कि हमारे प्रयत्नों का कुछ नतीजा निकल रहा है और इस ओर जो प्रयत्न किया जा रहा है उसको किसान अपना रहे हैं और उस पर अमल कर रहे हैं।

दूसरा उन्नतिशील बीज बांटने का प्रश्न है। उसके दो हिस्से हैं। एक तो उसको पैदा करना और दूसरे उसको बांटना। योजना यह है कि हर एक ब्लाक में २५ एकड़ का एक फार्म हो जिसमें उन्नतिशील बीज पैदा किया जा सके और उसको फिर रजिस्टर्ड ग्रोअर के द्वारा मल्टीप्लाई कराकर किसानों तक पहुंचाया जा सके। हमारे देश में ८७६ ब्लाक्स हैं। प्रयत्न यह है कि हरएक ब्लाक में एक सीड मल्टीप्लाइंग फार्म हो जाय। इस वर्ष के अन्त तक ७०४ सीड फार्म की योजना है जो मुझे उम्मीद है कि करीब करीब सब पूरी हो जायगी। उसके बाद १७२ और फार्म बाकी रहते हैं। ५९–६० में वह १०० हो जायेंगे और ६०–६१ में वह १७२ भी पूरे हो जायेंगे। इस प्रकार से दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हरएक ब्लाक में एक एक फार्म हो जायगा।

जहां तक उन्नतिशील बीज बांटने का प्रश्न है उसमें काफी तरक्की हुई है। ५६–५७ में वह २६.७७ लाख मन बीज बांटा गया था। ५७–५८ में ३२.२८ लाख मन बीज बांटा गया था और ५८–५९ में जो वर्ष चालू है उसमें ४१.९० लाख मन बीज बांटा गया अर्थात् सवा ३२ से ४२ लाख मन हुआ जिसका मतलब यह है कि पौने ११ लाख मन बीज अधिक इस वर्ष बांटा गया। हमारा लक्ष्य ६४ लाख मन बीज बांटने का है। यह मैंने बीज के संबंध में थोड़े से आंकड़े दिये।

अब मैं खाद के संबंध में भी थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूं। यह खाद का बंटवारा पूरे तरीके से सहकारी समितियों के द्वारा होता है लेकिन जब हमने यह काम शुरू किया तो सहकारी समितियां इतनी नहीं थीं कि गांव गांव में खाद पहुंच सके। इसलिये हमने बांटने की

[श्री मोहन लाल गौतम]

जगह अधिक आवश्यक यह समझा और यह तय किया कि हर एक गांव सभा का सभापति गाड़ी भरकर ले जाय यानी यह बात होते हुए भी कि सारा खाद सहकारी समितियों के द्वारा बंटेगा और कहा था कि खाद बांटने का अधिकार है। फिर भी इस डर से कि शायद सहकारी समितियां हर एक गांव में खाद न पहुंचा सकें तो यह किया गया कि हर एक गांव सभा के सभापति को एक एक गाड़ी ले जाने का अधिकार दे दिया ताकि हम गांव गांव में खाद पहुंचा सकें। जिसका नतीजा यह हुआ कि ५७-५८ में जो खाद बांटा था उसकी मात्रा ९१,७९० टन के करीब थी और १९५८-५९ में यह मात्रा बढ़ कर १,१६,१५० टन हो गयी। अर्थात् २५,००० टन के करीब, सवायी से ज्यादा खाद बंटी। जो तकावी के लिये रुपया दिया गया था खाद बांटने के लिये वह १९५७-५८ में ४७,६५,००० रुपया एलाटेड था जिसमें से ४६,६०,००० रुपया बांटा गया और इस वर्ष १९५८-५९ में जो तकावी खाद के लिये दी गयी वह बढ़ कर १,८०,००,००० रुपया हो गयी, यानी पिछले वर्ष के चौगुने के करीब यह तकावी बांटी गयी। इससे पैदावार में इजाफा होगा इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं।

एक प्रश्न जो खेती की सुरक्षा के लिये होता है वह पौधों की रक्षा करने का, प्लांट प्रोटेक्शन का है। इस वर्ष इसकी ओर विशेष ध्यान दिया गया। पिछले वर्ष जितनी भी प्रकार की खेती थी उस पर जो दवायें छिड़कने का कार्य किया गया था उसका रकबा १२,००० एकड़ था। इस वर्ष केवल धान के पौधों पर जो दवायें छिड़कने का काम किया गया है उसका रकबा ५२,००० एकड़ है। सभी फसलों का रकबा पिछले वर्ष जब १२,००० एकड़ था उसके मुकाबले इस वर्ष केवल धान की फसल का रकबा ५२,००० एकड़ है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं काफी आंकड़े दे कर माननीय सदस्यों के सब्र का पैमाना लबरेज कर रहा हूं, इसलिये इसको कुछ कम कर दूंगा।

जूट की उपज के आंकड़े मैंने आज सुबह प्रश्न के उत्तर में दे दिये हैं। जूट की खेती हो रही है लेकिन जितनी आवश्यकता है वह पूरी नहीं हुई है।

जहां तक कपास का संबंध है, मैं यह कहूंगा कि जो हानि पिछले वर्ष खरीफ की फसल को हुई उसमें कपास को सब से ज्यादा हानि हुई थी और अभी तक हम अपने प्रदेश में जितनी कपास की आवश्यकता है उसे पूरी नहीं कर पा रहे हैं। हम इस ओर ध्यान दे रहे हैं और अपने प्रदेश की आवश्यकता को पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

जहांतक तिलहन का संबंध है उसकी उन्नति हो रही है। १९५६-५७ में ९.६८ लाख टन उसका उत्पादन था जो १९५७-५८ में घट कर ७·१ हो गया था। इस वर्ष वह बढ़कर १०.२४ लाख टन हो गया है यानी करीब ड्यौढ़ा।

अधिष्ठाता महोदय, खाद के साथ साथ हार्टिकल्चर का बहुत बड़ा स्थान है। मैं उस बहस में यहां नहीं पड़ूंगा। मैं यही कह सकता हूं कि हमारा लक्ष्य १२ हजार एकड़ भूमि पर बाग लगाने का था जो ५८-५९ में सिर्फ पूरा ही नहीं हुआ बल्कि उससे ज्यादा बाग लगे और उसका एरिया १४ हजार एकड़ है। पुराने बगीचों को ठीक करने और उसमें नये पौधे लगाने का लक्ष्य हमारा ६ हजार एकड़ का था जो पूरा नहीं हुआ और उसमें हम सिर्फ ४,५०० एकड़ में ही ठीक कर सके। हो सकता है कि पुराने बागों को ठीक करने के बजाय लोग नये बाग लगाना ज्यादा पसन्द करते हैं क्योंकि इसमें डेढ़ हजार एकड़ की कमी हुई लेकिन नये बाग लगाने में २ हजार एकड़ ज्यादा हो गया लेकिन दोनों को मिलाकर जितना लक्ष्य था १८ हजार एकड़ का वह साढे १८ हजार एकड़ हो गया है। पिछले वर्ष २७,३२,००० रुपये बाग लगाने के लिये दिये गये थे लेकिन इस वर्ष कोई नयी रकम नहीं रखी गयी है। पहले जो ३६ लाख रुपया था जिसमें सिर्फ २७,३२,००० रुपये खर्च हुये और उसमें जो ८,८०,००० की बचत हुई वह इस वर्ष खर्च करेंगे, यह फैसला हो गया है। नये पौधे लगाने के सेन्टर, नर्सरीज, के लिये १० का लक्ष्य था जिसमें ९ पूरे हो चुके हैं। पूर्वी जिलों में चूंकि काफी दिक्कतें

थीं इसलिये वहां के लिये कुछ स्पेशल स्कीमें बनाई गईं। एक तो यह कि क्राप कम्पेन को ज्यादा जोर से चलाया जाय। वहां पर ऐसे बोन डाइजेस्टर्स लगाये गये जिसमें आस्थेस्टिक फर्टिलाइजर वहां होती है और वहां पर एक फर्टिलाइजर पर एक दिन में २.३ मन फर्टिलाइजर डाइजेस्टर पैदा करता है और इस तरह के ३० लगाये गये जिसके माने यह हैं कि ७० मन के करीब हर रोज खाद पैदा हो जाती है जो कि काफी फायदा करती है।

तालाबों को गहरा करना, उसमें से सिल्ट निकाल कर खेतों में डालना और तालाबों से काई को भी कम्पोस्ट बनाकर खेती के काम में लाना, यह सब योजनायें वहां चल रही हैं। इनके अलावा और जो वहां पर मामूली योजनायें खेती पैदा करने के लिये पहले से चल रही है उनके यह अलावा है। अधिष्ठाता महोदय, यह आंकड़े देकर मैंने यह बतलाने का प्रयत्न किया कि इस समय जो अधिक अन्न उपजाने की कोशिश हो रही है जिसके लिये यह मुहकमा प्रयत्नशील है उसमें क्या क्या कार्यवाही हुई।

श्री प्रताप सिंह––गन्ने की बात छूट गई।

श्री मोहनलाल गौतम––जितना मैं कहना चाहूं, कह लूं और कुछ जवाब के लिये भी रह जाय। अगर सभी बातों का जवाब मैंने पहले ही दे दिया तो फिर वो दिन तक मुश्किल हो जायगा।

श्री राजनारायण––अधिष्ठाता महोदय, क्या मंत्री जी के बोलने के लिये कोई भी समय निर्धारित नहीं है?

श्री अधिष्ठाता––कोई समय निर्धारित नहीं है। इस संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं आया। माननीय मंत्री अपना भाषण जारी रखें।

श्री मोहनलाल गौतम––जहां तक शिक्षा का विषय है उसमें हम खास तौर से एक कमी महसूस करते रहे हैं वह यह कि जो खोज होती है उनका फायदा हम किसानों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। इस दिक्कत की ओर विशेष ध्यान दिया जाय, ऐसा हमारा विचार है। कृषि की शिक्षा पर विशेष रूप से हम ध्यान देना चाहते हैं। उसी के लिये हम एक यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं जिसके संबंध में माननीय सदस्यों को काफी मालूम है, दुहराने की जरूरत नहीं है। इसके लिये काफी कृषि स्कूल और कृषि कालेज चल रहे हैं। उनके बारे में आज मुझे कहने की आवश्यकता मालूम नहीं देती लेकिन हमारा प्रयत्न यह है कि शिक्षा को जितना तेज किया जा सके और उसमें जितना सुधार किया जा सके, उतना किया जाय, इसी में कृषि रिसर्च की भी बातें आ जाती हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा––माननीय मुख्य मंत्री के यहां जो बिना मिट्टी की खेती हो रही है...

श्री अधिष्ठाता––बिना आज्ञा के माननीय सदस्य बीच में न बोलें।

श्री मोहनलाल गौतम––जहां तक भूमि रक्षा का सवाल है और उसको सुधारने का सवाल है उसके लिये हमारे यहां काफी भूमि है जो सुधारी जा सकती है और कटाव और बरबादी से बचायी जा सकती है। भूमि को कटाव से बचाने के लिये और उसकी उन्नति और रक्षा के लिये ७ जिलों में काम चलाया जा रहा है और ३० हजार एकड़ भूमि पर काम किया जा रहा है।

अब मैं आगे के अपने लक्ष्य के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। अगले वर्ष में हमारा लक्ष्य ५ लाख टन अधिक अन्न उपजाने का है। यह किस प्रकार से और किन-किन तरीकों से अधिक उपजाया जा सकेगा और क्या प्रयत्न उसके लिये होंगे, वह निम्न प्रकार हैं। हम ५५.१९ लाख मन अच्छा बीज बांटना चाहते हैं जिससे हमको यह आशा है कि हमारी १.१० लाख टन

[श्री मोहनलाल गौतम]

की पैदावार बढ़ जायगी। खाद के बांटने का लक्ष्य हमारा २.५६ लाख टन है और उससे हमें आशा है ३.०६ लाख टन पैदावार बढ़ जायगी, उन्नतिशील तरीकों से खेती करने से .३३ लाख टन अधिक पैदा होने की आशा है, जमीन की उन्नति से .१९ लाख टन और सिंचाई से १.०२९ लाख टन पैदावार बढ़ सकेगी। इस प्रकार इन तरीकों से हम ५ लाख टन पैदावार अगले बजट वर्ष में बढ़ा सकेंगे।

दूसरी बात जो हम करना चाहते हैं वह यह है कि वहां पर खाद रखने के जो तरीके हैं उस तरफ हर एक ब्लाक में और शैडो ब्लाक में भी ध्यान दिया जाय ताकि जो कम्पोस्ट आदि खाद हैं उनकी अच्छी तरह से रक्षा कर सकें। इसके लिये हम १०० सीड फार्म्स खोल रहे हैं ताकि खाद का प्रचार काफी हो और यह इरादा है कि ८ लाख एकड़ जमीन में इस तरह हम हर एक खाद का इस्तेमाल करा सकें। जितने भी सिंचाई के इलाके हैं, जहां जहां सिंचाई होती है वहां अरली पैडी और लेट पैडी पूरी तरह जापानी तरीके से सन् १९६०–६१ तक हो सके ऐसा हमारा लक्ष्य है और जहां जहां आबपाशी होती है वहां ६०–६१ तक यू० पी० तरीके से गेहूं बोया जा सके, यह भी हमारा लक्ष्य है। हमारी यह भी एक योजना है कि हर जिले में प्लांट प्रोटेक्शन यूनिट खोल दी जाय ; जूट की काश्तकारी ५६,००० एकड़ जमीन पर और हो ताकि हम १.३ लाख बेल्स यहां पैदा कर सकें। अमेरिकन काटन की उन्नति का भी इरादा है इसी तरह से आयल सीड्स, तेलहन १.०२४ लाख टन और बढ़ाने का और इम्प्रूव्ड सीड्स बांटने का हमारा लक्ष्य है। एग्रीकल्चर कालेज कानपुर और एग्रीकल्चर स्कूल्स की उन्नति में २.५१ लाख रुपया रखा गया है और यूनिवर्सिटी जुलाई सन् ६० से शुरू हो जाय, यह निश्चय है। अल्मोड़ा लेबोरेटरी जो श्री बी०सी० सेन के संचालन में काम कर रही थी उसको भी हमने ले लिया है और १.२ लाख रुपया खर्च करके उसकी उन्नति का कार्य भी जारी है।

इस संबंध में मैं सिर्फ एक लफ्ज और कहना चाहता हूं और वह यह है कि खेती के ऊपर ही जैसा मैंने शुरू में कहा था, हमारे इस देश की उन्नति का दारोमदार है। अगर हम इस देश की उन्नति करना चाहते हैं, अगर हम अपनी गरीबी और बेकारी को दूर करना चाहते हैं तो खाद की उन्नति किये बगैर हम यह काम नहीं कर सकते हैं। इसलिये मेरी प्रार्थना यह है कि जो लक्ष्य हमने बनाया है वह यह है कि ७ साल के अन्दर १०० प्रतिशत हमारी पैदावार बढ़ जाय और ७ साल में जो आबादी बढ़ेगी उसकी पूर्ति तो उससे हो ही जाय, इसके अलावा हमारे यहां इतना अन्न पैदा हो जाय कि उसे हम बाहर भेज कर अपने अन्य सामान की पूर्ति कर सकें। इसके लिये हमने लक्ष्य बनाया है और मेरी इस माननीय सदन के हर सदस्य से यही, बड़े ही जोरदार और नम्र शब्दों में निवेदन है कि वे इस लक्ष्य की पूर्ति में सहयोग दें बिना किसी राजनीतिक वाद-विवाद में पड़े हुए। इसके लिये मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि खेती के सुधार के लिये जो सुझाव दिये गये हैं और दिये जायेंगे उनको हम हमेशा मानने के लिये और उन पर अमल करने के लिये तैयार हैं। इन शब्दों के साथ अधिष्ठाता महोदय, यह मांग मैं सदन के सम्मुख स्वीकृति के लिये उपस्थित करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—श्री राजनारायण जी, आपका कोई प्रस्ताव अनुदानों पर समय निश्चित करने के बारे में है ? आप इस संबंध में कुछ कह रहे थे ?

श्री राजनारायण—इसके लिये तो जो निश्चित है उसी के हिसाब से बोलना पड़ेगा लेकिन आयन्दा के लिये जो मेरा प्रस्ताव है वह यह है कि मंत्री लोग आधा घंटा . . . .

श्री अधिष्ठाता—आयंदा के लिये तो आप बाद में अपने सुझाव देंगे।

श्री राजनारायण—तो जो प्रस्ताव चल रहा है उस पर तो जिस तरह से समय होता है उसी तरह से सब लोग बोलेंगे लकिन आयन्दा के लिये यह कर दिया जाय कि मंत्री लोग आधा घंटा बोलें शुरू में क्योंकि वे २ घंटे समय ले लेते हैं।

श्री अधिष्ठाता---उसके लिये आप कोई प्रस्ताव ला सकते हैं।

श्री राजनारायण---इसे मेरा प्रस्ताव ही मान लिया जाय कि मंत्री लोग आधा घंटा प्रथम ले लिया करें, यह मेरा सुझाव है।

श्री अधिष्ठाता---अब दूसरे अनुदानों के वक्त देखा जायगा, यदि ऐसा कोई प्रस्ताव समय पर पेश होगा।

श्री राजनारायण---इसीलिये तो मैं बोल नहीं रहा था।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि साढ़े १२ बजे से ग्रांट जब ली गयी तो साढे ४ घंटे का टाइम बचता है। उसमें से १ घंटा प्रस्ताव में और एक घंटा उत्तर में, बचे ढाई घंटे। उसमें से सवा घंटा ट्रेजरी बेंचेज ले लेंगी और सवा घंटा अपोजीशन को बचता है। तो एक ग्रांट के लिये इतना कम समय अपोजीशन को मिलना बड़ा अन्याय है। ऐसी व्यवस्था की जाय कि अपोजीशन बेंचेज कुछ ज्यादा बोल सकें।

श्री अधिष्ठाता---अवस्थी जी, अगर आपको कोई ऐसा प्रस्ताव लाना था तो पहले ही ले आते।

श्री अजीज इमाम (जिला मिर्जापुर)---मैं प्रस्ताव करता हूं कि सब लोग इस डिस्कशन में हिस्सा ले सकें इसलिये वक्त मुकर्रर कर दिया जाय, कटमोशन के मूवर को २० मिनट और बकिया सदस्यों को १०,१० मिनट दिये जायं।

श्री राजनारायण---इसमें मेरा संशोधन है। विरोधी पक्ष के लोग १०,१० मिनट बोलें और ट्रेजरी बेंचेज के लोग ५,५ मिनट क्योंकि मैं समझता हूं कि विरोधी पक्ष को ज्यादा समय मिलना चाहिये।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---मैं इसका विरोध करता हूं। सुझाव विरोधी पक्ष के पास ज्यादा जरूर हैं लेकिन कुछ आदमी इस पक्ष में भी ऐसे हैं जो सक्रिय सुझाव रखते हैं।

श्री गोविन्द सहाय (जिला बिजनौर)---मैं भी विरोध करता हूं। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि श्री राजनारायण जी के इस सुझाव से मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि किसी सोशलिस्ट ....

श्री राजनारायण---अगर उन्हें दुख होता है तो मैं अपना सुझाव वापस लेता हूं।

श्री अधिष्ठाता---तो अब सर्वसम्मति से यह तय हुआ कि जो कटौती का प्रस्ताव पेश करेंगे उनको २० मिनट और दूसरे माननीय सदस्यों को १०,१० मिनट मिलेंगे।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)---अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २३-लेखा शीर्षक ४०-कृषि संबंधी विकास, अभियंत्रण और गवेषणा के अन्तर्गत मांग की धनराशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय तथा अनुदान संख्या ४७-लेखा शीर्षक ७१-कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग की धनराशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय।

अधिष्ठाता महोदय मैंने बहुत ही गौर के साथ मंत्री जी की बातों को सुना।

श्री अधिष्ठाता---आप कटौती का विषय रखिये कि किस पर विवाद करना है ?

श्री जगवीर सिंह—कमी करने का उद्देश्य नीति का व्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है:—

कृषि गवेषणा की असफलता।

तो विशेष कर इस पर विवाद करने का हक होगा और बाकी सब पर होगा।

श्री अधिष्ठाता—पूर्व निर्णय के अनुसार जो साहब कटौती का प्रस्ताव पेश करेंगे वे उसी पर बोलेंगे। बाकी जब सब प्रस्ताव पेश हो चुकेंगे तो बाकी सदस्य सब पर बोल सकेंगे ?

श्री जगवीर सिंह—तो मुझे इस पर बोलना है 'कृषि गवेषणा की असफलता'।

श्री अधिष्ठाता—दूसरा भी है। "अच्छे बीज तथा खाद का पर्याप्त मात्रा में देने के लिये उचित व्यवस्था न कर सकने की नीति" इस पर भी आप बोल सकते हैं।

श्री जगवीर सिंह—माननीय मंत्री जी की एक बात से मैं इत्तफाक करता हूं कि देश व प्रदेश में इस बात की आवश्यकता है कि यहां पर उत्पादन को बढ़ाया जाय और लक्ष्य यह बतलाया कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इसको दुगुना करने की बात सोचते हैं। इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं कि इस लक्ष्य को पूरा करना चाहिये जब कि अमेरिका में २० वर्षों के अन्दर १९३५ से १९५५ तक ७० फीसदी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। तो कोई कारण समझ में नहीं आता कि हम आखिर क्यों नहीं बढ़ा सकते ?

लेकिन जहां तक मंत्री जी ने बहुत बातें कहीं असल बात की तरफ उनका ध्यान नहीं गया। क्योंकि आपने मुझे बहुत ही बांध दिया है कि बाहर न जाऊं, तो यहां रिसर्च की बात है, मैं वहीं पर आता हूं और आपका ध्यान कुछ बातों की ओर दिलाऊंगा। यहां रिसर्च बहुत की जाती हैं, फर्टीलाइजर की रिसर्च, पेडिग्री सीड्स की रिसर्च और बहुत सी बातों की रिसर्च है। लेकिन मैं पेडिग्री सीड्स की बाबत कुछ बात कहना चाहता हूं। एक बात मंत्री जी ने कही कि वह सोचते हैं २५ एकड़ का एक फार्म हर कम्युनिटी ब्लाक में होगा जहां वह मल्टीप्लाई करेंगे सीड को कम्युनिटी ब्लाक में बांटने के लिये। अगर हिसाब लगाया जाय तो दुख होता है कि १९५६–५७ में सीरियल्स का रकबा था ३,२४,६६,००० एकड़ और बीज बांटा गया १९,२२,००० मन, हिसाब यों लगाया जाय कि २ मन बीज ३ एकड़ में लगा तो इस हिसाब से हमने केवल ९ फीसदी जमीन बोने के लिये विभाग की तरफ से बीज बांटा। कौन सा बीज बांटा, कहां से ला करके बांटा गया तो आपको आश्चर्य होगा कि हमारी सरकार ने पंजाब से वह ३,००,००० मन बीज ला करके बांटा जो यहां के व्यापारियों ने वहां जा कर खरीद लिया था और उसको सरकार ने अपने कब्जे में कर लिया था। सरकार की तरफ से ध्यान नहीं दिया गया कि आखिर वह बीज अच्छा भी था या नहीं। जब ऐसी हालत बीज बांटने की हो तो मेरी समझ में नहीं आता कि हमारी पैदावार बढ़ भी सकती है ?

साथ ही साथ बीज बांटने के तरीके में सवाई का तरीका रहता है जिसके माने हैं कि बहुत थोड़े से अरसे में २५ फीसदी सूद सरकार ले लेती है। मैं जानना चाहूंगा जो सरकार किसानों की प्रतिनिधि होने की बात करे, उनके स्तर को ऊंचा उठाने की बात करे, यों तो अगर मैं आँकड़े दूं तो बतलाऊं कि पिछले ९ सालों में गांव के रहने वालों की आमदनी घटी है और शहर के लोगों की आमदनी ३० फीसदी बढ़ी है। तो यह सरकार केवल ५,६ महीनों में २५ फीसदी सूद वसूल कर लेती है किसानों से। मुझे कहने में कतई हिचक नहीं है कि यह सरकार का सब ढोंग है और झूठे दावे हैं। अच्छे तरीके से अच्छा बीज बांटा जाय तो यों तो इस पर राय अलहदा, अलहदा है, इंडियन ऐग्रीकल्चर कमीशन की राय तो है कि १५ फीसदी पैदावार बढ़ सकती है, प्लानिंग कमीशन की राय है कि साढ़े १२ फीसदी पैदावार बढ़ सकती है। लेकिन मैं इन दोनों को न मानते हुये इतना तो जरूर मानता हूं कि सरकार अगर अच्छा बीज बांटने में और मल्टीप्लाई करने में कामयाब हो जाय तो मेरा विश्वास है कि कम से कम

१० फीसदी पैदावार प्रदेश में और देश में जरूर बढ़ायी ज' सकती है। इसलिए मैं आपके द्वारा मंत्री जी से चाहूंगा कि आंकड़ों के जाल में न पड़ करके केवल अच्छा बीज बांटने में कामयाब हों तो काफी कामयाबी हासिल हो सकती है। मंत्री जी ने कहा कि २५ एकड़ का फार्म एक कम्युनिटी ब्लाक में होगा, अब एक कम्युनिटी ब्लाक में लगभग १०० गांव होते हैं अगर अच्छी तरीके से बीज को पैदा किया जाय तो मेरा खयाल है कि वह ५०,००,००० एकड़ में से केवल ५०० एकड़ के लिये ही बीज पैदा कर सकते हैं जो बहुत नाकाफी है। तो वह बहुत नाकाफी है। इसलिये जो उस इलाके के रहने वाले अच्छे किस्म के काश्तकार हैं उनके यहां बीज को मल्टीप्लाई कराना चाहिये। पूरे तरीके से सर्वे कराना चाहिये कि कितना बीज उनके पास है और उन्हें सब्सिडी भी देनी चाहिये। मैं समझता हूं कि अगर मंत्री जी कोई कदम इस तरफ उठावेंगे तो वह बहुत बड़ी प्रदेश की सेवा कर सकेंगे।

जहां तक फर्टेलाइजर्स की बात है, इस पर भी बड़ी रिसर्च की जा रही है। कहा जाता है कि हम तो रिसर्च करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इससे इतनी पैदावार बढ़ जायेगी। मेरा तो निश्चित मत है कि जहां तक फर्टीलाइजर्स की बात है, अगर ठीक तरीके से हम खाद किसान तक पहुंचा सकें और उसका ठीक इस्तेमाल सिखा सकें तो हम २५ प्रतिशत अपनी पैदावार बढ़ा सकेंगे। जहां तक फर्टेलाइजर की बात है, एक बात मैं आपके द्वारा जरूर कह देना चाहता हूं कि आज किसान केवल उस समय फर्टेलाइजर को इस्तेमाल करता है जब कि किसान यह सोच लेता है कि एक रुपये की एवज में कम से कम दो रुपये की पैदा मिलने को है।

रिसर्च के सिलसिले में मैं यह कह दूं कि हमको ऐसी खाद इस्तेमाल करनी पड़ेगी जिसकी कम कीमत हो और किसान अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें। ग्रीन मैन्योर की तरफ हमारा विशेष ध्यान नहीं है। कहा गया है कि ग्रीन मैन्योरिंग कराई गई। लेकिन जितने पैमाने पर होनी चाहिये, मैं कह सकता हूं कि इस सरकार के जमाने में वह नहीं हुई। उसका कारण है। मैं दोषी नहीं कहता कृषि विभाग के कर्मचारियों को। सबसे बड़ा कारण है कि आज हमारे पास साधन नहीं है पानी का। उसके लिये इंतजाम करना पड़ेगा। हमको ऐसी ऐसी खाद निकालनी पड़ेगी जिसका थोड़ी सी कीमत में और कम पानी काश्तकार इस्तेमाल कर सके।

श्रीमन्, मैं कुछ और बातें आपके द्वारा बतला देना चाहता हूं। मैं विशेषकर रिसर्च विभाग का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूंगा। श्रीमन्, हमारे प्रदेश में और हमारे देश में कुछ ऐसी बदकिस्मती है कि एक कहता है बरसात ज्यादा हो, दूसरा कहता है कि कम हो। जिस तरीके से जाड़े के महीने में आलू वाला कहता है कि बरसात नहीं होनी चाहिये, ईख वाला कहता है कि होनी चाहिये। यही हालत है मक्का, ज्वार और पैडी (Paddy) के साथ। इसलिये इस तरफ रिसर्च विभाग को ध्यान देना चाहिये। आपको ऐसे बीज ईजाद करने चाहिये जो हर मौसम में हर तरीके से बोये जा सकें। गेहूं का बीज ईजाद करें, आलू का बीज ईजाद करें, ईख का बीज ईजाद करें कि कम पानी में हो सके। वेल्स में आलू की पैदावार बहुत होती है। लेकिन वहां पर बारिश भी बहुत होती है। जहां हमेशा बारिश होती रहती है वहां ज्यादा हो तो हमारे देश में ऐसा बीज क्यों नहीं ईजाद किया जा सकता जिससे हर मौसम में अच्छी फसल हो सके ?

श्रीमन्, गेहूं के बीज का बड़ा जिक्र किया जाता है कि उन्नत किस्म का बीज है, लेकिन श्रीमन्, मुझे आपके द्वारा यह कहते में दुःख होता है कि १९०२ में हमारे प्रान्त में १३ मन की एकड़ की पैदावार होती थी और आज लगभग ८ मन। अगर यही ईजाद का हस्र होने जा रहा है तो श्रीमन्, मैं यह कहूंगा कि ऐसे मुहकमे को बन्द कर देना चाहिये जो कि एक प्रतिशत भी हमारी पैदावार न बढ़ा सके। पैडी के बीज का भी जिक्र किया गया। मंत्री जी ने बड़ी

[श्री जगवीर सिंह]

फिगर्स दीं। जापानीज मैथड आफ् कल्टीवेशन का भी जिक्र किया गया, लेकिन हमारे प्रदेश में कुल पैडी का रकवा देश का ११.७ प्रतिशत होते हुये भी पैदावार केवल ९.६ प्रतिशत ही है जिसके माने यह हैं कि पैडी को पैदावार में हम बहुत से प्रान्तों से पीछे हैं। यह हमारी रिसर्च की हालत है।

एक बात मैं और कह दूं कि माननीय मंत्री जी ने बहुत कुछ पैदावार बढ़ाने के बारे में कहा, लेकिन अगर इस बजट को इस तरह से देखा जाय कि ५९–६० का जो यह बजट पेश है वह ३ करोड़ ५२ लाख के करीब का है और ५८–५९ का बजट ३ करोड़ ४७ लाख का था और रिवाइज्ड बजट था ३ करोड़ ३२ लाख का जिस के माने होते हैं कि १५ लाख रुपया कम खर्च किया गया। मैं जानना चाहूंगा कि जब मंत्री जी पैदावार बढ़ाने की बात कहते हैं और इस बात की दोहाई देते हैं कि हम पैदावार बढ़ाना चाहते हैं और पैसा कम है, एक तरफ वह दोहाई देते हैं खेता करने वालों की, वह दोहाई देते हैं किसानों की तो फिर अगर १५ लाख रुपया ऐसे जरूरी काम मे कम खर्च किया जाय तो यह शर्म की बात न होगी तो क्या है ? इस बजट की एक बात मैं और बता दूं कि १९५८–५९ का बजट ३ करोड़ ४७ लाख रुपये का था और इस साल के बजट में से अगर आप केवल डी० ए० को निकाल दें जोकि ८ करोड़ २३ लाख का है तो वह श्रीमन्, घटकर ३ करोड़ ४४ लाख रुपए का हो जाता है। इसके माने यह होते हैं कि हमारा सरकार का जो भी टार्जेट था उसे वह पूरा कर चुकी और अब वह और किसी प्रकार का विकास नहीं चाहती। वह पैसा कम खर्च करना चाहते हैं लेकिन लक्ष्य ऊंचा रखना चाहते हैं, किस प्रकार से यह दोनों बातें साथ चल सकती हैं ?

गन्ने की बात भी कही जाती है कि बड़ी बड़ी रिसर्च हमारे यहां हो रही है। गन्ना हमारे यहां की ऐसी कैशक्राप है कि जिस के ऊपर आज हमारे गांव वालों का जीवन निर्भर है। आज न मालूम क्या बदकिस्मती है कि उधर के बैठने वालों के पास बड़ी अच्छी दलील है कि जितनी जमान गन्ने के नीचे है उसका एकरेज बढ़ता जाता है। हमारे उधर के लोग बड़े आंकड़े देते हैं लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आज आप देखें तो हमारे प्रदेश में कैशक्राप्स का रकबा घटा है और फर्क हमारे सोचने के ढंग में है। पहले हमारे सूबे में ऐसी कोई जिन्स थी जैसे लिनसीड, आयलसीड, काटन, शुगरकेन और ओपियम आदि। आज इन सब कैशक्राप्स को छोड़कर केवल गन्ने पर ही ज्यादा जोर दिया जा रहा है और गन्ने का रकबा बढ़ा है, ऐसी बात नहीं है और यह कहना गलत है कि कैशक्राप का रकबा बढ़ा है और फूड क्राप्स का घटा है। गन्ने के बारे मे मैं यह रहा का था कि हमारे यहां उस के बड़े बड़े बीज निकाले गये, रिसर्च हुई लेकिन इस सब का नतीजा क्या हुआ ? हमारे यहां गन्ने से चीनी निकलती है ९ १/२ प्रतिशत, साउथ में निकलता है साढ़े ११ फीसदी और हवाइयन आइलैंड में साढ़े १२ फीसदी और साथ ही साथ हमारे यहां से साउथ में पैदावार चौगुनी और हवाइयन आइलैंड में १२ गुनी। तो श्रीमन्, आज यही नतीजा है हमारे रिसर्वेज का और ईजादों का कि गरीब किसानों की हालत ऐसी हो जाय कि उसकी पैदावार न बढ़ सके, उसके गन्ने की कीमत इसलिये न बढ़ायी जा सके क्योंकि हमारे यहां साढ़े ९ फीसदी चीनी निकलती है। तो मैं समझता हूं ऐसे रिसर्च मुहकमे को खत्म करने की बात सरकार सोचे तो अच्छा होगा।

श्रीमन्, आपके द्वारा दो, एक बातें और कह देना चाहता हूं, मंत्री जी के मुहकमे के करप्शन की बाबत। यों तो हर मुहकमे में भ्रष्टाचार जारी है, लेकिन कृषि में अजीब किस्म का भ्रष्टाचार है। मुझे याद आ गया, जिस तरह इन्द्र भगवान जब किसी की तपस्या पूर्ण होने को हुआ करती थी तो अप्सरा भेज दिया करते थे तो इनके यहां भी अप्सरा हैं—बीज की, सवाई की और परचियों की अप्सरा गन्ने के मुहकमे में। उनको भेज दिया जाता है कि जाओ किसान की तपस्या को भंग कर दो और जिसका खुला नमूना देवरिया में जिस वक्त गेंदा सिंह जी की गिरफ्तारी की गयी तो देखा। वहां के अधिकारियों ने जब कानून और कायदा तोड़

कर चाहा कि हड़ताल को खत्म कर दिया जाय तो उन अप्सराओं का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश का। अधिष्ठाता महोदय, मैं चाहूंगा कि इन सब बातों की ओर मंत्री जी ध्यान दें ।

श्री अधिष्ठाता--आपका समय समाप्त हो गया ।

अब मैं अन्य कटौती के प्रस्ताव लिये लेता हूं । तो जितने माननीय सदस्य उपस्थित हैं उनके कटौती के प्रस्ताव मान लिये गये कि वह प्रस्तुत किये गये । अब जितने कटौती के प्रस्ताव हैं उन्हीं तक उन पर भाषण सीमित रखे जायेंगे ।

[१--श्री ताराचन्द महेश्वरी--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य--नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है ।

उपकरण गवेषणा--स्टेशन, (इम्पलीमेंट रिसर्च स्टेशन) नीलगांव के अस्थाई पदों को स्थाई पदों में परिवर्तित किये जाने की अनावश्यकता पर विचार ।

२--श्री राजनारायण तथा श्री उग्रसेन--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य--विशेष विषय जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है ।

बीज वितरण की दोषपूर्ण व्यवस्था से असहमति ।

३--श्री ब्रजनारायण तिवारी तथा श्री शिवप्रसाद नागर--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि मे १ रुपया की कमी कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य--विशेष विषय जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है ।

अन्नोत्पादन का घटना ।

४--श्री नवल किशोर--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १,००,००० रुपये की कमी कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य--विशेष विषय जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है ।

निर्माण योजना के अन्तर्गत उपकरणों के क्षेत्र-परीक्षण-संगठन अलग से बनाने के औचित्य पर विचार ।

अनुदान संख्या ४७--कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत ।]

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह (जिला गोंडा)--श्रीमन्, हमको अवसर मिलेगा पेश करने के लिये ?

श्री अधिष्ठाता--उसके लिये ऐसा है कि माननीय सदस्य खड़े हो जायं, उनको समय मिल जायगा भाषण करने के लिये ।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--श्रीमन्, मुझे यह कहना है....

श्री अधिष्ठाता--बिना आज्ञा के आपको इस तरह बोलने का अधिकार नहीं है, पहले आज्ञा प्राप्त कीजिये ।

[ ] अनुदान संख्या २३ के अन्तर्गत ये कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये गये, परन्तु श्री अधिष्ठाता की आज्ञा से प्रस्तुत किय गये माने गये ।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट—आप श्रीमन्, आज्ञा दे दीजिये, कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—जी नहीं, आप बैठ जाइये।

श्री दुर्योधन (जिला गोरखपुर)—माननीय अधिष्ठाता जी, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इस मुल्क में अगर कृषि की समस्या सुलझाई जाय तो मुझे उम्मीद है कि हमारे देश की सारी समस्याएं हल हो जायंगी। इस कृषि-प्रधान देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर यह कहावत चरितार्थ होती है कि "डांड़ पर बैठ कर मछली वसूला करते हैं"। तो मैं यह कहता हूं कि हमारे मुल्क में कुछ ऐसी जातियां और बिरादरी के लोग हैं जो खेती तो नहीं करते, बल्कि दूसरे से करवाते हैं। उनके पास लम्बे-लम्बे खेत हैं। उस खेती का फर्जी परताल कराकर उसको अपने पास रखे हुए हैं। आप जानते हैं कि इस मुल्क में ज्यादातर हरिजन जाति से ही लोग खेती का काम कराते हैं। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो कौम इस मुल्क में खेती करती है.....

श्री अधिष्ठाता—आप जरा एक मिनट के लिये बैठ जाइये। इसमें दो कटौती के प्रस्ताव हैं, एक तो है जोत की सीमा निर्धारण के सिद्धान्त पर विचार, दूसरा है सहकारी खेती की नीति का विरोध। मैं इन दोनों कटौती के प्रस्तावों को अस्वीकार करता हूं, इन पर विचार नहीं होगा इसलिये कि अनुदान में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। तो इनके ऊपर यहां बहस नहीं हो सकती।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट—आपने अभी व्यवस्था दी थी कि सब के सब कटौती के प्रस्ताव मूव किये हुये मान लिये गये। अब उसके खिलाफ यह आप कैसी व्यवस्था दे रहे हैं?

श्री अधिष्ठाता—आप बैठ जाइये। जब मैंने पढ़ा तो देखा कि इन दोनों विषयों का इस अनुदान में समावेश नहीं है।

श्री दुर्योधन—मैं कह रहा था कि इस मुल्क में खेती की तरक्की कैसे हो सकती है? खेती की तरक्की के लिये चार बातों का होना नितान्त आवश्यक है। एक तो बीज अच्छा हो, दूसरे खाद अच्छी हो, तीसरे पानी की सुविधा हो और चौथे श्रम हो। फिर कोई वजह नहीं है कि खेती की उन्नति न हो। एक किसान होने के नाते मैंने अपनी भूमि में खुद तजुर्बा किया है। इस साल असेम्बली से छुट्टी मिलने के बाद कुछ खेतों को मैंने अपने हाथों से कर के देखा तो ६० मन धान प्रति एकड़ मैंने पैदा किया। आप यह समझ लीजिये कि आज हमारे देश में जो बीज की समस्या है वह कैसे हल की जा सकती है। भदई के बीज को अच्छा बनाने के लिये गांव में काश्तकारों से रप्त जप्त स्थापित कीजिये। आपको मैं यह बताना चाहता हूं कि धान का बीज कैसे प्योर हो सकता है। धान की बालियां काट के उनको पानी के अन्दर भिगो दीजिये। उसके अन्दर जितना दूसरी तरह का धान होता है उसमें उनके दाने दिखायी देने लगते हैं। उनको छांट कर निकाल दीजिये। इस तरह प्योर बीज वहीं पैदा किया जा सकता है और बीज की कमी को दूर किया जा सकता है।

रहा खाद के बारे में, तो मैंने हर तरह की खाद बना कर देखा है, कम्पोस्ट खाद, गोबर की खाद और गांव में जो बगीचे होते हैं उनकी पत्तियों की खाद। पत्तियों की खाद इतनी अच्छी होती है कि उसको अगर गड्ढे में ठिकाने से सड़ाया जाय जैसा कि उसे सड़ाया जा सकता है, दो चार गाड़ी गोबर की खाद के मुकाबले में इसकी एक गाड़ी खाद ज्यादा मुफीद होगी। यह मेरा स्वयं का तजुर्बा है।

मेरे पास केवल १५ एकड़ खेती है, लेकिन मैंने ५ साल तक लगातार अपने हाथ से खेती करके ४० आदमियों के परिवार का खर्चा बड़े मजे में चलाया है और किसी से कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो मेरा ऐसा विश्वास है कि अगर खाद को सुचारु रूप से बनाया जाय और खेत में दिया जाय तो पैदावार बढ़ सकती है।

तीसरी चीज जो पानी की है, इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार की तरफ से काफी प्रयत्न किये गये कि गांवों में पानी की सुविध हो जाय, लेकिन सरकारी अधिकारियों ने उसमें बहुत बाधा पहुंचाई है । अगर किसी गांव में कुआ खोदने के लिये ५०० रुपये मन्जूर होते हैं तो १०० रुपये तक तो वे किसानों से ले लेते हैं रुपया दिलाने में । इसलिये सरकार अधिकारियों का यह रवैया बड़ा दोषपूर्ण है ।

चौथी बात श्रम की है । इसमें ऐसा होता है कि खाली पड़ा हुआ आदमी बहुत कम खाता है । लेकिन जो आदमी खेत में फावड़ा चलाता है या अधिक खेत का काम करता है उसे ज्यादा खाने की जरूरत पड़ती है । लेकिन आज दशा यह हो रही है कि हमारे गांव के मजदूर निर्बल होते चले जा रहे हैं । उनके अन्दर शक्ति नहीं है जिससे वह अच्छी तरह से श्रम नहीं कर पाते हैं और पैदावार घटती चली जा रही है और मेरा विश्वास है कि अगर शक्ति होती तो ज्यादा काम करते और हमारा खेत भी अधिक सफलभूत होता । पांचवीं बात है खेत की जुताई । अगर जुताई ठिकाने से हो तो पैदावार बढ़ सकती है । लेकिन इसके बारे में यह है कि एक तरफ तो माल मंत्री जी तकाबी बांटा करते हैं और दूसरी तरफ दो-दो रुपये के लगान में काश्तकारों के बैल नीलाम करते हैं जिससे उनके खेत की जुताई नहीं हो पाती है । इसलिये मेरा सुझाव है कि किसान की और चीजें नीलाम की जायं लेकिन बैल कदापि नीलाम न किया जाय ।

हदबंदी के बारे में मेरा ऐसा विश्वास है कि यह सरकार नहीं कर सकती है । इसका कारण यह है कि इसके करने के बाद खेत उनको मिलने वाले हैं जो तबाह रहते हैं, बरबाद रहते हैं । इसलिये मुझे इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है कि वह मुल्क में, हदबंदी कर सकेगी । मैं कोआपरेटिव खेती और सहकारी खेती के पक्ष में हूं ।

श्री अधिष्ठाता--माननीय सदस्य, आप इस पर भाषण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह अनुदान में नहीं है और मैंने कटौती के प्रस्ताव को भी अस्वीकृत कर दिया है ।

श्री दुर्योधन--गन्ने की खेती के बारे में जो कोआपरेटिव सोसाइटी बनाई गई है उनसे मुझे ऐसा विश्वास था कि इससे लोगों को काफी मदद मिलेगी, लेकिन इससे लोग भागते चले जा रहे हैं । मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिन लोगों के पास खेत हैं और वह अगर सरकारी नौकरी के लिये दरख्वास्त दें तो उनको नौकरी देने से पहले से उनका खेत ले लिया जाय या उनसे कहा जाय कि श्रम से खेती करो और पैदावार बढ़ाओ । जितने आपके यहां सुपरवाइजर और कामदार हैं उनके घर पर जो खेत होता है उसकी जांच होनी चाहिये कि कैसी खेती होती है । अगर उनके घर पर अच्छी खेती नहीं होती है तो वह दूसरे की खेती को सुपरवाइज क्या कर सकते हैं ? और उनकी नौकरी खत्म की जाय और उनकी जगह उसको रख जाय जो अच्छी खेती करते हों । मुझे यही कहना है कि सरकारी सुपरवाइजरों और कामदारों के घर पर अच्छी खेती नहीं होती है, इसलिये इसके आंकड़े इकट्ठे किये जायं कि उन्होंने कितनी तरक्की की है या खेती का पैदावार बढ़ाई है .....

श्री अधिष्ठाता--माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान पर जो मैंने कटौती प्रस्ताव पेश किया है उस पर अपने विचार व्यक्त करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मेरे क्षेत्र में यांत्रिक कृषि फार्म नीलगांव में है और इस फार्म के गवेषणा स्टेशन के कुछ पदों को स्थायी करने की बजट में व्यवस्था है, मैंने इसके विरोध में अपना प्रस्ताव भेजा है । इस प्रस्ताव के भेजने के सिलसिले में मेरा मंशा यह हरगिज नहीं है कि जो कर्मचारी अस्थायी हैं उनको स्थायी न किया जाय, परन्तु मैं इस पूरे फार्म का जिस तरह से संचालन होता है उससे खेती को पैदावार नहीं बढ़ती तो मैं ऐसा मानता हूं कि यह सारा पैसा एक प्रकार से व्यर्थ ही खर्च किया जा रहा है ।

डाक्टर अवधेश कुमार सिनहा (जिला सीतापुर)---श्रीमन्, यह काहे पर बोल रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता---अपने कटौती के प्रस्ताव पर बोल रहे हैं।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---श्रीमन्, खेती की पैदावार बढ़े इसमें दो राएं नहीं हो सकतीं, लेकिन मैं बड़ी नम्रतापूर्वक यह विचार रखूंगा कि यह ऐग्रीकल्चर फार्म लगभग ८-१० साल से कार्य कर रहा है और इसमें कई किस्म के रिसर्च के काम भी होते हैं, लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा कि उत्तरोत्तर जिस तरह से रिसर्च का काम किया जा रहा है उसका असर क्या खेती की पैदावार के बढ़ाने पर भी कुछ हुआ या नहीं हुआ ? यदि नहीं हुआ तो मैं यह मानकर चलता हूं कि मेरा यह सुझाव ठीक है कि उन सारे रिसर्चों को व्यर्थ में ही आप स्थायी करना चाहते हैं और इस कृषि-सांख्यिकी कार्य को व्यर्थ ही संचालन कर रहे हैं। यदि यह सारा फार्म वहां के रिसर्च किसानों को दे दिया जाय तो वह खेती की पैदावार बढ़ाने में समर्थ हो सकते हैं। नीलगांव जो से मिला हुआ करीब चार मील के फासले पर एक रमनगरा गांव है, इस फार्म से मिला हुआ है। उस गांव के एक हरिजन भाई जिनका नाम सरजू प्रसाद है उस ने अपने एक एकड़ में ७५ मन या ७३ मन पुआल आदि पैदा किया। तो मैं बड़ी नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि सारी मैशीनरी इस फार्म पर दस, बारह साल से लगी हुई है, लेकिन उन्होंने इस तरह का कोई उदाहरण नहीं उपस्थित किया जिससे काश्तकार अधिक अन्न पैदा करने की तरफ आकृष्ट होता। श्रीमन्, मैं एक मौलिक विचार की तरफ, आपके द्वारा, सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह अन्न की पैदावार बढ़ाने से सम्बन्धित है।

श्री अधिष्ठाता---श्री ताराचन्द माहेश्वरी, जी जो आपका कटौती का प्रस्ताव है उसके परे आप नहीं जायेंगे। जितना आप का सब्जेक्ट मैटर है उसी पर सीमित रखेंगे।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---मैं आपकी आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन करूंगा, लेकिन जो मेरा कटौती का प्रस्ताव है उसमें हमें पदों को स्थायी न करने के सम्बन्ध में, तर्क करने की कुछ तो छूट होनी चाहिये। श्रीमन्, जब मैंने इन पदों के सम्बन्ध में अपना कटौती का प्रस्ताव भेजा तो मैं पहले ही प्रगट कर चुका हूं कि इसका सम्बन्ध उस रिसर्च से भी है जिसकी तहत में हमारी पैदावार बढ़े, चाहे गन्ने की हो या गल्ले की हो। तब श्रीमन्, मैं इसको कहने के लिये विवश हूं कि अन्न की पैदावार बढ़ाने के जितने प्रयत्न किये जा रहे हैं उसका उतना परिणाम नहीं निकल रहा है। वह परिणाम क्यों नहीं निकल रहा है, उसके सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि सरकार प्रत्येक पंचायत अदालत के क्षेत्र में एक-एकगांव में या किसी गांव में इस तरह की मदद करे किसान की, जो किसान मदद लेना चाहे, या स्वयं किसी जमीन को किसी किसान से लेकर उसकी मर्जी से और उसकी पैदावार फिर उसी किसान को दे दी जाय और उस पर खाद पानी यह सारी चीजें दें और देने के बाद एक नमूना बना दिया जाय। यदि एक अदालती पंचायत के क्षेत्र में इस तरह से जमीन की पैदा करने की शक्ति इतनी बढ़ सकती है तो उसका असर पड़ेगा और किसान उसका अनुसरण करेगा। यदि हम केवल यहां के किसान से यह कहते रहें कि तुम यह करो, इस तरह से करो, पैदावार बढ़ेगी, तो उसका ध्यान उस तरफ आकृष्ट नहीं होता। उसका कारण है...

श्री अधिष्ठाता---माननीय सदस्य, आप अपने विषय से परे जा रहे हैं। आप इसी के सम्बन्ध में अपना भाषण सीमित रखें और अगर आपके पास प्वाइंट्स न हों तो आप बैठ सकते हैं।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---इस सम्बन्ध में श्रीमन्, मैंने अपने विचार व्यक्त किये। अब यदि मुझे थोड़ी छूट नहीं मिलेगी तो मैं विवश हूं।

श्री अधिष्ठाता---आपका प्रस्ताव यहीं तक सीमित है। श्री कल्याण राय।

डाक्टर अवधेश कुमार सिनहा---श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने उपकरण गवेषणा स्टेशन, नीलगांव के अस्थाई पदों के बारे में कटौती का प्रस्ताव

दिया है । यह एक मेकेनाइज्ड फार्म है और जो कुछ भी इतनी देर तक माननीय ताराचन्द जी ने कहा है वह उसमें आता नहीं । वह पशुपालन विभाग में है । तो वह सब वापस लें, उसकी कटौती उसमें नहीं है, श्रीमन् ।

श्री अधिष्ठाता---आपका मतलब यह है कि यह उपकरण, गवेषणा स्टेशन (इम्पलीमेंट रिसर्च स्टेशन) नीलगांव, यह कृषि से सम्बन्धित नहीं है, पशुपालन से है ? कौन सा पेज है बजट का ?

डाक्टर अवधेश कुमार सिनहा---पेज है श्रीमन्, २२८ । यह आदरणीय सदन का इतना समय नष्ट किया.....

श्री अधिष्ठाता---माननीय कल्याण राय जी, आप अपना भाषण जारी रखें । मैं इसको अभी देख लेता हूं ।

श्री कल्याण राय (जिला रामपुर)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है उसका समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । मैं एक बहुत छोटी जगह का रहने वाला हूं । ज्यादा से ज्यादा तीन चार सौ आदमी उस गांव में रहते हैं । तीन, साढ़े तीन सौ वोट हैं और बहुत छोटी जगह है और बहुत बैकवर्ड इलाका है । कृषि के सम्बन्ध में आप से यह कहना चाहता हूं कि कृषि की पैदावार किस तरह से बढ़नी चाहिये, कैसे बढ़े ? इस साल भी कम से कम ४५ मन प्रति एकड़ का एवरेज मेरे यहां धान की पैदावार का हुआ है । अगर एकाध एकड़ का या बीघे दो बीघे का लिया जाय तो मेरे ख्याल से ६०, ७०, ७५ मन के करीब होता । और न वहां कोई पानी का साधन है, कुदरत-ईश्वर की देन से काम चलता है । हमारे यहां का किसान इस ढंग से कृषि करता है कि धान बोया जाता है छिड़काव से क्योंकि इतने मजदूर तो हमारे यहां मिलते नहीं, आदमी थोड़े हैं और इलाका वीरान है । बलिया वगैरह में आदमी ज्यादा हैं, लेकिन हमारी तरफ आदमियों की कमी है । तो उस में इस ढंग से खेती होती है कि पहले धान बोया । जब एक महीने या २० दिन का हो गया तो उसको हम जोतवा देते हैं और जोतवाकर फिर पटेला दिलवा देते हैं। पटेला दिलवाकर फिर उसका पानी निकाल देते हैं । फिर उसमें कुदरती खाद पैदा हो जाती है । हम न तो कभी खाद डालते हैं, इतनी खाद कहां मिल सकती है काश्तकार को ? हालांकि मेरे पास खाद होता है पर वह इतना नहीं हो सकता है । वह सब उसी से ही पैदा हो जाता है । इस तरह से धान की पैदावार बहुत बढ़ती है । इधर जो खरीफ फसल बोते हैं उसमें हम ऐसा करते हैं कि ज्वार पहले बो देते हैं, ज्वार, उरद, और अरहर भी बो देते हैं । इसके बाद हम उसी जमीन पर गेहूं की फसल भी बोते हैं । पहले उसको तैयार करते हैं । वह हल चलाने से इस तरह से मुलायम हो जाती है कि उसमें गेहूं की पैदावार का १६, १५ मन एकड़ से कम एवरेज नहीं आयेगा । इसमें मेहनत करना जरूरी होता है । मैं खुद किसान हूं और मुझे जब वक्त मिलता है अपने क्षेत्र से घूमने के बाद या असेम्बली से जाने के बाद, जब मैं देखता हूं तो मुझे शौक है और खुद मेहनत करता हूं और इतनी मेहनत करता हूं कि लोग मुझे कहने लगते हैं कि मुन्शी जी आप इतनी मेहनत क्यों करते हो जब कि इतने सारे आदमी करने वाले हैं लेकिन मुझे खुद खेती करने का शौक है । इस वजह से मैं खुद मेहनत करना चाहता हूं और पैदावार बढ़ाता हूं ।

डाक्टर अवधेश कुमार सिनहा---श्रीमन्, आपने आदेश दिया था कि इस पर बहस नहीं करना चाहिये फिर भी वह कर रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता---मैं उसको देख रहा हूं ।

श्री कल्याण राय---हम यहां पर ४३१ एम० एल० ए० हैं । अगर सब मिलकर सहयोग करें तो अपने मुल्क में खेती की पैदावार जरूर बढ़ सकती है । मैं खुद जानता हूं कि यह

[श्री कल्याण राय]

ऐसी मुश्किल बात नहीं है कि जिससे मुल्क की तरक्की न हों। इसमें मेहनत करने की बहुत जरूरत है और शौक की जरूरत है। मेरे पास २५, २६ एकड़ जमीन का हिस्सा है। इसमें हम ४, ५ भाई, भतीजे मिलकर कोशिश करते हैं और मेहनत करते हैं। हमारे पास दो ट्रेक्टर भी हैं मगर हम मिलकर सब मेहनत करते हैं। आप हमारे यहां चलकर देखिये कि बिला पानी के गेहूं इतना फर्स्ट क्लास है कि जो नम्बर १ कहा जा सकता है। हर फसल में इसी तरह से यह एक नम्बर का पैदा होता है। मैंने तो अपने जीवन में जो भी तरक्की की है वह इसी खेती के सहारे तरक्की की है। भगवान् की कृपा से मेरे पास मोटर, हाथी, ट्रेक्टर, अच्छे बैल सब कुछ हैं। यह जो आपकी मेहरबानी से मुझे मिला वह सब खेती में मेहनत करने से मिला है। मेरा तो यह पूरा विश्वास है कि अगर हम सब ४३१ सदस्य मिलकर कोशिश करें तो यह काम कोई मुश्किल नहीं है कि हमारे देश की तरक्की न हो। मुल्क के बनाने में सब को हाथ बटाना चाहिये। हम यहां पर ४३१ हैं और एम० एल० सीज० के मिलकर कुल लगभग ५०० हो जाते हैं। यदि हम लोग चाहें तो खेती की तरक्की बिलकुल हो सकती है। हमारे विरोधी भाई हमारी मुखालफत भी करें लेकिन इसमें हम सब को साथ में रहना चाहिये और हमको इसमें उनको सहयोग देना चाहिये। हमारा यह प्रयत्न होना चाहिये कि काश्तकार को वक्त पर बीज मिले। जिस वक्त काश्तकार बीज चाहे उसको उस वक्त बीज मिलना चाहिये। ऐसा नहीं होना चाहिये कि तहसीलदार इन्क्वायरी करने के लिये जावे और फिर जांच करने के बाद बीज मिले। इससे यह होता है कि बीज का वक्त निकल जाता है। किसान को, बीज हो या कर्जा हो या जो भी आप मदद देना चाहें, वह वक्त पर मिलना चाहिये। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है। हम और आपको मिलकर इस मुल्क को बनाना है। यह चीज ऐसी है कि जिसको महात्मा जी ने, पं० जवाहरलाल नेहरू जी और पन्त जी बराबर कहते रहते हैं कि अधिक पैदावार बढ़ाने की जरूरत है। सब जानते हैं कि अन्न की इतनी कमी आ गयी है जिससे लोग भूखे मर रहे हैं और पैदावार बढ़ती नहीं है। मैं कहता हूं कि जितनी भी मेहनत हम इस खेती के काम में करेंगे उतनी ही देश की तरक्की होगी और यहां पर अन्न की पैदावार अधिक होगी। यह हम लोगों के हाथ में ही है कि हम मेहनत करें या न करें। इसलिये मेरा निवेदन है कि हमको हमेशा खेती के काम के लिये उन्नति करने का प्रयत्न करना चाहिये और हमेशा इसके लिये तैयार रहना चाहिये। इसलिये मेरा यह विश्वास है कि देश को बनाना और बिगाड़ना यह सब कुछ हमारे ही हाथ में है।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा---मेरे वैधानिक प्रश्न के बारे में क्या रहा ?

श्री अधिष्ठाता---आपने जो एतराज उठाया कटौती के प्रस्ताव के सम्बन्ध में, तो यह कटौती का प्रस्ताव कृषि अनुदान में है, उसमें कृषि सम्बन्धी विकास, अभियन्त्रण और गवेषणा आदि सब ही इसके अन्दर आते हैं। आप देखें इसमें दिया हुआ है। कटौती प्रस्ताव इस कृषि अनुदान के अन्तर्गत है।

डाक्टर अवधेश कुमार सिनहा---मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित....

श्री अधिष्ठाता---मैं रूलिंग दे चुका हूं। आप मेरे कमरे में बात कर लीजियेगा।

श्री राजनारायण---अधिष्ठाता यह व्यवस्था करते रहे हैं कि जिनके कटौती के प्रस्ताव पेश किये हुए मान लिये गये हैं उनको बुलाया जाय.....

श्री अधिष्ठाता---आप खड़े नहीं हुए। आप खड़े हों तो आपको भी बोलने का मौका मिलेगा।

श्री रघुवीर सिंह (जिला एटा)---श्री जगवीर सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। खेती हमारे देश के लिये ही नहीं, संसार के लिये एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। आज हमारे माननीय मन्त्री जी ने भी यह कहा कि जब तक हम

खेती की उपज नहीं बढ़ा लेंगे तब तक किसी भी तरह हमारी उन्नति, विकास नहीं हो सकता। हमको इस बात का सब्र है कि आज उन्होंने यह बात कहीं तो। और यह तब कहा जब कि कल हमारे माननीय पं० नेहरू ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में जब तक खेती का विकास नहीं हो पायेगा हम किसी और विकास को नहीं कर सकेंगे।

मान्यवर, हमारे प्रदेश की भूमि और जलवायु इस योग्य है कि हम संसार भर में इस बात के लिये प्रसिद्ध थे कि हमारे यहां अन्न का अधिक उत्पादन होता था, लेकिन आज हमारा दुर्भाग्य है कि हम एक-एक दाने के लिये दूसरे देशों का मुंह ताकते हैं। श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में तरह-तरह के विकास की योजनायें चल रही हैं, लेकिन जब खेती को ही विकास की आधारशिला माना जाता है तो क्यों नहीं इसी पर काफी रुपया खर्च कर दिया जाता? अगर हम अपने विकास की अन्य योजनाओं को समाप्त करके सारा रुपया खेती के विकास के लिये ही लगायें, और कुछ करने के पहले खेती का काम करें तो हम अपनी सब योजनाओं को इसके द्वारा ही सफल बना सकते हैं। श्रीमन्, हमारे देश में दो तरह के मनुष्य रहते हैं---एक बुद्धिजीवी और दूसरे श्रमजीवी। श्रमजीवियों का काम है कि उत्पादन करें, उपज बढ़ायें और बुद्धिजीवियों का काम है कि वे उनकी उपज को मनमाना खर्च करें और उनके साथ कठोरता का व्यवहार करें। यही कारण है कि इस खेती की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

श्रमजीवी न तो सरकार में आ पाते हैं और न उनकी कोई आवाज है। बुद्धिजीवी मनमानी करते हैं और देश की उपज को मनमाने ढंग से खर्च करते हैं। यदि खेती की उन्नति की गयी होती तो आज हमें यह दिन देखने को न मिलता। हमें यह देखना चाहिये कि खेती में किन-किन बातों से बाधा पड़ती है। श्रीमन्, कुछ तो दैवी प्रकोप हैं, जैसे अधिक वर्षा, आवश्यकता से कम वर्षा का होना, ओले, पाला, इत्यादि या कीड़े, मकोड़े, टिड्डी आदि से नुकसान होना। यह तो दैवी प्रकोप हैं कि जिन पर मनुष्य का वश नहीं रहता, इनके लिये हम सरकार पर कोई लांछन नहीं लगा सकते, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि जो सरकार के करने की हैं और सरकार उन पर ध्यान नहीं देती, जैसे यथा समय बीज देना, सिंचाई का समुचित प्रबन्ध करना। इस मामले में मैं इतना अवश्य कहूंगा कि प्रदेश की कुल भूमि के १/३ भाग पर सिंचाई हो पाती है। सिंचित क्षेत्र के आधे से अधिक भाग पर किसानों के अपने प्रयत्नों द्वारा, कुओं आदि द्वारा सिंचाई होती है और बाकी १/३ भाग पर झीलों और तालाबों से सिंचाई होती है। मेरा अनुमान है कि सिंचाई होने वाले क्षेत्र का १/१० भाग भी सरकारी साधनों द्वारा सिंचित नहीं किया जाता। अगर सिंचाई पूर्णरूपेण की जाय तो पैदावार कई गुनी बढ़ जाय। एक सुझाव यह भी है कि सरकार तरह-तरह के खादों या तरह-तरह के अनुसंधानों द्वारा उपज बढ़ाना चाहती है। इससे इतना प्रभाव उपज के बढ़ने पर नहीं पड़ेगा जितना कि मेरे इस सुझाव से पड़ेगा। मंत्रिगण यह कहा करते हैं कि जो कुछ भी टैक्स या लगान के रूप में लेते हैं उसको जनता पर बरसा देते हैं। वह वर्षा जहां तक मेरा अनुमान है ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होती, शहरी क्षेत्रों में हो जाया करती है। वह अगर ग्रामीण क्षेत्रों में की जाय, उसकी रूप-रेखा बना दी जाय जैसे अगर गर्मी की पलेवा और हरी खाद के बीने की आबपाशी व्यवस्था अगर सरकार मुफ्त करा दिया करे तो किसान को बहुत सी हरी खाद बोकर रबी की फसल को और पलेवा करके मक्का की खेती को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिल सकता है और जब वह मक्का जल्द कट जायेगी, क्योंकि पलेवा की गयी बोयी गई है तो रबी की फसल भी बढ़िया होगी।

श्रीमन्, मैं पहले कह चुका हूं कि बुद्धिजीवी लोगों का बोल बाला है, यह लोग किसान की हर समय उपेक्षा करते रहते हैं। कानून ऐसे बने हैं जिससे किसान बड़ी दिक्कतों में फंस जाता है। उनके कानून अक्सर ऐसे बनते हैं कि किसान मुकदमेंबाजी में पड़ जाता है जिससे उसको वकीलों को मेहनताना और अहलकारों को नजराना देना पड़ता है और ५०-५० तारीखें लगती हैं जिससे

[श्री रघुवीर सिंह]

उसका समय और पैसा नष्ट होता है । जब किसान आज इतना निर्बल है और वह इस तरह से तरक्की नहीं कर सकता तो यह कहां तक उचित है कि सरकार उसको सुविधा न दे, अतः माल के मुकदमों में सरकार अपने अधिकारियों को आदेश दे दे कि कम से कम तारीखे लगें ।

श्री अधिष्ठाता---मुकदमेबाजी का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है, आप कटौती के प्रस्ताव पर ही अपना भाषण सीमित रखें ।

श्री रघुवीर सिंह---श्रीमन्, मैं यही कह रहा हूं कि किसान को सुविधा न देने से उसका मूल्यवान समय और पैसा नष्ट होता है । दूसरा मेरा सुझाव यह है कि मेरी राय में खेती और सिंचाई का अटूट सम्बन्ध है इसलिये एक ही भाग्यविधाता के हाथ में यह दोनों विभाग रहें तो ज्यादा मुनासिब होगा । अगर हम कोई बात माननीय मन्त्री के सामने कहें सिंचाई के सम्बन्ध में तो चूंकि वह विभाग उनके पास नहीं है इसलिये उसका कोई विशेष असर नहीं होगा । इसलिये यह दोनों विभाग एक ही मन्त्री के हाथ में रहने चाहिये । आज जब हम यह देखते हैं कि इस समय खेती की उपज बहुत कम है तो हमको सभी विकास सम्बन्धी कार्यों को छोड़कर खेती की तरफ मुड़ जाना चाहिये और किसानों को अधिक से अधिक सुविधा देकर उनकी उपज बढ़ाने में प्रयत्नशील होना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री उबैदुर्रहमान (जिला बस्ती)---अधिष्ठाता महोदय, मैं बजट की ताईद में और कटौती के विरोध में खड़ा हुआ हूं । जाहिर है कि एग्रीकल्चर जैसा इम्पार्टेन्ट डिपार्टमेंट हमारे इस मुल्क में जिसमें कि ८५ फी सदी रहने वाले अपनी लिविंग के लिये इसपर डिपेन्ड करते हैं, कोई दूसरा नहीं हो सकता, इससे किसी को इनकार नहीं है । हमने रफ्ता-रफ्ता खेती का उत्पादन बढ़ाने में, साधन के इकट्ठा करने में, अच्छे बीज फराहम करने में और अच्छी खेती बाड़ी का सामान देने में अच्छी खासी तरक्की की है गो हमारी तरक्की अभी बहुत कुछ मांगती है कि उसमें इजाफे की जरूरत है, लेकिन उसकी वजूहात हैं । जब हम अपनी कमियों की तरफ नजर करते हैं तो उस वक्त यह भूल जाते हैं कि किन हालात में हम काम कर रहे हैं और किन लोगों से हम काम ले रहे हैं । अगर थोड़ा सा जायजा हम लें कि जिस वक्त हमें आजादी हासिल हुई उस वक्त मुल्क की क्या हालत थी, हमारा चरित्र कैसा हो चुका था और हमारी अशिक्षा आपसी झगड़े, भेदभाव और खुशगरजी, यानी वे खासियतें जो गुलामी के दौर में आ जाती हैं, वे सब हममें थीं और उन्हें हमको दूर करना था । यह काम एक आजाद कौम आसानी से और जल्द कर सकती है लेकिन जब हम इसकी एनेलेसिस करने बैठते हैं तो इन बातों को भूल जाते हैं । अगर हम उनको अपने सामने रखें तो हम देखेंगे कि इन मुश्किलात की हालात में जितनी तरक्की हम कर सके हैं वह संतोषजनक है गो कि बहुत कुछ करना बाकी है ।

मैं पूरब के जिले का रहने वाला हूं । इधर जब गवर्नमेंट ने खरीफ आन्दोलन चलाया, उसमें हमारे कर्मचारियों ने काफी अच्छा काम किया । गोरखपुर डिवीजन के कमिश्नर साहब से मेरी बात चीत हुई और जो डेटाज और फीगर्स और फैक्ट्स और फीगर्स उन्होंने जमा किये हैं उन्हें देखने से हमारी आशायें बहुत बढ़ जाती हैं । हमको उम्मीद होती है कि अगर इसी तरह से काम होता रहा तो बहुत जल्द हम अपने सूबे को इस हालत में ले आवेंगे कि गल्ले की कमी दूर हो जावेगी और हमारे पास इतना सरप्लस बचेगा कि हम अपने मुल्क को इंडस्ट्रियलाइज जल्द से जल्द कर सकें । जाहिर है कि अगर खेती की पैदावार बढ़ेगी तो हम इंडस्ट्री को अच्छी तरह से सोच सकेंगे । इंडस्ट्री चाहे छोटी हो या बड़ी, मगर वह खेती से मिली-जुली है । इंडस्ट्रीज से हमारी माली हालत ठीक होगी । इसे हमें इस दृष्टिकोण से देखना चाहिये ।

रहा यह कि हमारी मशीनरी को कुछ गेयर अप करने की जरूरत है । ठीक है, हमारे सरकारी कर्मचारियों को भी इधर अधिक ध्यान देना है गो कि इस डेमोक्रेटिक सेटअप में उन्होंने

अपने मिजाज को काफी बदला भी है । इसे हम रिकगनाइज करेंगे । कोई खास बात विरोधी दल की तरफ से नहीं बतायी गयी जिससे इस अनुदान को स्वीकार करने में रुकावट हो । रहा यह कि कमियों के असबाब हैं और वे समझे जा सकते हैं ।

(इस समय २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री राम नारायण त्रिपाठी पीठासीन हुए ।)

इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करते हुए और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करते हुए अपनी स्पीच खत्म करता हूं ।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट--उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं जो भी चेयर में बैठे हों, चाहे अधिष्ठाता हों या माननीय अध्यक्ष हों, अगर एक बार वह यह व्यवस्था दे दें कि कटौती के प्रस्तावकों के सबके नाम पुकार कर कि यह सब पेश मान लिये गये फिर उसके बाद भाषण शुरू हों, तो क्या बाद को यह व्यवस्था दी जा सकती है कि इनमें से २ मैंने पहले पढ़े नहीं थे इसलिये ये अस्वीकृत हुए ।

श्री उपाध्यक्ष--जो व्यवस्था जिनकी है उन्हीं के सामने रिवाइज करने की बात होनी चाहिये । उसी समय यह सवाल उठाना चाहिये था ।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट--पहली व्यवस्था को सदन ने शिरोधार्य कर लिया था, फिर दूसरी व्यवस्था पर एतराज किया गया ।

श्री उपाध्यक्ष--बहरहाल मैं उन माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दूंगा ।

श्री गरीबदास (जिला जालौन)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं उपस्थित कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । मंत्री जी ने अपने भाषण में जो सब्ज बाग लगाये हैं उनसे सिद्ध होता है कि देश में उत्पादन की कमी नहीं होगी और उन्होंने यह भी कहा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में वह अपने उत्पादन को दुगुना कर देंगे । बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन प्रथम पंचवर्षीय योजना में २,३५६ करोड़ रुपया विकास के लिये रखा गया था, जिसमें से ३७२ करोड़ कृषि के लिये और ३९५ करोड़ सिंचाई के लिये था । मतलब यह है कि ७६७ करोड़ रुपया कृषि और सिंचाई में रखा गया, यानी कुल योजना के खर्च का एक तिहाई रखा गया था, फिर भी उत्पादन बढ़ने के बजाय घटा । तो कहने में और करने में बहुत अन्तर है बल्कि उल्टा है । यह भी बात है कि इस देश के ८५ फीसदी आदमी कृषि करते हैं और अधिकांश मनुष्यों का जीवन कृषि के ऊपर आश्रित है परन्तु किसानों को बजाय सुविधायें देने के उल्टा हुआ । खेती के लिये जरूरी है कि समय पर पानी मिले, अच्छा बीज मिले और लगान कम होना चाहिये । लेकिन, श्रीमन्, इस राज्य में व्यवस्था है अमीरों के लिये । जो अमीर किसान १० गुना देकर भूमिधर हो गया है उसका लगान भी आधा हो गया है, लेकिन जो बेचारा १० गुना लगान नहीं दे सकता है उसे पूरा लगान देना पड़ रहा है । सहकारी समितियों से बीज मिलता है चाहे समय पर या असमय से मिले किन्तु जब महाजन के यहां १ साल में सवाया ब्याज लगता है तो ये समितियां जिनको सरकार ने व्यापार का साधन बना रखा है, ६ महीने में ही बीज का सवाया लेती हैं । किसान के साथ यह खिलवाड़ किया जाता है ।

इसी प्रकार सिंचाई की बात है हालांकि कृषि मंत्री जी का वह विषय नहीं है । किन्तु कृषि और सिंचाई का घनिष्ट संबंध है । हर गांव और क्षेत्र में कुछ व्यक्ति निर्बल और कुछ सबल होते हैं । जो सबल हैं वे कई बार पानी लेकर जो टैक्स देते हैं वही कमजोर किसानों का केवल १ बार ही पानी मिलने पर देना होता है । तो यह दुरंगा नीति है, जो अमीरों के पक्ष में है और गरीबों के पक्ष में नहीं है । जो आदमी भूमिहीन है, जो खेतिहर मजदूर है, जो कृषि करते हैं और जिनके पास पट्टे की भूमि नहीं है, उनके लिये किसी प्रकार का सुझाव नहीं किया गया है ।

[श्री गरीब दास]

श्रीमन्, मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि पिछले वर्ष बजट भाषण में उद्योगों पर महत्व दिया गया था लेकिन इस साल कृषि पर महत्व दिया जा रहा है। समझ में ही नहीं आता कि सरकार की नीति कब पलटता है। सरकार के दिमाग में अब आया कि उत्पादन बढ़ाया जाय, मैं यह बता देना चाहता हूं कि वह नागपुर कांग्रेस ने तय किया हो और चाहे वह देश की आवाज हो लेकिन पंडित नेहरू से बाबू जय प्रकाश नारायण ने जो १४ प्रश्न किये थे उनमें सहकारी खेती के अतिरिक्त और भी दो तीन चाजें थीं जिसके ऊपर जय प्रकाश नारायण जी ने जोर दिया था और जो नागपुर सेशन में तय कीं। यह कोई नयी चाज नहीं थी, लेकिन प्र न सहकारी कृषि का आता है। इसकी और सीलिंग का बात अगर आती है तो समझ में नहीं आता कि सरकार क्यों पीछे हटती है। समझ मे नहीं आता कि बजट में इसका जिक्र क्यों नहीं किया गया। मैं यह नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की उत्पादन बढ़ाने की नीति और खाद्य समस्या को सुलझाने की नीति में कोई ठोस कदम नहीं है। एक राजा था जिसको तैरने की कला पढ़ाई गयी। पढ़ कर वह विद्वान हो गया, लेकिन एक दिन जब वह नदी में उतरा तो वह डूबने लगा। इसी प्रकार से इस कांग्रेस सरकार की योजनाये केवल कागजी योजनायें हैं, अमली नहीं हैं।

एकोनोमिक कमेटी की रिपोर्ट में इस बात की सिफारिश की गयी है कि परीक्षण फार्मों की संख्या घटायी जाय। इन फार्मों में ५४–५५ में खर्च हुआ ५ लाख और उनसे आमदनी हुई ४.२ लाख इस प्रकार से आमदनी खरचे से कम होती है।

इसी प्रकार से जो बंजर भूमि पड़ी हुई है, जो वन विभाग की बेकार जमीन है, उस पर उपनिवेश बनाये जाते हैं लेकिन जमीन उन लोगों को मिलती है जो किसी मंत्री से संबंधित होते हैं या उनकी सिफारिश लाते हैं, स्थानीय भूमिहीन रह जाते हैं। नैनीताल की खटीमा तहसील में रुद्रपुर उपनिवेश बसाया गया, वहां पर बाहर से आये हुए लोगों को तो बसाया गया, लेकिन स्थानीय भूमिहीनों को भूमि नहीं मिली। मैं जानता हूं कि ऐसे आदमियों की दरख्वास्तें आज भी पड़ी हुई हैं जो भूमिहीन हैं उनको आज भी जमीन नहीं मिली है। इसी तरह से राजनीतिक पीड़ितों के लिये भी कुछ व्यवस्था की गयी है कि जो राजनीतिक पीड़ित हैं उनको जमीन में प्राथमिकता मिलनी चाहिये। जिनको राजनीतिक पीड़ितों के नाम पर जमीन मिली है उनमें भी ऐसे आदमी हैं जो वास्तव में राजनीतिक पीड़ित नहीं हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—जो मद इस वक्त उपस्थित है उस पर अभी तक सोशलिस्ट पार्टी के एक सदस्य को भी बोलने की आज्ञा नहीं दी गयी है।

श्री उपाध्यक्ष—कोई खड़ा हुआ था?

श्री मोतीलाल अवस्थी—दूसरी पार्टी के तीन-चार वक्ता बोल चुके, लेकिन इस पार्टी के लोग प्रारम्भ से ही उठते बैठते रहे, लेकिन उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं नहीं समझ पाता कि स्थान आप ग्रहण करें या अध्यक्ष महोदय ग्रहण करें, यह तो अन्याय है। इस संबंध में मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं और बार-बार कहता हूं लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जाता।

श्री उपाध्यक्ष—यह शब्द जो आपने 'अन्याय' कहा है इसको कृपया वापस लें। चेयर के प्रति ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मेरे कहने का मंशा यह नहीं था कि मैं चेयर पर कोई लांछन लगाऊं, लेकिन जो हमारी पार्टी की हक तल्फी हो रही है वह नहीं होनी चाहिये। मैं अपने शब्द को वापस लेता हूं।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)--श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि १० मिनट का समय मुझे भी दे दिया जाय क्योंकि मैं स्वयं भी किसान हूं और खेती करता हूं। अगर आप मुझे बोलने का मौका दे दें तो मेरी पार्टी के किसी आदमी को कोई एतराज नहीं होगा, बल्कि सब खुश होंगे।

श्री उपाध्यक्ष--अच्छा, आप बैठ जाइये।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)--उपाध्यक्ष महोदय, आज जो अनुदान कृषि से संबंधित इस भवन के सामने उपस्थित है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं कि कृषि के उत्पादन पर ही हमारे देश और प्रदेश की समृद्धि निर्भर है। यही कारण है कि आज सारा देश, चाहे वह केंद्रीय सरकार हो, चाहे हमारे प्रधान मंत्री हों या हमारे प्रदेश की सरकार हो, सब का ध्यान इसी ओर लगा हुआ है कि हमारे यहां कृषि का उत्पादन बढ़े और इसी बात को ध्यान में रखते हुए नागपुर कांग्रेस ने बहुत से प्रस्ताव पास किये हैं। श्रीमन्, मैंने कुछ कटौती के प्रस्ताव भी दिये थे, लेकिन उसकी भूमिका न बांधते हुये मैं सदन का समय इसी संबंध में थोड़ा सा लेना चाहता हूं। मैं इस बात को महसूस कर रहा हूं पिछले कई साल से और मेरी धारणा शुरू से ही है कि कृषि विभाग में हेवी ऐडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है और वह बराबर बढ़ता ही जाता है। और उसके बावजूद यह बदकिस्मती की बात है, कोई खुशी की बात नहीं है कि तमाम विभागों के और तमाम नियोजन विभाग की कोशिशों के अन्न उत्पादन में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है। अन्न बढ़े या न बढ़े पर हर साल स्टाफ को बढ़ाना चाहिये ऐसी मुझे मनोवृत्ति दिखलायी पड़ती है। यही वजह है कि ग्रांट नं० २३ के अन्तर्गत श्रीमन् एक नये संगठन का प्राविजन कृषि संबंधी विकास, अभियंत्रण और गवेषणा के अन्तर्गत किया गया है जिसमें उन्नत कृषि संबंधी औजार आदि के परीक्षण की व्यवस्था की गयी है। उस संगठन के अन्दर यह व्यवस्था की गयी है कि हर रीजन में असिस्टेंट इंजीनियर, मैकेनिकल असिस्टेंट आदि ६,७ आदमियों की जगहें बढायी जायेंगी और इस तरह से कुल ५६ आदमी बढ़ाये जायेंगे।

श्रीमन्, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं कि किस तरह से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का स्टाफ बढ़ता गया है। हमारे साथियों को याद होगा कि पहले सिर्फ जोनल डिप्टी डाइरेक्टर हमारे यहां हुआ करते थे। एक कमेटी बैठी थी जिसने तय किया कि बजाय जोनल के फंक्शनल डिप्टी डाइरेक्टर होने चाहिये और हेड क्वार्टर में ८,९ डिप्टी डाइरेक्टर बना दिये गये। बाद में फिर एक बार एक ख्याल हुआ कि स्टाफ काफी नहीं है और दोबारा फिर जोनल डाइरेक्टर के बावजूद रखने की बात तय हुई और ७ या ८ फंक्शनल डिप्टी डाइरेक्टर्स, ८ रीजनल डिप्टी डाइरेक्टर्स का एप्वाइंटमेंट किया गया। यही नहीं उस जमाने में जब कि जोनल डिप्टी डाइरेक्टर होते थे तब जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर हुआ करते थे उनमें से कुछ की सर्विस गजटेड और कुछ की नान-गजटेड हुआ करती थीं। अब एक नयी बात यह हो गयी कि तमाम को गजटेड कर दिया गया, उससे भी गवर्नमेंट पर काफी खर्चा बढ़ा। इंस्पेक्टर्स की भी तादाद बढ़ी। हार्टिकल्चर के अन्दर डिप्टी डायरेक्टर्स की तादाद बढ़ी। यही नहीं हुआ, हम देखते हैं कि जिलों के अन्दर एनिमल हस्बेंडरी विभाग में भी रीजनल डिप्टी डाइरेक्टर्स हैं, प्लानिंग के डिप्टी कमिश्नर्स हैं, लेकिन कोई कोआर्डिनेशन नहीं है और स्टाफ बढ़ता चला जाता है। उस पर यह नया संगठन बनाया जा रहा है जिसके लिये हर रीजन में असिस्टेंट मैकेनिक्स और असिस्टेंट इंजीनियर्स की नियुक्ति होगी। इसीलिये मैंने कटौती का प्रस्ताव रखा है।

मैं माननीय मंत्री जी से दरख़्वास्त करना चाहता हूं कि वे मुझे ठीक से समझने की कोशिश करेंगे कि जिस समय मैं किसी बात की आलोचना करता हूं तो माननीय मंत्री जी को महसूस नहीं

[श्री नवल किशोर]

करना चाहिये कि वह पर्सनल उनकी आलोचना हो रही है, बल्कि विभाग की वर्किंग की आलोचना होती है। जो भी मंत्री होगा वह स्थायी नहीं है वह तो बदलता रहेगा, उसकी आलोचना का सवाल नहीं है। यह मैंने थोड़े में स्टाफ व एडमिनिस्ट्रेशन की बात बतलायी।

इसके अन्दर एक इंफार्मेशन ब्युरो भी है। उस में भी बड़ा स्टाफ रहता है। हमारे पास इंफार्मेशन डिपार्टमेंट भी है, लेकिन इसके बावजूद भी एक इंफार्मेशन ब्युरो इस विभाग के पास अलग से है। उनकी जो पब्लिसिटी है उसको उनकी राय में इंफार्मेशन डिपार्टमेंट शायद नहीं कर सकता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इतने स्टाफ के बावजूद इस नये स्टाफ के रखने की आवश्यकता को मैं कतई महसूस नहीं करता और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी अगर डिटेल्स में जायेंगे और सारी एकोनामी की चीजों को इस एक्सपेक्ट से देखेंगे तो इस बात की कोशिश करेंगे कि बजट के पास होने के बावजूद भी इस ग्रांट के ऊपर पैसा खर्च न हो तो अच्छा है। यह तो मैंने स्टाफ की बाबत कहा।

एक आध साहब ने सवाई के बारे में शिकायत की। मंत्री जी उसका जवाब देंगे, लेकिन उसमें थोड़ी सी भ्रांति मेरे साथियों को है सवाई के ऊपर बीज दिया जाता है उस समय जब कीमत दुगुनी और तिगुनी होती है और जब लिया जाता है तो कीमत बहुत कम होती है और इस प्रकार वह २५ प्रतिशत का सूद नहीं बैठता है।

आपके कृषि विभाग के अन्तर्गत बहुत से फार्म्स हैं। मैं यह महसूस करता हूं कि अगर गवर्नमेंट के फार्म्स भी एकनामिक न हों तो फिर एग्रिकल्चर कैसे एकनामिक प्रोपोजीशन हो सकता है काश्तकारों के लिये? आपका और गवर्नमेंट का फर्ज है कि इस बात को साबित करें कि हमारे जितने फार्म्स हैं वे एकनामिक फार्म्स हैं, लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि गवर्नमेंट के जितने फार्म्स हैं उनमें से अधिकांश अनएकनामिक हैं। जो एकनामिकल भी हैं, अगर उनकी सख्ती के साथ कामर्शियल प्वाइंट आफ व्यू के साथ एकाउंटिंग की जाय तो मुझे शक है कि एकआध को छोड़ कर कोई भी एकनामिक होगा? और इसकी वजह जो है वह यह है कि आप फार्म को कामर्शियल और नानकामर्शियल में बांटते हैं। कामर्शियल में दिखाते है ४,६ हजार का फायदा और दिखा देते है कि ६०–८० हजार का नुकसान डिमांस्ट्रेशन यानी नान कामर्शियल में हुआ। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बात में दिलचस्पी लेने की कोशिश करें कि जितने फार्म्स हैं उनमें से ५,१०,१५ या २० बिल्कुल कामर्शियल फार्म्स बनायें जायें ताकि हमें इस बात का पता चल सके कि विभाग के कर्मचारी कहां तक फाम्स को एफिशियेंटली व एकनामिकली संचालित कर सकते हैं।

एक बात यह भी है कि जहां तक एजूकेशन का संबंध है अगर हम आंकड़ों को देखें तो जितने भी बी०एस० सी० ग्रेजुएट्स निकलते हैं, वे खेती करना पसन्द नहीं करते। जितने एक्सपर्ट्स हैं उनके प्रति मेरा आदर, आस्था व श्रद्धा है, लेकिन देखना यह है कि प्रेक्टिकली एग्रिकल्चर को वे कितना टेक अप करते हैं, यह इस बात का सबूत है कि कानपुर एग्रिकल्चर कालेज के विद्यार्थी एग्रिकल्चर को एकनामिक प्रोपोजीशन नहीं मानते, सर्विस को ढूंढते फिरते हैं? मेरा विश्वास है कि जो हमारे ऐक्सपर्ट्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है वे काबिल हैं, ऐफीशियेंट हैं, अगर उनसे यह कहा जाय कि आपको हम प्रैक्टीकली इतना फार्म सौंपते हैं, आप इसमें इतना पैसा कमाकर दीजिये तो मुझे डाउट है कि कोई भी कामयाबी के साथ उनका संचालन कर सकें।

एजूकेशन के संबंध में एक बात यह भी है कि आपके पास बहुत से रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, पैसा भी बहुत खर्च करते हैं, मुझको यह महसूस होता है कि आपके जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें और जो आपकी ऐक्सटेंशन सर्विस है उसके बीच में कोई कोआर्डिनेशन नहीं है। एक दफा हमने इस बात को कहा था ऐस्टीमेट्स कमेटी के द्वारा कि ऐक्सटेंशन सर्विसेज का एजूकेशनल, इंस्टीट्यूशन्स का और रिसर्च का कोआर्डिनेशन हो जाय तो बहुत अच्छा है। एक दिक्कत और भी सामने आती है कि रिसर्च आपके जो होते हैं वे आईडियल कंडीशन्स के

ऊपर होते हैं जो कंडीशन्स किसान के खेत के अन्दर नहीं मिलती हैं। इसीलिये जो डाटा रिसर्च फार्म्स पर इकट्ठे होते हैं और जब रिसर्च करते हैं फील्ड्स के ऊपर तो बहुत कठिनाई दिखाई देती हैं। उसका इलाज यह है कि हमारी जो ऐक्सटेंशन सर्विसेज हैं उनका रिसर्च से कोआपरेशन हो, लेकिन कोआर्डिनेशन नहीं है। रिसर्च अपनी जगह अलग है। हमने देखा कानपुर कालेज में, और शायद उपाध्यक्ष महोदय मुझे याद पड़ता है आप भी हमारे साथ थे, कि जो कालेज के अन्दर एम० एस० सी० तक के स्टूडेंट्स हैं उनका रिसर्च के आफीसर्स से कोई आपस में सम्पर्क नहीं था। तो हमने यह सुझाव रखा था कि अगर एम० एस०सी० स्टूडेंट्स के लिये २ क्लासेज या ४ क्लासेज महीने में उस विशेष सब्जेक्ट में जिन पर उनका अनुसंधान हो रहा है, अगर वह भी हमारे आफीसर्स लिया करें तो एम०एस०सी० के स्टूडेंट्स की अप टु डेट नालेज हो जाया करेगी। तो यह २,३ बातें मुझको मंत्री जी के सामने पेश करनी थीं और मैं यह उम्मीद करता हूं कि वह उनके ऊपर ध्यान देंगे।

एक, दो बातें मुझे और कहनी हैं। मैं यह जानना चाहूंगा मंत्री जी यह बतायेंगे कि हमारी स्टेट में जितने गांव हैं इनमें से १०,२०,५० के कोई आंकड़े ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास हैं जिससे वह यह बता सकें कि उस गांव की ५ साल पहले कितना उत्पादन था और आज कितना है। आखिर हम करोड़ों रुपया खर्च करते हैं तो उसका एक बटे दस, एक बटे पांच, एक बटे बीस कोई हिस्सा भी फायदे के रूप में स्टेट के लिये मिलता है या नहीं मिलता है।

सीड बंटता है उसमें कितना परसेंट हमारे गांवों का सीड सैचुरेट हो गया यह देखने की बात है। तो इस तरह की कई चीजें हैं जो आपके देखने की हैं और मुझे आशा है मंत्री जी इनको देखेंगे। इन शब्दों के साथ मैं फिर दरख़्वास्त करता हूं; कि जो १,५०,००० रु० का नया अनुदान मांगा है, नई डिमांड्स के अन्तर्गत जो नया संगठन बन रहा है, मैं बड़े जोरों से कहना चाहता हूं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है जो मौजूदा स्टाफ है वह काफी है और वह इस काम को अंजाम दे सकता है।

श्री टीकाराम पुजारी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं सुन रहा हूं खेती के ऊपर कि उत्पादन बढ़ायें। यह तो कहना पड़ेगा कि हमें बड़ा दुख लगता है जब हम लोगों को विरोधी कहा जाता है। मैं कहूंगा हम विरोधी नहीं हैं। विरोधी श्रीमन्, वे हैं जो गांधी जी के मार्ग को भूल गये और गांधी जी की करनी और कथनी को भूल गये और उनके सिद्धांतों को भूल गये। मेरा जांच अगर कोई डाक्टर करे तो जर्रा, जर्रा कांग्रेसी मिलेगा। श्रीमन्, मैं कहूंगा कि जो मुझसे विरोधी कहते हैं उनमें एक भी जर्रा कांग्रेस नहीं मिलेगा। यह तो मानना पड़ेगा कि उत्पादन बढ़ रहा है चाय के प्याले बढ़ रहे हैं। मक्खन, टोस्ट, डबल रोटी और बिस्कुट बढ़ रहे हैं। कोठियां, कार, हवाई जहाज, तकिया और तोशक बढ़ रहे हैं। भ्रष्टाचार और रिश्वत बढ़ रही है, खेती के फार्म बढ़ रहे हैं, इंस्पेक्टर बढ़ रहे हैं। थानेदार बढ़ रहे हैं, मुहकमे बढ़ रहे हैं, दस गुने हो रहे हैं, इन्हें तो दस गुने की बीमारी हो गई है। पहले बीमारी हुई कि दस गुना दो। फिर चकबन्दी की बीमारी आई। खरीफ आन्दोलन, रबी आन्दोलन। हमने देखा १९३० का आन्दोलन, हमने देखा १९३२ का आन्दोलन, हमने देखा सन ४०-४१ का आन्दोलन और हमने देखा सन् १९४२ का आन्दोलन, यह आन्दोलन कहां से निकल आया।

तीन साल से पश्चिमी जिलों में, अलीगढ़, आगरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर में कैसा उत्पादन हो रहा है? मैं अर्ज करूंगा कि जो जापान की नकल की थी वह तो कुछ काम आई। उसमें धान बढ़ा। मैं अर्ज करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, जापान और हिन्दुस्तान में कितना फर्क है। वहां की खेती तरी और यहां की खेती गरमी। वहां जो अनाज पकेगा वह असाढ़, ज्येष्ठ और सावन में पकेगा, यहां का फाल्गुन में पकेगा। यहां गेहूं में तीन पानी लगेंगे, इंगलैंड में एक पानी और मशीन से पक जायेगा। यहां की जमीन खुश्क है और वहां की तर है। यहां

[श्री टीकाराम पुजारी]

हम खाना हाथ से खाते हैं। इंगलैण्ड में चिमटी से खाते हैं क्योंकि वहां पर बर्फ पड़ती है। वह ऊनी मोजा पहनते हैं, इसलिये चिमटी से खाते हैं। लेकिन यहां पर क्या तुषार मार गया जो चिमटी से खाते हैं? देखा देखी साधे योग, छीजे काया बाढे रोग। सब आन्दोलन हुए, अच्छे हुए। भविष्य में देखना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। कोई चीज प्रत्यक्ष होती है तो उसके लिये प्रमाण की जरूरत नहीं होती। रबी आन्दोलन चला, खरीफ आन्दोलन चला, सब कुछ चला तो गेहूं एक सेर का कैसे बिका? जब धान की फसल आई तो चावल २ सेर का बिका और ढाई सेर तक का बिका लेकिन अब फिर वह सवा सेर का हो गया। सरकार किसान का माल तो सस्ता बिकवाती है और बाद में लोग मुनाफा उड़ाते हैं।

गन्ने के बारे में मैं क्या कहूं। गन्ने की तो कोई बात ही नहीं, 'अन्धेर नगरी अनबुझ राजा टके सेर भाजी टके सेर खाजा' आज ईख के पत्ते मवेशियों के चारे के लिये बिकते हैं एक रुपया मन, करवी बिकती है ४ रुपया मन, तुरी बिकती है ४ रुपया मन और गन्ना बिक रहा है १ रुपया मन, भूसे का भाव ४ रुपया मन, नीम के, गूलर के, आम के पत्ते बिकते हैं ३ रुपया मन, लेकिन जिस चीज से खांड़ और भिन्न-भिन्न प्रकार के मिष्ठान आदि बनते हैं वह बिकती है १ रुपया मन। ५ आने में भूल गया क्या फर्क है ५ आने १ रुपया सही। यह कौन बिकवा रहा है? यह सरकार बिकवा रही है। एक और बात मुझे याद आ गई उस पर जरा गौर करना पड़ेगा। आज का मिनिस्टर तो कल का एम०एल०ए० कल का एम० एल० ए० तो आज का मिनिस्टर, और मिनिटर की कौन कहे उनको तो अपनी-अपनी पड़ी है न जाने कल को कौन रहे न रहे। इसके बारे में मैं अभी ज्यादा नहीं कहूंगा।

खाद का मामला ऐसा है कि हमारे यहां खाद दूसरे ढंग का गोबर, कूड़े का होता है लेकिन एक खाद जो नया चला है, जिस गेहूं के लिये, देशी गेहूं के लिये पहले ३ पानी काफी होते थे उसको अब इस नई खाद की वजह से ४–५ पानी चाहिये। पानी मिलता नहीं लेकिन खाद जबरदस्ती दी जाती है। जब पानी नहीं तो खाद का क्या करें? फिर भी कहा जाता है कि खाद तो देनी ही पड़ेगी। हम से कहा जाता है कि कूंडो में बाजरा बोओ लेकिन कूंड़ी में बाजरा कैसे होगा, इतना लम्बा तो उसका पेड़ होता है हाथ भर से ज्यादा बाली लगती है तो वह कैसे कूंडो में हो जायगा? जिसने कभी हल नहीं चलाया उस से कहा जाय कि तुम खेती करो तो वह तो ऐसी ही बात बतायेगा। अगर कोई हल का काम करता है और उससे कहा जाय कि तुम मास्टरी करो तो वह बेचारा मास्टरी कैसे करेगा। कोई पहले वकालत करे और फिर कहा जाय कि प्रधान मत्री बन जाओ तो ठीक है लेकिन खेती की जानकारी भी जरूरी है। खेती तो वह करेंगे जो जानते होंगे। किसान कहते हैं कि "सवही बिगरि जाय रोहिणो, सब ही बिगरि जाओ मूल, आसाढ़ी परिवा तपै तो उपजै सातों तूल"। तो स्वांतिन में गेहूं बोया जाय। नहीं बोओगे तो उड़ि जायगा। भद्दरान में बेझड़ और चना बोओ, जो नहीं बोओगे वह भी उड़ि जायगा। तो जो बोना, सींचना और पानी देना जानते हैं वे ही उत्पादन कर सकते हैं। अमरीका में तो मशीन से खेती होती है। यहां होगी तो मजदूर मर जायगा। यहां हल से और हाथ से की जायगी तो मजदूर जिन्दा रहेगा वरना वह बरबाद होगा, सरकार बरबाद हो येगी और हमें भी बरबाद करेगी।

श्री उपाध्यक्ष---आपका समय समाप्त हो गया।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यबाद देना चाहता हूं कि बड़ी ही कृपा करके मुझे बोलने का अवसर दिया। जिस विषय के ऊपर आज वाद-विवाद शुरू हुआ है वह बहुत ही महत्व का विषय है, हमारे प्रान्त के लिये ही नहीं, हमारे देश के लिये है। देश के महान नेता पं० जवाहरलाल नेहरू जी कल के वक्तव्य में कह गये हैं, उससे भी साफ-साफ जाहिर है कि देश की प्रगति कृषि की ओर उतनी नहीं हुई, जितनी होनी चाहिये थी। उससे आप सही नतीजे पर पहुंच सकते हैं।

मैं आपके द्वारा ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बजट में कृषि विभाग के लिये कितना रुपया रखा गया है ? वह बहुत ही कम है। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी और समस्त माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिस चीज के ऊपर देश का जीवन निर्भर करता है, वह है गल्ला। आज प्रान्त में, बल्कि देश में उसकी कमी की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। आज बहुत से सदस्यों ने बड़े जोरों से नारा लगाया कि गल्ले का उत्पादन बढ़ा है, लेकिन जब मैं बाजार में खरीदने के लिये जाता हूं, मेरे साथी जाते हैं तो देखते हैं कि दाल का भाव, गेहूं और चावल का भाव क्या है। उस भाव से कितने दिन तक हम जिन्दा रह सकते हैं ? इसी से आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि पैदावार बढ़ी या नहीं। सवाई या ड्योढ़ी प्रगति तो हम मान गये होते कि बढ़ गया। एक माने में जरूर बढ़ा कि स्टाफ की, अधिकारियों और कर्मचारियों में बढ़ोत्तरी हो गयी, लेकिन यह नहीं सोचा कि वह कर क्या रहे हैं। रबी आन्दोलन में हमको बहुत गर्दा खाना पड़ा अधिकारियों की मोटरों का, उससे हमने अन्दाजा लगा लिया कि गल्ले का भाव नहीं बढ़ सकता है। भत्ता अवश्य बढ़ जायगा और उससे कुछ आदमियों का गुजारा हो सकता है जो देश के हैं। यही बढ़ोत्तरी हुई। रूस की पैदावार अमरीका और आस्ट्रेलिया की पैदावार और दुनिया की पैदावार उठाकर देख लें। चीन को तो बहुत थोड़े ही दिन हुये आजाद हुए, उसकी पैदावार देखें। रूस, अमरीका ब्रिटेन, अगर ४,००० पौंड फी एकड़ पैदा करते हैं तो हम ६०० पौंड पैदा करते हैं। चीन भी ३०,००० पौंड पैदा करता है। १५ अगस्त, सन् ४७ को हमें आजादी मिली है, ११ वर्ष हो गये हमने क्या पैदावार बढ़ाई, भले ही नारे लगा लें। ८२ प्रतिशत निवासी देहातों में बसे हुए हैं उन किसानों की प्रगति के लिये क्या उपाय किया ? कितने कुयें बनवाये ,कुलाबे खुलवाये, नहरें चलायीं ? लेकिन इस सबको देखकर असंतोष होता है। इस समय तो हर एक पी० डब्लू० डी० के काम को बन्द कर दें, जितने भी काम हैं प्रान्त के सबको बन्द कर दें। अगर ये सब काम बन्द करके आप किसानी पर जुट गये होते तो सारा देश उसका स्वागत करता और जो हमारा पैसा विदेश में जा रहा है उसको बचाकर हम उसको देश में खर्च करते। लेकिन बुद्धि आपकी किस तरह से जा रही है इसका मैं एक ही उदाहरण दूंगा। मैं खलीलाबाद का रहने वाला हूं जो एक छोटा सा कस्बा है, बल्कि यों कहिये कि एक गांव सभा है। वहां के एक सेठ की साढ़े ४ बीघा जमीन केन यूनियन के लिये २६ हजार रुपया दे कर सरकार ने खरीदी है। इसमें अधिकारियों को भ्रष्टाचार करने का अच्छा मौका मिला। उन्होंने कुछ रुपया तो अपनी पाकेट में रखा और कुछ रुपया उस सेठ को दिया। तो ऐसा अंधेर आपके प्रांत में मचा हुआ है। मैं आपके द्वारा मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं।

इसके अलावा हम यह भी चाहते हैं कि खेती की पैदावार बढ़े। इस सम्बन्ध में एक बहुत मोटी सी बात मैं आपके सामने रखूंगा। सरकार का एक बहुत बड़ा कृषि फार्म गोरखपुर में है। उसी के बगल में एक महातमराव का फार्म है। वे कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं जब कि आपके गोरखपुर कृषि विद्यालय के प्रिन्सिपल एम० एस–सी० (ए–जी०) हैं। लेकिन महातमराव के फार्म की पैदावार से सरकारी कृषि फार्म की पैदावार की तुलना नहीं की जा सकती। मैंने प्रिन्सिपल से पूछा कि इस फार्म से क्या आमदनी है तो उन्होंने बताया कि ४००–५०० रुपये प्रति वर्ष का फायदा हो रहा है जब कि महातमराव के फार्म में अक्तूबर सोइंग के गन्ने की पैदावार १४–१५ सौ मन फी एकड़ की है और उसी खेत में १८–१९ मन फी एकड़ चने की पैदावार है। अब आप ही बताइये कि जहां का प्रिन्सिपल एम० एस–सी० (ए–जी०) खेती करने वाला हो वहां इतने बड़े फार्म से केवल ४००–५०० रुपये सालाना की आमदनी हो तो एक मामूली किसान की पैदावार का क्या होगा ? सुधार का एक ही तरीका है कि आप इन बड़े-बड़े अधिकारियों को जितना भत्ता देते हैं जो मोटरों में घूमते फिरते हैं वह बन्द करें और किसानों को हरी खाद के लिये पैसा दें और उसको तैयार करने के लिये पानी दें जिसका पैसा न लें। इससे

[श्री धनुषधारी पांडेय]

उनकी पैदावार बढ़ सकती है। जो आपके बड़ी-बड़ी तनख्वाह पाने वाले कर्मचारी हैं, जो कागज पर स्कीम आपके सामने रख देते हैं यह सब आपका फेल्योर रहा है।

मेरा सुझाव है कि आप छोटे-छोटे किसानों की गोष्ठी बुलाइये और उसमें जो उनका मशविरा हो कि किस तरह से उन्होंने पैदावार बढ़ाई उससे आप दूसरे किसानों को शिक्षित करें। इन कोट पहनने वाले अधिकारियों से कुछ नहीं होगा। पंडित नेहरू के भाषण से हम इसी नतीजे पर पहुंचे कि हमारा देश बरबाद हो रहा है। अगर हम प्रगति करते तो हमको विदेशों से गल्ला न मांगना पड़ता और ऐसा अनाज न खाना पड़ता जिसको आस्ट्रेलिया वगैरह में सुअर तक नहीं खाते हैं।

इसके अलावा जो छोटे-छोटे कर्मचारी हैं उनके वेतन को बढ़ाना होगा। अगर आप चाहते है कि संतोष हो, अगर आप चाहते हैं कि देश के प्रति लोगों की भावना अच्छी हो तो आपको इन छोटे-छोटे कर्मचारियों की ओर ध्यान देना पड़ेगा। यदि आप केवल बड़े-बड़े कर्मचारियों की ओर ही अपना ध्यान देंगे तो देश का कभी भी कल्याण नहीं हो सकता है। आपका विभाग भी आगे नहीं चल सकता है, और न आपका विभाग तरक्की हो कर सकता है। अगर आपको आगे चलना है, देश की पैदावार को बढ़ाना है, अपने विभाग को आगे ले चलना है तो आपको छोटे-छोटे कर्मचारियों की ओर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको गांवों के छोटे-छोटे किसानों, जिनके ऊपर आज हमारे देश का भार है, जो गन्ने की पैदावार को बढ़ाकर सारे देश को एक जीवन प्रदान करते हैं और हमें आगे बढ़ने का सुअवसर प्रदान कर रहे हैं तो उनकी तरफ भी ध्यान देना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहूंगा। अभी मुझ से पहले विरोधी दल के सदस्य माननीय टीकाराम जी पुजारी ने चारे के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये थे। मैं भी चारे के बारे में इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहूंगा। जब गन्ने का रेट हमारे प्रदेश के काश्तकारों को २३ आने मन ही दिया जाता है तो भूसे का रेट हम से ३ रुपये मन कैसे लिया जाता है। यह समस्या बहुत बड़ी है उन क्षेत्रों के लिये जहां के काश्तकार गन्ना की पैदावार करते हैं जैसे गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, मेरठ वगैरा के किसानों का गन्ना ही जीवन आधार है। आप यह कह कर बचना चाहते हैं कि यदि गन्ने का रेट दिया जायगा तो गल्ले की पैदावार घट जायगी। इस देश में ८२ फीसदी किसान हैं। ऐसी दशा में इस देश के किसानों का क्या होगा यदि उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जायगा। मैं नहीं समझ सकता कि इस विषम परिस्थिति में हमारे देश के किसान जिन्दा रह सकेंगे या मरेंगे।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आजकल अपने यहां इस चीज को अपनाया गया है कि बड़े-बड़े फार्म खोलकर लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। यह सब आपने क्या बना रखा है? यह बात हम लोगों की समझ में नहीं आती है। फार्म में ट्रेनिंग पाये हुये लोगों को खाली किताबों का ही ज्ञान होगा और प्रैक्टीकल नालेज उनको कुछ भी नहीं होगी। खेतों के बारे में तो आपको किसानों से उनको शिक्षा दिलानी चाहिये। एग्रीकल्चर कालेज से निकले हुये लोगों को अफसर बना दिया जाता है उनका काम रहता है समाज को छिन्नभिन्न करना और सरकार को गाली दें और बदनाम करें।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य का समय समाप्त।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया है। सब से ज्यादा मैं अपने पूर्व वक्ता का आभारी हूं कि उन्होंने हिम्मत करके सही चित्रण माननीय मंत्री जी के सामने प्रस्तुत किया है। मैं उनसे कहूंगा कि वह इसको बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विरोधी पक्ष की तरफ से जो बातें कही जाती थीं तो मंत्रीगण कह दिया करते थे कि पोलिटिकल स्टन्ट है। श्रीमन्, मैं मजबूती के साथ कहता हूं कि यह कोई पोलि-

टिकल स्टन्ट नहीं है बल्कि यह फैक्ट है जैसा कि अब बहुत से उनके पक्ष के माननीय सदस्यगण चित्रण करने लगे हैं। मैं सदस्यों से कहूंगा कि जिन्होंने मुंह खोला है, हिम्मत करके, अगर मंत्री जी नहीं मानते हैं तो उनके विरुद्ध हाथ उठाना भी शुरू कर दें ताकि उनको पता चल जाय कि ज्यादा दिनों तक यह चीज नहीं चल सकती है।

श्रीमन्, ३,५२,४७,७०० रुपये का अनुदान माननीय मंत्री जी ने इस सदन से मांगा है। हमारी समझ में नहीं आता है कि कैसे मंत्री जी ने इतना बड़ा अनुदान मांगा जबकि उनकी जिम्मेदारी की हालत यह है कि बीज चाहे जमे या न जमे। वह सदन में कहने की हिम्मत रखते हैं कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मैं कहना चाहता हूं कि फिर किस जिम्मेदारी पर यह रुपया मांगा जाता है। आखिर इन्होंने माननीय सदस्यों को क्या समझा है? इसी सदन के अन्दर चन्द रोज पहले हमारे सदन के एक माननीय सदस्य के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि बीज के जमने का मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मैं पूछना चाहूंगा कि आखिर वह जिम्मेदार किस बात के हैं? इनकी विकास की योजनायें चल रही हैं। विकास किस तरह से करेंगे? यह बात हमारी समझ में नहीं जाती है। १९५७ से हम देखते चले आ रहे हैं कि बीज गलत ढंग से दे दिया जाता है। कभी बलिया बार्ले के नाम से, कभी टी-२१ के नाम से और कभी टी-२२ के नाम से दे दिया जाता है। इसके साथ ही साथ कहा जाता है कि बीज के जमने के वह जिम्मेदार नहीं हैं। यह बात समझ में नहीं आती है। क्या सरकार गरीब किसानों को बरबाद करना चाहती है। सिर्फ कागज के अन्दर दिखाते हैं कि देश की भलाई के लिये यह चीज की जा रही है। मैं उसका सही चित्रण करने के लिये तैयार हूं। छोटे किसानों ने बीज लिया और उसे अपने खेत में बोया। बड़े-बड़े लोगों तालुकेदारों ने उसको अपने-अपने खर्चे में लगाया और उनके घर जो बीज रखा था उसको बोया और उनकी फसल ठीक हुई। लेकिन इस साल जबकि लेट पैडी अच्छी हुई है, उसके लिये गरीब किसान उन्नतिशील बीज भंडारों से जो बीज ले गया उससे उसमें एक एकड़ में एक मुट्ठी भी धान हुआ नहीं। कहने पर मंत्री जी एक लफ्ज सुनने के लिये तैयार नहीं होते और कहते हैं कि मैं बीज जमने के लिय जिम्मेदार नहीं हूं। बस्ती जिले में उन्नतिशील बीज भंडार से जड़हन धान का बीज लिया गया बीज बोने के बाद और यह शिकायत आयी कि वह अरली पैडी का बीज लेट पैडी की जगह पर दे दिया है। माननीय सदस्य मंत्री जी को वहां ले गये और माननीय मंत्री ने जो खेत खाली पड़े थे वह और बियाड़े के अन्दर फूटते हुए धान को देखा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जिस तरह से हो इनका बदला पूरा किया जाय, तकावी देकर या पैसा देकर बीज खरीदवाया जाय। खेत सब बोआये जायं लेकिन निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज उस गलत बीज की वसूली बड़ी सख्ती से हो रही है और मंत्री जी खामोशी से मजे ले रहे हैं। यही तरीका है देश को आगे बढ़ाने का?

कहा जाता है कि विकास के लिये अनुदान मांगा जाता है। सदन के माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि बलिया बारली जिस किसान ने बोया था वह पौदा एक-एक, डेढ़-डेढ़ बालिश्त होकर सूख गया था। लेकिन अधिकारियों ने कह दिया कि देवरिया, गोरखपुर आदि जिलों में यह नहीं हो सकता। अगर ऐसा था तो एक्सपर्ट्स से पहले पता लगा कर तब बीज देना चाहिये था कि इस आबहवा में यह बीज जमेगा या नहीं। बाजारों के अन्दर अगर कोई बनिया बीज ले जा कर बेचता है और किसानों से वह कहता है कि यह जमेगा लेकिन वह नहीं जमता तो किसान आकर उससे लड़ता है कि आपने मुझे धोखा क्यों दिया। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि देश को फायदा पहुंचाने का दावा करने वाले, समाजवाद का दावा करने वाले लोग ऐसा काम करते हैं कि गलत बीज दे कर किसानों की कमर तोड़ दें और उसके बाद सदन के अन्दर जवाब दे दें कि हम बीज के जिम्मेदार नहीं हैं। इसके बाद तीन करोड़ ७५ लाख का बजट आ गया वह बहुमत से पास करवा ही लेंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि इस की तरफ मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये। यह बहुमत हमेशा रहने वाला नहीं है। यह जनता की आवाज है। उनके

[श्री अब्दुल रऊफ लारी]

पीछे बैठने वाले बहुत से सदस्यों ने इस बजट भाषण में हिम्मत करके काफी जोर से विरोध किया है और अगर अब भी मंत्रीगण नहीं चेतते तो वह दिन भी दूर नहीं है जब कि वह उनके खिलाफ हाथ भी उठाना शुरू कर देंगे। तब उनका ठिकाना कहीं नहीं रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष--"हिम्मत करके" शब्द आपने कई मर्तबा कहा। यह सारे सदन पर लांछन सा है। यहां यह मान कर चला जाता है कि सभी माननीय सदस्य अपनी बात निडर होकर कहते हैं। आपका मतलब अगर यह है कि व्हिप का बन्धन तोड़ कर तो वैसा कहिये।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--मेरा व्हिप से ही मतलब है। अब मैं माननीय मंत्री जी को कुछ छोटे-मोटे सुझाव देना चाहता हूं। श्रीमन्, यह कृषि विकास के नाम पर जो अनुदान लिया जाता है और जो अधिकारी क्षेत्र में रखे गये हैं कितना सारा काम है उनके पास यह देखना चाहिये। बीज लेने में साधारण भाव से दो-दो रुपया ज्यादा भाव लगाया जाता है लेकिन खरीदा जाता है सबसे खराब मैटीरियल और खरीद कर गोदामों में भर दिया जाता है। मेरा सुझाव है कि जो बीज स्टाक किया जाय तो उसकी जांच करके नमूना मंत्री जो मांगें और जांच करावें अगर बीज जांच में गलत साबित होता है तो उन अफसरों को सुस्पेन्ड करें, बरखास्त करें, सजा देकर जेल में डाल दें जो गरीब किसानों को लूटने के बायस बनते हैं।

दूसरी चीज मैं यह कहूंगा कि सिर्फ बीज से काम नहीं चलेगा। उसके साथ खाद और सिंचाई की भी व्यवस्था होनी चाहिये। छोटी-छोटी सिंचाई की योजनाएं हमारे देवरिया, गोरखपुर और बस्ती जिलों के उत्तरी हिस्से में चल सकती हैं। छोटे-छोटे नाले बहते हैं। उनमें जगह-जगह पर फाटकदार पुलिया बना दी जाय जो दो-दो चार-चार हजार में बन जायंगी। उसमें पानी भरा रहेगा। मामूली रैसे से इन्तजाम हो जायगा। उससे न तो फिर लेट रैडी सूखने पायेगी न रबी की सिंचाई में पानी की दिक्कत पड़ेगी। दोनों की सिंचाई हो सकेगी। इस किस्म की योजनायें माननीय मंत्री जी अधिकारियों से मंगायें उसको देखें और चालू करें।

दूसरी चीज--खाद की व्यवस्था के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि जबरन वह न दी जाय। सिर्फ कोटा पूरा करने के लिये कि मैंने ४ लाख टन बंटवा दिया, जबर्दस्ती किसानों को वह दे दी जाती है। पानी रहता नहीं। वह खाद खेत में पड़ने से फायदे के बजाय नुकसान होता है। फसल मारी जाती है। किसान कर्ज के बोझ से लद जाता है।

श्रीमन्, पानी और खाद के बाद मैं इतना और बीज के लिये कहना चाहता हूं कि खेतों में जब फसल तैयार हो उसी जमाने में यह एलान हो जाय मंत्री महोदय की तरफ से कि बीज का गल्ला खरीदा जायगा, और मार्केट रेट से दो-तीन रुपया ज्यादा उसका दाम दिया जायगा। अच्छी बालियों को तोड़कर के वह बीज के लिये अनाज इकट्ठा करे। किसान दो रुपया ज्यादा पाने के लालच में वह उसे करेगा। क्षेत्रीय बीज होगा, उसमें सूखने फेल होने का डर नहीं होगा और आसानी से किसान उसको बो सकेगा। टी--२१--टी-२२ अब की दफा जो उन्नतिशील बीज भंडारों से बंटा है उसको दुर्दशा कहने लायक नहीं है। एक-एक मन खेत के हिसाब से किसानों ने उस बीज को ले जाकर के बोया। फसल बड़ी अच्छी लगी, काफी धान उपजा, बालियां उसमें बड़ी-बड़ी लगीं, लेकिन दाना उसमें नहीं पड़ा और खेत में फसल खड़ी की खड़ी रही। नौतनवां, बृजनगंज उन्नतिशील बीज भंडार से टी-२१ जो मिला उसकी भी दशा यही रही। मैंने डिप्टी को ले जाकर के दिखला दिया, पटवारी से मुआयना करा दिया, मंत्री जी को दरखवास्त दी लेकिन मंत्री जी ने आज तक जवाब तक नहीं दिया। क्या करेंगे क्या नहीं यह भी नहीं कहा कि इस पर यह होने जा रहा है।

१९५९-६० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मागों पर मतदान--अनुदान संख्या २२७ २३--लेखा शीर्षक : ४०--कृषि सम्बन्धी विकास, अभियन्त्रण और गवेषणा तथा अनुदान संख्या ४७--लेखा शीर्षक : ७१--कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत

श्री गोविन्द सहाय--उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय कृषि मंत्री जी की स्पीच को काफी गौर से सुना। मुझे बड़ी खुशी है कि उनके अपने मुहकमे के काम से उन्हें खुशी है और वह उसे सन्तोषजनक समझते हैं। मैं उनकी इस खुशी में हायल होना नहीं चाहता। यह जरूर समझता हूं कि कुछ असन्तोष अगर बना रहता है तो उसमें प्रगति की गुंजायश बनी रहती है। मेरा अपना ख्याल यह है कि इस मुहकमे में जैसी आवश्यकतायें हैं उसको देखते हुए उसके अनुकूल बहुत तब्दीली की जरूरत है।

उन्होंने अपनी स्पीच में यह कहा कि इन दिनों काफी काम खेती के हुए हैं। कैम्पेन हुए हैं। सही बात है। वह कैम्पेन्स हुए हैं और उन कैम्पेन्स के जरिये लोगों को खेती के बारे में इम्प्रूव्ड टेकनिक्स का भी काफी ज्ञान हुआ है। मगर सवाल यह है कि उन कैम्पेन्स का श्रेय किसे जाना है? वह इस मुहकमे को जाना है या कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स को जाना है? क्योंकि अभी उस पर भी बहस करनी है। उसके रुपये को भी स्वीकार करना है। तो कोई श्रेय ले ले, उससे मुझे कोई इनकार नहीं है। (व्यवधान) बहरहाल, मैं सिर्फ इशारतन इतनी बात कह रहा हूं। खेती के अन्दर यह कहना मुनासिब नहीं होगा कि कुछ कार्य नहीं हुआ है। आखीर दस साल प्रयत्न हुआ है। करोड़ों रुपये लगे हैं। नयी जमीन टूटी है क्योंकि खुद लोगों के अन्दर जिन्दा रहने की जो ख्वाहिश है उसने भी उनको काफी जमीन तोड़ने को मजबूर किया है। उससे भी जमीन तोड़ने में मदद मिली है। हो सकता है कि इस बारे में बहस हो कि प्रोडक्शन बढ़ा या नहीं बढ़ा। लेकिन जमीन जरूर टूटी है, साधन बढ़े हैं, कोशिश हुई है, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता। यह हकीकत है। लेकिन देखना यह होगा कि इसमें ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का कितना कांट्रीब्यूशन है? क्या वह जितना कांट्रीब्यूशन कर सकता है उससे वह सब लिया गया है या इससे ज्यादा वह कर सकता था। उस दशा में भी मैं इतना कह सकता हूं कि ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ ज्यादा कहने का शौक नहीं था क्योंकि जिनके लिये मैं कह रहा था वह तो यहां पर हैं ही नहीं।

एक सदस्य--वह अभी आ जाते हैं।

श्री गोविन्द सहाय--बहरहाल मैं मोटे तौर पर इतना ही कह सकता हूं कि यह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हमारे सारे प्लानिंग की बुनियाद है। बुनियाद ही नहीं है बल्कि समूचे देश की प्रगति खेती की प्रगति पर ही मुनहसर है। इसलिये इस बात की जरूरत है कि जिस आले के जरिये से यह काम होना चाहिये वह समय की आवश्यकता की पूर्ति करे। मैं अपने तजुर्बे से यह बताता हूं कि हमारा एग्रीकलचर विभाग रिसर्च की साइड में बहुत कम ध्यान देता है। जब कि यह विभाग खेती में मदद नहीं करता, नये-नये औजारों को इजाद नहीं करता, अच्छे बीज के मुताल्लिक किसानों की सहायता नहीं करता या इसी तरह से जो बीमारी पैदा हो जाती है उसके विषय में रिसर्च नहीं करता--जब कि मेरा खयाल यह है कि शायद इस तरह के काम किये जा सकते हैं, कराये जा सकते हैं--तो फिर ज्यादा लाभ किसानों को नहीं होता और न खेती की पैदावार बढ़ती है। इसमें कोई दो सवाल नहीं है कि यदि उधर के लोग ऐसी बात कहें तो वह कोई सत्य का बखान करते हों। जो सही बात है उसको हम भी कहते हैं। मैं लारी साहब से इस बात में सहमत नहीं हूं। कांग्रेस पार्टी के अन्दर हम लोगों को यह सुविधा है और हक है कि जिस बात को हम ठीक समझते हैं उसको कहते हैं। उसकी वजह यह है कि यह जो हम शासन मिला है वह हमारा बनाया हुआ नहीं है और न आपका बनाया हुआ है। एक मशीनरी बनी थी वही हमको मिली है। उसमें अनुभव होते हैं, वे गलत भी होते हैं। जो चीज हमारे नोटिस में आती है उसको हम कहते हैं। इसमें कोई हिम्मत या हौसले का सवाल नहीं है बल्कि उस मशीनरी की एफिशियेन्सी को बढ़ाने का सवाल है।

[श्री गोविन्द सहाय]

मेरा ख्याल एक अनुभव है और वह यह है कि डिस्ट्रिक्ट अग्रोकलचर आफिसर जो हैं वे मौजूदा ढांचे में बजाय इसके कि रिसर्च और टैक्निक की तरफ जायं, वह ऐडमिनिस्ट्रेटिव अफसर होने की तरफ ज्यादा बढ़ते हैं यानी एग्रोकलचर विभाग एक ऐडमिनिस्ट्रेटिव विभाग बनता जा रहा है जब कि डिस्ट्रिक्ट एग्रोकलचर आफिसर्स को रिसर्च की तरफ और टैक्निक की तरफ जाना चाहिये और वह इस तरफ ज्यादा कर सकते हैं इसलिये मैं इस बात से इत्तफाक करता हूं कि जैसा कि मेरे साथी श्री नवलकिशोर जी ने कहा कि हमें इस बात पर गौर करना होगा कि एग्रोकल्चर, जिसका इतना मूल्य है, आवश्यक है, कोई पढ़े लिखे लोग क्यों नहीं अपनाना चाहते हैं । कोई भी पढ़ा लिखा खुद खेती नहीं करना चाहता है । हमें कोई न कोई तरीका इस विषय का सोचना पड़ेगा कि अगर पढ़ा लिखा आदमी खेती नहीं लेना चाहता है तो कोई ऐसी कमी हमारे इस विभाग में है । हमको एग्रोकल्चर ऐसा विषय बनाना चाहिये जिससे पढ़े लिखे लोगों के लिये आकर्षण हो । जो लोग एग्रोकल्चर विभाग से रिटायर भी करते हैं वह भी खेती का पेशा नहीं लेना चाहते हैं । इसके माने यह हैं कि हमारे सिस्टम आफ एग्रोकल्चर में कमी है । इस विभाग को ऐसा होना चाहिये जिससे लोगों का इससे लगाव हो और इससे लोग रिसर्च करने को इच्छुक हों । इसलिये इस तरीके से इस मसले को हम लें कि पढ़े-लिखे लोग खेती को लें । जो पालिसी इस विषय में है उसको बदलना पड़ेगा ।

ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मैं इतना ही सुझाव दे सकता हूं कि अगर हमारा एग्रोकल्चर विभाग ऐडमिनिस्ट्रेशन के मुकाबले में एक्सटेंसिव तरीके को ज्यादा लें, हर डिस्ट्रिक्ट में एग्रोकल्चर अफसर किसी फार्म के साथ एक्सपेरिमेंट के लिये जुड़ा हो, वह उस रिसर्च के साथ नत्थी हो तो वह इस विभाग में बहुत काफी काम कर सकता है, हम उससे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं । जैसा कि कल इस देश के प्रधान मंत्री ने कहा कि यह बड़ा भारी चैलेन्ज है कि अगर एग्रोकल्चर की टैक्निक्स में हम कोई तब्दीली नहीं ला सकें । यदि हम पुराने साधनों से जुड़े रहते हैं तो मुल्क के अन्दर नाजुक स्थिति पैदा हो सकती है । मैं उन दोस्तों से इत्तफाक नहीं करता जो यह कहते हैं कि उत्पादन नहीं बढ़ा है । मैं कहता हूं कि उत्पादन जरूर बढ़ा है । १–२ साल से या इस साल से गिरानी जरूर आई चाहे वह नेचर की वजह से या दूसरी वजह से लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता कि प्रोडक्शन बढ़ा नहीं । अभी ४–५ वर्ष पहले ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि लोग यह सोचने लगे थे कि खेती करना चाहिये या नहीं करना चाहिये । उस वक्त करीब १० रुपये तक भाव गेहूं का आ गया था तो उस बहस को रोज दोहराने से कोई फायदा नहीं । जितना है उससे ज्यादा कैसे बढ़ाया जाय, उसकी टैक्निक क्या हो, इस के बारे में एग्रोकल्चर डिपार्टमेंट के संगठन में क्या आमूल परिवर्तन होने चाहिये, उसके सोचने के ढंग में क्या परिवर्तन हो, इस तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिये और इस के लिये मैं समझता हूं कि हमारे एग्रोकल्चर विभाग को दो, तीन रिसर्वेज की तरफ लगना चाहिये । जो हमारे मौजूदा खेती के यंत्र हैं उनको कैसे सस्ता और उपयोगी बना कर लोगों तक पहुंचाया जाय । हर रीजन के मुताबिक उसकी सुविधा के अनुसार जैसे यंत्र हों उनको वहां तक कैसे पहुंचाया जाय । अगर यह किया जा सके तो अच्छा होगा । मैंने कई जगहों पर जा कर खेती के औजारों को देखने की कोशिश की और मुझे आश्चर्य हुआ कि टूल्स में जो रिसर्च हुई है उसमें हमारे विभाग का इतना हाथ नहीं है जितना कि आम-आफिशियल ऐजेन्सियों का तथा सेमी-आफिशियल एजेन्सियों का है । कृषि विभाग को यह करना चाहिये कि लोगों को वह सस्ते और उपयोगी इंस्ट्रूमेंट दे और यह काम हर रीजन के लिये करना होगा उनमें उस रीजन के हिसाब से तब्दीली करते हुये ।

थोड़ा बहुत असंतोष में प्रगति के लिये जरूरी समझता हूं और अगर असंतोष है तो उस से फायदा उठाया जा सकता है । अगर कृषि के मसले को आगे आने वाले दो, तीन सालों में न हल कर लिया गया तो स्थिति गंभीर हो सकती है और इस के लिये जमीन का अच्छा होना जरूरी है । बीज के लिये मेरा खुद अनुभव है कि हमारे वायदों के मुताबिक सप्लाई नहीं हो पाती । हमारी सप्लाई लाइन टूट जाती है । हम लोगों से कहते हैं कि हम बीज देंगे लेकिन सप्लाई नहीं हो पाती है । हमारे कृषि विभाग को बीज का इंतजाम, सप्लाई लाइन तथा बीज देना, इन तीनों बातों पर ध्यान देना चाहिये । इन सब को निभाने के बाद ही कृषि विभाग का कर्त्तव्य पूरा हो सकता है ।

मैंने इशारतन जो सुझाव दिये हैं उनसे थोड़ा बहुत फायदा उठाया जा सकता है और मैं आशा करता हूं कि किसी भी प्रगति करने वाले इंसान को मुतमईन होना खतरनाक है। इसलिये मैं मंत्री जी से कहूंगा कि जो आंकड़े उन्होंने दिये हैं यह हमें बहुत दूर नहीं ले जाते हैं। इस मुल्क में न इधर के दिये हुये आंकड़े सही हैं और न उधर के। श्रीमन, हम आंकड़ों को लड़ाई में विषय को उलझा देते हैं और यह तरीका अच्छा नहीं है। जो फैक्ट हैं, जो पोजीशन है, उसको हमें फेस करना चाहिये और अगर ऐसा किया जायगा तो मुझे कोई शक नहीं है कि इस विभाग के जरिये से ज्यादा अच्छा काम हो सकता है।

*श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं शुरू में कह दूं कि अगर माननीय कृषि मंत्री जी होते तो अपने को खुशकिस्मत मानता। मैं उनकी तारीफ करना चाहता हूं, उनकी होशयारी की तारीफ करना चाहता हूं। जिस होशयारी से उन्होंने हमारे सामने आंकड़े रखे उसको आप भी सुनेंगे तो तारीफ करेंगे। सन् १९५७–५८ हमारे प्रदेश का कृषि के सम्बन्ध में सबसे खराब वर्ष रहा है। उन्होंने १९५८–५९ का मुकाबिला किया १९५७–५८ से। आप उस समय नहीं थे उपाध्यक्ष महोदय, पर होशयारी की बात है। उसके पहले के वर्ष का नाम उन्होंने नहीं लिया। १९५६–५७ से मुकाबिला करते, १९५०–५१ से करते, १९४९–५० से करते या १९४०–४१ से मुकाबिला करते। अगर उस जमाने के आंकड़ों से वह मुकाबिला करते तो मैं समझता और उस समय वे अपने हाथ से अपनी पीठ इस तरह से शायद नहीं ठोंक सकते। २४ परसेंट उत्पादन बढ़ा १९५७–५८ और १९५८–५९ के बीच में, लेकिन उस के साथ-साथ कीमतें कितनी बढ़ीं ? अगर दुनियां में सप्लाई और डिमांड का कोई ताल्लुक है, और जिसको अर्थ शास्त्र का हर विद्यार्थी समझ सकता है कि किसी वस्तु का उत्पादन जिस प्रकार होता है उसी प्रकार उसकी कीमतें भी घटा बढ़ा करती हैं, तो अगर इसका ताल्लुक .....

समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—आबादी का भी तो ध्यान रखें।

श्री गेंदा सिंह—आबादी बढ़ रही है तो हम को हिसाब दें। हम तब बतावें कि कितनी आबादी बढ़ रही है। इसके हिसाब से आबादी की बात चलती नहीं। मैं आप से कहता हूं कि आबादी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन उसके नाम पर कब तक हम अपनी योग्यता और अपने काम करने के तरीके को मढ़ेंगे। इससे काम नहीं चलने वाला है। मैं कहता हूं कि बच्चों को मर्द पैदा करता है, नामर्द नहीं पैदा कर सकते लेकिन यहां पर हमेशा नामर्द बनाने की बात कही जाती है। बाहरी सरकार, यू० पी० की और दिल्ली की यही उपाय सोचे हुए हैं कि यह मसला तभी हल होगा जब कि बच्चे पैदा होना बन्द हों। बन्द करो श्रृष्टि करना तभी अन्न की समस्या हल करेंगे। बदकिस्मती से जब कोई भी ऐसी बात कही जाती है तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। फैमिली प्लानिंग की बात तो सोची जा सकती है लेकिन रोज-रोज यह चर्चा करते रहना, आखिर क्या मतलब है ? अब मैं इस बात को यहीं पर छोड़ दूं।

तो एक बात मंत्री जी की होशयारी की रही। दूसरी बात मैं जरूर मैं मंत्री जी की प्रशंसा करना चाहता हूं कि जो खरीफ अभियान हुआ, चाहे प्लानिंग डिपार्टमेंट ने शुरू किया हो, चाहे एग्रीकल्चर के लोगों ने किया हो लेकिन दोनों प्रशंसा के पात्र हैं। मैं समझता हूं कि उसमें ज्यादातर लोगों ने बहुत परिश्रम से काम किया। और जब परिश्रम से काम किया तो उसमें कोई शक नहीं कि थोड़ी बहुत सफलता उसमें मिली। मैं बहुत ही इमानदारी से इस बात को कहना चाहता हूं हरएक से जिसके सिर पर थोड़ी बहुत जिम्मेदारी हो कि अगर कोई इमानदारी से काम करता है तो उसकी पीठ ठोंकनी चाहिये। इस सदन को मानना चाहिये कि उसी प्रकार अगर लोग परिश्रम करते रहे तो सचमुच वे नमकहलाली का काम करते हैं और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हैं और आगे भी उसी तरह से इस काम को चलाना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

गन्ने के सम्बन्ध में उस दिन गौतम जी ने कहा था कि जब बजट आयेगा तो चर्चा होगी लेकिन आज जब मेरे एक मित्र ने टोका तो उन्होंने कहा कि कुछ बातें तुम लोगों के लिये भी रहनी चाहिये । तो क्या गन्ना हमारे हिस्से में रह गया ? मैं सदन को एक बात बता देना चाहता हूं कि गन्ने की बात क्यों नहीं छेड़ी जाती है ---गन्ने की कीमत की बात नहीं, उत्पादन बढ़ाने की बात क्योंकि जिस दिन इन्डस्ट्रीज का बजट आयेगा तो कीमत की बात हो जायेगी---क्योंकि पंचवर्षीय योजना में हमारा जो टार्गेट गन्ने के लिये बनाया गया था वह पूरा नहीं हुआ । मैं कहता हूं कि हिम्मत के साथ बतावें कि वह टार्गेट पूरा हुआ ? नहीं पूरा हुआ । क्यों नहीं पूरा हुआ क्योंकि उसकी सही-सही तौल होती है और जहां तक चावल, गेहूं, बाजरा का सवाल है उसकी तौल नहीं होती बल्कि लेखपाल जितना लिख देता है उसी की बेसिस पर कह दिया जाता है कि इतनी उपज हुई । लेकिन चूंकि गन्ना तौल करके शुगर फैक्टरीज में लिया जाता है इसलिये उसका टार्गेट पूरा नहीं हुआ । मैं चाहूंगा कि यह बताया जाय कि गन्ने के सम्बन्ध में कितना टार्गेट पूरा हुआ और कितना रह गया ? इसके आंकड़े मेरे पास आज नहीं हैं, कल पेश कर दूंगा ।

एक सदस्य---सब गन्ना मिल को नहीं जाता है ।

श्री गेंदा सिंह---यह ठीक है कि सब गन्ना मिल को नहीं जाता है लेकिन फिर भी जितना जाता है उसके आधार पर सही आंकड़े मालूम करने की गुंजायश है और यह निश्चय करने की गुंजायश है कि जितनी जमीन गन्ने में लगी है उसमें और कितनी बढ़ाई जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा खेतिहर देश है इसलिये अगर हमारा देश खेती के मामले में स्वावलम्बी नहीं हुआ तो काम चलने वाला नहीं है । यहां पर जो वर्ल्ड बैंक कमीशन आया था उसने कहा कि यहां पर ४, ५ गुना उपज बढ़ाने की गुंजायश है। उसको छोड़ दीजिये, मैं कहता हूं कि---इस्तफा साहब यहां पर मौजूद नहीं हैं---उनके भाई अल्ताफ साहब ने सिसवा बाजार में १७,०० मन एकड़ की पैदावार की और एक जगदेव चौधरी ने १,६०० मन की पैदावार की । और आम तौर से जो पुरस्कार दिये जाते हैं वह दिये जाते हैं ५०-५३ या ६० मन गेहूं और धान पैदा करने पर । दूसरे देशों की नकल की जाती है । जापान, अमेरिका, रूस, चीन के अधिनायक-वाद को छोड़िये लेकिन अल्ताफ साहब की बात मानिये । इसी प्रकार से हाटा के शिव प्रसाद हैं, उनकी बात मानिये । वे कोई डिक्टेटर तो हैं नहीं, न उनके दिमाग में डिक्टेटर बनने की आकांक्षा है । अब मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि औसत पैदावार आपकी आयी ७ मन और कुछ सेर लेकिन उसके साथ-साथ यह बात भी मान ली गयी है कि किसी ने ५७ मन भी पैदा किया और वह किया जा सकता है । लेकिन एवरेज आता है आपका ७ मन । लिहाजा आप उसकी बात मानिये जो घुटने के ऊपर धोती बांधता है, पशुओं का जो गोबर उठाता है, भैंस को नहलाता है, मेहनत करता है और झूठ नहीं बोलता, फरेब नहीं करता । मैं पूछना चाहता हूं, उसकी नकल करने में क्या हर्ज है । क्या उसकी नकल मंत्री जी करने को तैयार हैं । लेकिन जो आज तक पैंट पहनता नहीं था वह भी आज पैंट पहनने लगा है । अब गेंदासिंह मिनिस्टर हो जायं तो धोती की जगह पैंट पहनने लगे । इसके बिना काम नहीं चले तो फिर जो उसके यहां नौकर हैं वह भी क्यों पैंट न पहनें, उसको कैसे मना किया जा सकता है ।

कृष्ण हमारे योगेश्वर थे । जिस समय उन्होंने देखा कि हमारे यहां सचमुच अकाल पड़ गया है, उस समय उन्होंने गोबर की पूजा करवा दी । वे बड़े भारी नेता और पोलीटीशियन थे लेकिन उन्होंने गाय को माता कहलाया और उसकी पूजा कराकर देश की दरिद्रता को दूर किया । इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देश की दरिद्रता बड़े-बड़े महलों में रहकर दूर नहीं की जा सकती, वह तो दूर की जा सकती है केवल मोटा पहनने से, मोटा खाने से, मोटे तौर पर रहने से, किसानों की तरह से रहने से । आप ऐसा कीजिये फिर देखिये कि आपके मुल्क की समस्या हल होती है या नहीं । मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं जो आप कर नहीं सकते । मैं

यह नहीं कहता हूं कि महात्मा गांधी की तरह से आप लंगोटी लगाकर रहिये क्योंकि मुल्क में हर एक आदमी इतना बड़ा अपने आपको नहीं बना सकता है । लेकिन अपना खर्च तो कम किया जा सकता है । अगर आप मुल्क की समस्या हल करना चाहते हैं तो फिर उस तरह से रहने में कोई बड़ी भारी दिक्कत नहीं ।

राम लक्षण जी जरा कानपुर चले जायें । वहां पर कृषि कालेज में विद्यार्थी पढ़ते हैं वहां जाकर वे देखें कि वहां के विद्यार्थी गोबर अपने हाथ से छूते हैं या नहीं । डेरी में वहां की चले जाइये और देखिये कि वहा के विद्यार्थी अपने हाथ से दुहते हैं या नहीं । कृषि मंत्री जी जरा इसका पता लगायें । हम अगर अपने हाथ से हरी खाद तैयार नहीं कर सकते हैं, गोबर की खाद नहीं बना सकते हैं, कम्पोस्ट खाद नहीं बना सकते हैं, तो फिर खेती की तरक्की हम कैसे कर सकते हैं ।

आज मैं इस पवित्र अवसर पर इतना ही कह देना चाहता हूं कि आप उस गांव के किसान की सलाह मानिये जो कभी पैंट नहीं पहनता । कागज फर्जी बनाने की कोशिश न कीजिये । एक आदमी जो फर्जी कागजात बनाकर पैदावार बढ़ी हुई दिखाता है, जब उसकी जगह दूसरा आता है अगर उसको अपनी प्रगति दिखानी हो तो वह क्या करे ? आप सोचेंगे इस बात को कि उसे तो कुछ करना पड़ेगा अगर वह प्रगति न दिखलाये । जो फर्जी कागज पहले दिखाया गया है उसके बाद वह प्रगति न दिखलाये तो फिर वह बेचारा नालायक ही कहा जायगा । इसलिये गुणा रोज कई गुणा होता जाता है जैसा कि अभी हमारे किसी भाई ने कहा ।

अब मैं माननीय नवल किशोर जी को यह कहने के लिये धन्यवाद देता हूं कि सरकार को अपने फार्म्स में अगर नफा नहीं होता है तो वह किसानों के बारे में भी ऐसी राय कायम करे और मैं कृषि मंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूं, मैं समझता हूं कि मेरा सन्देशा उन तक पहुंच जायेगा कि जब बार-बार कहा जाता है कि गन्ने की खेती खराब है और अनाज की खेती करना आवश्यक है तो फिर पहले आप अपने फार्म्स में मना क्यों नहीं करते हैं । यह कहा जा सकता है कि हम तो बीज के लिये गन्ना पैदा करते हैं लेकिन किच्छा में जो गन्ना पैदा करते हैं वह तो फैक्टरीज में ही जाता है । जब कमर्शियल लाइन पर आपके बड़े-बड़े फार्म गन्ना खुद बोते हैं तो फिर दूसरों को क्यों मना करते हैं । मैं क्या बतलाऊं कृषि मंत्री जी के व्यक्तिगत दोस्त नहीं हो सकते हैं लेकिन सरकार के तो हैं ही । जो सरकार के बड़े-बड़े दोस्त मिल मालिक हैं उनके लिये तो वे इजाजत देते हैं कि वे खूब गन्ना बोवें, जितना चाहें खाली गन्ना ही गन्ना बोवें लेकिन छोटे-छोटे काश्तकार जब गन्ने की खेती करते हैं तो कहते हैं कि तुमको नहीं बोना चाहिये । तुमको अन्न अधिक पैदा करना चाहिये । सरकार को चाहिये कि पहले वह जो काम दूसरों से कराना चाहती है उसको पहले कर के दिखलावें । सभी इस बात को जानते हैं और समझते हैं कि कृषि के सम्बन्ध में जितना भी धन रखा जाय अधिक अन्न पैदा करने के लिये उसका रखा जाना जरूरी है और इसी में किसानों का और सारे देश का भी भला है ।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन दोनों अनुदानों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । यह बड़े हर्ष की बात है कि खेती की उन्नति की ओर सारे देश और सरकारों का ध्यान गया है और सब लोगों ने इस बात को महसूस किया है कि खेती की उन्नति के बिना देश की और कोई उन्नति सम्भव नहीं है बल्कि यह कहा जाय कि हमारे तरफ की पुरानी कहावत "उत्तम खेती मध्यम बान" वाली मान ली गयी है जिसमें खेती को सब से अच्छा माना गया है । इससे साबित होता है कि जो पुरानी विचारधारायें हैं उनको बिलकुल मान लिया गया है और किसानों का ध्यान उस तरफ खासतौर से गया है । इसलिये खेती की उन्नति की जानी आवश्यक है । इसकी तरफ सरकार तो खासतौर पर ध्यान देती ही रही है और उसकी तरफ अधिक से अधिक पैसा खर्च करने का प्रयत्न हो रहा है । दूसरे लोग भी उसकी सहायता में लगे हुये हैं लोगों को यहां थोड़ी सी नाराजगी होती है, वह इसी बात का प्रमाँण है कि सब को खेती की उन्नति में कितनी दिलचस्पी है और सब लोगों को कैसी रुचि है कि देश में खेती

[श्री जयराम वर्मा]

को उन्नति हो जिससे हमारा कल्याण हो सके । खेती की उन्नति के लिये सरकार की ओर से जो आन्दोलन चलाया जाता है, मैं भी इस बात को मानता हूं कि उससे देश को काफी लाभ हुआ है। हमारे यहां जापानी ढंग से खेती तो जेड ई डी को होती थी, लेकिन अर्ली पैडी में उसका उपयोग नहीं होता था । किसानों ने अर्ली पैडी में भी जापानी ढंग का प्रयोग करके इस बात को अच्छी तरह से देख लिया कि यह ढंग किस तरह से पैदावार को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा सहायक है । इसलिये अब एक बार देख लेने के बाद वह इस ढंग को अपनाना चाहता है और एक बार जब किसान इस बात को समझ जायगा तो फिर किसी के कहने की जरूरत नहीं होती है, वह खुद उसमें दिल लगा कर जुट जाता है । इसी तरह से हमारे प्रदेश के कुछ भागों में उत्तर प्रदेश ढंग की रबी की बोवाई गेहूं, मटर आदि की होती थी, परन्तु प्रदेश के बहुत बड़े भाग में वह ढंग इस्तेमाल नहीं होता था । उस ढंग का भी प्रयोग हमारे प्रान्त के बहुत से भागों में हो गया है और किसानों ने तजुर्बा करके देख लिया कि इसमें बीज कम लगता है, पैदावार अच्छी होती है और पछुवा हवा का असर कम पड़ता है। इधर ५७–५८ के मुकाबले में जो ५८–५९ में पैदावार में वृद्धि हुई है उसका कारण है महज यही कि हमको इन आन्दोलनों में सफलता मिली है और लोग इस बात को समझ गये हैं कि अगर हम इस तरह से काम में जुटे रहेंगे तो हमारी पैदावार फी बीघा बढ़ती जायगी और हम अपने उद्देश्य को पूरा कर सकेंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हमारी पैदावार आज के मुकाबले में दूनी हो जाय ।

अब हमारे इन आन्दोलनों में जो सफलता मिली है उसके लिये यह कहना तो कठिन है कि नियोजन और कृषि विभाग का उसमें कितना कितना हाथ है लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि कृषि विभाग अभी कुछ और कर सकता है । अगर उसकी तरफ से कुछ और काम हो तो कुछ और उन्नति हो सकती है और लोगों में काम करने की और रुचि पैदा हो सकती है ।

यहां यह जिक्र हुआ कि जब पैदावार बढ़ रही है और हमारी टेक्निक सुधरी है तब पढ़े लिखे लोग खेती में क्यों नहीं जाते हैं और दिलचस्पी लेते हैं । इसका एक मात्र कारण यह है कि खेती की आमदनी सब पेशों के मुकाबले में कम होती है और दूसरे पेशों के मुकाबले में इस खेती के पेशे के करने वाले का आदर भी सबसे कम होता है तो फिर कौन पढ़ा लिखा आदमी इस बात को पसन्द करेगा कि वह खेती की तरफ जाय । अगर हमें उनको खेती की तरफ ले जाना है तो हमको इसमें से यह बात निकालनी होगी कि इसकी आमदनी सबसे कम हो और आदर भी सबसे कम हो । अगर हम आमदनी बढ़ाते हैं और आदर भी ज्यादा करते हैं खेती करने वाले का दूसरे पेशों के मुकाबले में तो यह जरूर होगा कि पढ़े लिखे लोग खेती की तरफ जाने लगें ।

अब आमदनी कैसे बढ़े ? किसान तो यह समझता है कि जब अन्न कम होता है तो दाम बढ़ते हैं और जब अन्न ज्यादा पैदा होता है तो दाम घटते हैं । लिहाजा जब तक उसके दिल में यह इत्मीनान न हो कि उसकी मेहनत का पूरा रिटर्न मिलेगा, जिस तरह से गन्ना पैदा करने वाले को इत्मीनान होता है कि उसको इतने दाम मिलेंगे, तब तक वह ज्यादा गल्ला पैदा करने में दिलचस्पी नहीं लेगा। मेरा सुझाव है कि सरकार बहुत सा रुपया खर्च करती है बाहर से गल्ला मंगाने में। उस रुपये में से अगर थोड़ा सा हिस्सा वह किसानों को दे दे सबसिडी या सहायता के रूप में तो किसान को काम में ज्यादा दिलचस्पी हो सकती है । बाहर से गल्ला न मंगा कर अपने देश में ही गल्ला पैदा किया जाय इसके लिये जरूरत है कि जो लोग इसमें लगे हुये हैं उनकी अधिक दिलचस्पी इसमें हो, रास्ते में उनके कोई रुकावट न हो। इसके लिये सरकार यह करे कि २ सेर का उनसे खरीदे और बाजार में अगर वह ढाई सेर का बेचना चाहती है तो ढाई सेर का बेचे और जो पैसा वह खर्च करती है बाहर से गल्ला मंगाने में उसका थोड़ा हिस्सा इसमें लगा दे । तो काश्तकार को दिलचस्पी कैसे हो सकती है या और दूसरी सहायतायें जो काश्तकार को दी जाती हैं उनको कुछ सस्ते रूप में दिया जाय। इधर जब से यह आन्दोलन चले हैं तब से रासायनिक खाद का बहुत प्रयोग हुआ है । जितना ध्यान रासायनिक खाद की ओर गया है उतना गोबर की खाद की तरफ नहीं गया है । जिसका परिणाम यह होगा कि कुछ दिनों बाद हमारे खेत बेकार हो जायेंगे ।

अगर हमने इस बीच में इस बात का प्रयत्न न किया कि जितना रासायनिक खाद का प्रयोग बढ़ रहा है उसी मात्रा में गोबर की खाद, हड्डी की खाद या खली की खाद का प्रयोग बढ़ाना होगा, अगर इधर ध्यान न रहा तो बड़ा नुकसान होगा । इसलिये नियोजन विभाग और कृषि विभाग का ध्यान इस तरफ खास तौर से होना चाहिये । अभी कुछ जिक्र हुआ कि जो लोग खेती करते हैं और इस विभाग में हों अगर उनके पास खेत हों तो उनसे खेत ले लिये जायं या खेती जिनके पास हो उनको कोई नौकरी न दी जाय । यह तो उल्टी बात हुई । मैं तो कहता हूं इस विभाग में ऐसे ही आदमियों की आवश्यकता है जो खेती करते हैं । जो खेती करना ही नहीं जानते वह खेती क्या सिखायेंगे ? आज विभाग में अधिकतर लोग ऐसे हैं जो खेती करना नहीं जानते केवल सिखाना जानते हैं जिसका प्रभाव लोगों पर बहुत कम पड़ता है ।

इसके अलावा लाइव स्टाक विभाग में एक चुनाव हुआ उसका नतीजा देखा कि ५-६ फीसदी ऐसे लोग लिये गये होंगे जिनका सम्बन्ध खेती से रहा होगा बाकी ऐसे लोग लिये गये जिनका सम्बन्ध खेती से नहीं रहा है । केवल उनकी शिक्षा सम्बन्धी योग्यता देख करके पशुपालन विभाग में ले लिया गया इसी तरह से और जगह भी होती है । तो केवल शिक्षा योग्यता काफी नहीं है । यह भी योग्यता देखनी चाहिये कि खेती करना जानता है उसमें दिलचस्पी भी है । अगर ऐसे आदमी खेती करने में रखे जाते हैं जिनको स्वाभाविक रूप से घृणा होती है जो उसको नीच समझते हैं वह आदमी अगर इस विभाग में कर्मचारी बन गये तो उस काम को ठीक नहीं कर सकते । इसलिये मेरा सुझाव है कि ऐसे विभागों में जो कृषि से सम्बन्धित हैं उनमें आम तौर से इस बात की कोशिश होनी चाहिये कि ऐसे लोग रखें जायं जिनका सम्बन्ध सीधा खेती से हो, जो खेती करने वाले हों जिनका पेशा ही खेती हो । अगर ऐसा होगा तो अच्छा होगा और जो कठिनाईयां होती हैं उनके बारे में किसानों पर अच्छा असर पड़ सकता है उनके दूर करने में क्योंकि किसान, स्वाभाविक रूप से ऐसा होता है कि बहुत बदलना नहीं चाहता । लेकिन जब एक दफा उसके दिल में बात बैठ जाती है तो फिर छोड़ना भी नहीं चाहता । इसलिये सबसे जरूरी बात है कि उसके दिल में बात को बैठा देना और वही बैठा सकता है जिसको सचमुच उसमें सजीव प्रेम हो जो विश्वास करता हो । जो खेती करता हो वही अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा सकता है और देश के इतने बड़े काम में जिस पर देश का सब कुछ निर्भर करता है, हम सफलता प्राप्त कर सकेंगे ।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट—उपाध्यक्ष महोदय, जितने इधर से कटौती के प्रस्ताव पेश हुये हैं चूंकि सब इकट्ठा रखे गये उनके समर्थन में और इस अनुदान के विरोध में, मैं कुछ अर्ज किया चाहता हूं । श्रीमन्, कुछ ऐसा रवैया हमारी सरकार का पिछले कुछ सालों में रहा है कि ऐक्सपेरीमेंट पर ही हम आज तक निर्भर रहे हैं, ये ऐक्सपेरीमेंट, दुख है केवल नारों नारों पर आधारित थे । अमेरिका में बी० सी० जी० का कैम्पेन चला तो हमने यह जांच नहीं की कि उसका चलाना यहां प्रयोग करना यहां लाभ कर है या नहीं, मगर हमने सारे देश में बी० सी० जी० के इंजेक्शन लगाने शुरु कर दिये । नतीजा क्या हुआ ? जिसे तपेदिक नहीं थी उसे भी इंजेक्शन से हो गई । बी० सी० जी० को अब अमेरिका ने कहा कि डैन्जरस है तो हम भी कहने लगे कि डैन्जरस हैं । इसी तरीके से नारेबाजी पर सरकार चलती रही है । मैं एक्सपेरीमेंट के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन छोटे पैमाने पर सरकार अपने फार्म पर करे और उसके बाद तब फैलाये उसे देश में । इसी तरह पुराने पैमाने की जगह नये पैमाने और पुराने रुपये की जगह नये रुपये एक बारगी लाये गये । पता नहीं पुराना रुपया चलता नहीं था, या क्या बात थी । आज कहा जाता है कि जापानी ढंग से खेती करो । फिर चट से कहते हैं कि चीनी ढंग से करो । मेरी गुजारिश है कि पहले सोच समझ कर यह तो तय करो कि क्या करें । इस तरीके से नहीं होना चाहिये कि हर रोज तरीके बदलते रहें । उसी तरह से गेहूं की बात है । हमारी खेती का तरीका बदलता रहता है । हमारी गुजारिश है कि पहले खेती में इस्टेब्लिटी ले आते

और अनाज की कमी पूरा कर लेते । हां, जांच के लिये सरकारी फार्म पर एक्सपेरीमेंट करते रहने चाहिये । आपने विवेकानन्द लैबोरेटरी अल्मोड़ा में खोली है । यह कार्य बहुत उत्तम है, मगर अल्मोड़ा जिले के भजखाली स्थान में धान के प्रयोग के लिये जो फार्म खोला गया है उसके लिये जहां जमीन ली गई है वहां पानी नहीं है । यह मेरी अकल में नहीं आता कि ३० हजार रुपये में वह शख्स फार्म और बंगले बेच रहा था और लोगों के पास गया था मगर लोगों ने उसे नहीं लिया । बाद को सरकार ने कुछ जमीन उसमें से छोड़ दी और एक नया बंगला भी छोड़ दिया और शेष जायदाद ५० हजार रुपये में ले ली । डाइरेक्टर साहब से हमने शिकायत की । उन्होंने हमें प्रोग्राम दिया कि हम आ रहे हैं, लेकिन चार दिन पहले ही चुपचाप वे वहां होकर वापस चले गये ।

दूसरी बात श्रीमन्, जहां तक उन्नत बीज की है, बस्ती के सदस्य ने उसे नहीं कहा। लेकिन मैं आज बस्ती से लौटा । वहां नौगढ़ बोसी आदि में लोग रो रहे हैं । अरली पैडी दे दिया गया । जिससे धान की फसल चौपट हो गई । मैं इस ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा ।

जहां तक डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसरों की बात है अल्मोड़े का यह हाल है कि बीज बांटने में आज लोएस्ट टारगेट अल्मोड़ा में आया । काम की खराबी पर उनका ट्रांसफर किया गया था । महीनो हो गये, पता नहीं क्यों नहीं उसे ट्रांसफर किया जाता है । पता लगा है उन्हें पब्लिक सर्विस कमीशन से भी रिजेक्ट किया गया है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं ट्रासफर किया जाता । श्रीमन्, ऐसी कई चीजें हैं । हम कई सफेद हाथी भी पाले हुये हैं जिनमें एक तराई स्टेट फार्म है । यह सन् १९४८ में खुला । अब तक इसकी डेरी में सन् १९५७-५८ से १० लाख १० हजार हम घाटा दे चुके हैं । यह खाली डेयरी का है । २ लाख ३६ हजार तक नुकसान एक सिंगिल ईयर में हुआ है । हमने वहां के अधिकारियों से पूछा कि आपने कितने सांड दिये ? उस घाटे की एवज अच्छे नस्ल के जानवर अगर ज्यादा दिये होते तो भी हम मानते, लेकिन वह बात भी नहीं है । इसलिये इनके खर्चों पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल चाहिये ।

वहां सैकड़ों घर बनाये गये, लेकिन जिन्हें बसाना चाहिये, उन्हें बसाया नहीं गया । अब इस तरह से तो काम चलेगा नहीं । कहा जाता है कि हम इस तरह से अब ज्यादा तवज्जह कर रहे हैं और ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, मंत्री जी ने इस बात का दावा किया है । मंत्री जी ने पहले तो चूहों के नाश के लिये पिछले बजट में कुछ रुपया रखा था, लेकिन जब वह बढ़ रहे हैं तो उनके लिये कोई पैसा नहीं रखा है । जरूरत इस बात की है कि चूहों को कम करने के लिये कोई सख्त कदम उठाया जाय । सन् १९५८-५९ की आडिट रिपोर्ट है । उस में दिया है कि इलाहाबाद के क्लब से गवर्नमेंट १२५० रुपया लान का किराया लेती थी और स्वयं उस पर गवर्नमेंट साढ़े ५ हजार खर्च करती थी, लेकिन उस पर आडिट ने कहा कि ३,६०० रुपये का फर्क कैसे पूरा होगा । यहीं पर एक सचिवालय के सेक्रेटरी महोदय थे उन का नाम मैं नहीं लूंगा । उन के एक भाई इलाहाबाद में थे, एक भाई ने दूसरे भाई के नाम लीज डीड लिख दी । सदन में कहा जाता है कि साम्प्रदायिकता कम हो लेकिन यहां तो इस तरह से भाईवाद और बिरादरीवाद चलता है, तब कैसे यह साम्प्रदायिकता खत्म होगी ? इसी तरह से एक कोआपरेटिव सोसाइटी है उसमें डीजिल वगैरह सब दिया जाता है और वहां आपरेटर एक साल में हजारों रुपया पैदा करते हैं । सरकारी नौकर सरकार से ही कोआपरेटिव सोसाइटी के बेसिस पर ट्रेड कर रहे हैं । उन की एक और केन डेवलपमेंट यूनियन बनी हुई है, जो सरकार के स्टेट फार्म का गन्ना बोता है, इस तरह ये सरकारी अफसर अपनी यूनियन बनाकर सरकार के गन्ने का लाभ उठा रहे हैं । १९५७-५८ में ४३,६०३ रुपये का और १९५६-५७ में ३३,१९३ का उन को लाभ हुआ ।

इसी तरह से जो इरोजन होता है उस को रोकने के लिये प्लान्ट प्रोटेक्शन के लिये जो रुपया सरकार ने रखा है वह बहुत कम है । पहाड़ों पर जिस तरह से हार्टिकल्चर पर जोर दिया जाना चाहिये था उसी तरह से भूमि संरक्षण का भी काफी महत्व है । शिकायत ये है कि मैदानों में

हर साल वर्षा में एकदम से बहुत पानी पहाड़ से आ जाता है, अब तक तो यह शिकायत केवल पूर्वी जिलों में ही होती थी, लेकिन अब पश्चिमी जिलों में भी पानी बाढ़ का अधिक पहुंच जाता है । भूमि का कटाव रोकने और प्लान्ट प्राटेक्शन के लिये अधिक रुपये की जरूरत है । पहाड़ों में फलों की पैदावार भी साथ ही साथ बढ़ सकती है, वहां अनुसंधान और पेड़ लगाने के लिये अधिक रुपया दिया जाय । सरकार का पैसा तो इसमें ज्यादा लगता है कि ऐसे अनुसंधान सेन्टर्स खोले जाते हैं कि हवा के बगैर या पानी के बगैर पेड़ कैसे हो सकते हैं, कैसे बगैर मिट्टी के पेड़ हो सकते हैं कैसे पानी के बगैर पेड़ में आम लग सकते हैं, यह कोई मदारी का खेल तो है नहीं कि असम्भव बातें होने लग जायं ।

इसके अलावा माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस साल हमारा अन्न का प्रोडक्शन बढ़ गया और दूसरी तरफ उन्होंने आंकड़े दिये ५७-५८ के कि एकरेज घट गया यानी पैदावार भी घट गयी। मैं सरकार का इसके लिये धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने खाद को पहुंचाने के लिये पहाड़ी क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट सब्सीडी देने की बात रखी है लेकिन जब तक पानी का प्रबन्ध वहां के लिये नहीं किया जाता है तब तक वह खाद किस तरह से काम आ सकता है । खाद के प्रयोग के लिये उसके डालने के बाद पानी की और अधिक जरूरत होती है । इसलिये मैं मंत्री जी से अर्ज करूंगा आप के द्वारा कि पहले पानी का प्रबन्ध किया जाय तभी खाद का इस्तेमाल किया जा सकता है । इसी तरह से सहकारी खेती आप करा रहे हैं । रूस में बताऊं कि कुश्चेव ने क्या कहा था १३ सितम्बर को,

"According to a report dated 13th September from Moscow Russian Government had to admit that production was far below that of pre-revolution days. Mr. Khrushchev also drew attention to serious deficiency in grain growing and raising of vegetables."

जापान में सहकारिता पर खेती नहीं होती है, लेकिन वहां का ईल्ड प्रति एकड़ हाइयेस्ट है । एक आदमी अपनी जमीन में जिस तरह से दिल लगाकर खेती कर सकता है साझे की खेती में नहीं कर सकता। तो एक्सपेरिमेंटेशन से काम नहीं चलेगा, कोई स्टैबिलिटी होनी चाहिये, नारेबाजी से काम चलने वाला नहीं है, "साझे की खेती गधा खायें, खाते जांय तो मारे न जायें" कोई उसको देखने वाला नहीं है । तो इन चीजों को छोड़कर कोई स्टेबिल कदम उठाना चाहिये जिससे प्रदेश की तरक्की हो ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मुझे अफसोस है कि मंत्री जी एक बहुत ही अजीब ढंग के आंकड़ें प्रस्तुत करके चले गये, जोकि हमको उपलब्ध नहीं हैं । हमें जो कापी मिली है उसमें १९५५ से '५७ तक के आंकड़े हैं, जब कि १९५७-५८ के आंकड़े दिये गये हैं । उनको स्वतः चाहिये था कि वह उन्हीं आंकड़ों को अपना आधार बनाते जो कि सदन के सामने सदस्यों को प्राप्त हैं और ऐसे आंकड़ों पर आ करके अपने चरम विकास की लिप्सा की काल्पनिक तृप्ति करना चाहते हैं, वह वही कर सकते हैं, उसके हम भागी नहीं होना चाहते । मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं और लाबी में बैठे हुये लोगों को बताना चाहता हूं कि इस सरकार की सारी योजनायें नाकामयाब और फेल हुई हैं । मुझे अफसोस होता है जबकि मैं गेंदा सिंह जी को सुनता हूं । उन्होंने खरीफ आन्दोलन की बड़ी तारीफ कर दी । हो सकता है कि उन्होंने देवरिया का नमूना देखा हो, जिसकी तारीफ के पुल बांध दिये हैं, मगर जिस वक्त खरीफ आन्दोलन चल रहा था उस समय शाहजहांपुर, सहारनपुर, अलीगढ़, बीच के जिले, बनारस, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती के जिले, इनमें मेरा दौरा हुआ और सब जगह जाकर वहां की स्थानीय बातों को समझ करके मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि खरीफ आन्दोलन जिस तरह से फेल हुआ, जिस तरह से उसमें धन की बरबादी हुई और जन-कोष की बरबादी हुई उससे निकम्मा शायद ही कोई दूसरा आन्दोलन हो । मेरे जाने के तो पहले स्वतः मुख्य मंत्री जी सहारनपुर में उपस्थित थे । वहां के दूसरे लोगों ने कहा कि इस खरीफ आन्दोलन पर धन का अपव्यय क्यों

[श्री राज नारायण]

किया जा रहा है तो उन्होंने कहा कि इस साल गरमी कम पड़ी, बरफ नहीं पिघली इसलिये नहर में पानी नहीं आ रहा है । तो जिस समय गरमी इतनी पड़ रही थी कि लोग प्यासे मर रहे थे उस समय माननीय सम्पूर्णानन्द जी कहते हैं कि बरफ नहीं पिघली, इसलिये पानी नहीं आता । यह वही समझ सकते हैं और उनका डिपार्टमेंट समझ सकता है ।

हमारे पास इसी सदन में माननीय उग्रसेन जी का सवाल है और उसमें यहां पर इंक्वायरी हुई है । बस्ती, गोरखपुर, देवरिया में जिला स्तर के ३ अफसरान मुअत्तल किये गये, इसलिये कि अर्लीपैडी की जगह लेटपैडी बांट दी, वह नहीं हो पायी । सदन में वह जवाब है और उस पर माननीय मंत्री जी प्रफुल्लित होना चाहें तो हों, इसी में सूबे की सारी बरबादी और तबाही हो रही है । मैं जानता हूं कि एक प्रकार जो जौ का बीज है यह देवरिया में बांट दिया गया और जब खाद दिया गया और पानी नहीं मिला तो पौधे पीले पड़ गये, दाने काले पड़ गये । इसी तरह से सारे प्रदेश की जानकारी करायी जाय तो वस्तुस्थिति सामने आ जायगी इस तरह से क्यों काम हो रहा है, वह तो समझ में नहीं आ रहा है । जहां जिस वस्तु की आवश्यकता है वहां दूसरी देकर धन का अपव्यय करना और सदन को दूसरे आंकड़े प्रस्तुत करना यह कहां तक उचित कहा जा सकता है ? हमारे मित्र रामस्वरूप वर्मा जी ने काफी खोज करके एक बात दी कि एक प्रश्न यह है कि डा० मुखर्जी साहब डायरेक्टर हैं, मगर डाक्टोरेट किये हैं केम्ब्रिज में । कोई डाक्टर हैं रामसूरत साहब, ये अडीशनल डायरेक्टर हैं, मगर वह हार्टिकल्चर के विशेषज्ञ हैं । और खेती का विशेषज्ञ इस विभाग में कोई नहीं है यह उन्होंने हमको एक जानकारी करायी । सरकार इस बात का पता लगाये कि यह कहां तक सत्य है । और जब खेती का विशेषज्ञ इस विभाग में नहीं है तो फिर अनाप शनाप काम होंगे, उसमें जनता की परेशानी और तबाही होगी ।

श्रीमन्, १९५५-५६ से जब हम १९५७-५८ का मुकाबला करते हैं तो पता लगता है कि खाद्य पदार्थों के अधीन जो खेती है उसमें ७.६ लाख एकड़ की कमी हुई है । मान लीजिये बाढ़ आयी, सूखा आया, बूड़ा आया मगर क्राप एरिया क्यों कम हुआ ? इसी तरह से .२ लाख एकड़ की कमी १९५६-५७ के मुकाबले में १९५७-५८ में अन्य पदार्थों की फसलों में हुई । खाद्यान्न का सूचांक १९५६-५७ में जहां ११७ था वहां वह १९५७-५८ में घट कर १०७ ही रह गया । गेहूं के उत्पादन में ४०९ हजार टन की कमी हुई, चावल के उत्पादन में २५३ हजार टन की, चने के उत्पादन में ९० हजार टन की, जौ के उत्पादन में ३४२ हजार टन की, मक्का में २०३ हजार टन की, अरहर में ४५८ हजार टन की, तिलहन में ११६ हजार टन की और गन्ने की बोवाई में ४९ हजार एकड़ की कमी हुई १९५६-५७ के मुकाबले में १९५७-५८ में । इसी प्रकार मिलों द्वारा सन् १९५६-५७ में ३१३५ हजार मन गन्ना पेरा गया और सन् १९५७-५८ में २५८१ हजार मन पेरा गया, यानी ५५४ हजार मन गन्ना कम पेरा गया । तो माननीय मोहनलाल गौतमजी का रबी आन्दोलन कहां चला गया ? जब मैं देखता हूं कि इस तरह से ट्रंक काल होता है, फोन होते हैं कि फलां आदमी हमारी पार्टी का है, उसको यहां से वहां ट्रांसफर कर दो तो कैसे काम चल सकता है । मैं चाहता हूं कि कोई उचित अधिकारी इसकी जांच पड़ताल करे ।

खलीलाबाद में एक संकटासहाय कोई बड़े आदमी हैं जिनकी साढ़े ४ बीघे जमीन २६ हजार रुपये में खरीदी गयी, यानी ५-६ हजार रुपये के करीब १ बीघा जमीन पड़ी और मेरी आगे की जो जानकारी है उसको मैं सदन में नहीं कहना चाहता कि उसमें कौन कौन से बड़े बड़े लोग फंसते हैं । ये सब बातें इतनी दूर तक फैल गयी हैं कि जब हम देखते हैं कि इन्सानियत का चिराग बुझ रहा है और गन्दगी का कीचड़ फैल रहा है तो बाध्य हो कर इन बातों को सदन में कहना पड़ता है कर्त्तव्य पालन के हेतु ।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय कृषि मंत्री जी से कहूंगा कि वे अपने डिपार्टमेंट को बन्द कर दें, सारा अनुदान लेना बन्द कर दें और एक खेतिहर पल्टन तैयार करें । सोशलिस्ट पार्टी सदा से मांग करती रही है कि एक अन्न सेना भरती करो और नयी जमीन को तोड़ने की जिम्मेदारी उसको दो । २, ४, १० जिलों में हाथ उठवा कर देखिये कि कितने आदमी खाने और कपड़े पर

नयी जमीन को तोड़ने के लिये तैयार हैं । मैं समझता हूं कि लाखों की तादाद में हाथ उठेंगे । आज कितनी श्रम शक्ति हमारे प्रदेश में बेकार जा रही है । उस श्रम शक्ति के सदुपयोग का क्या इंतजाम माननीय कृषि मंत्री जी ने किया है ? जवाहरलालजी के लम्बे चौड़े भाषण हो जाते हैं, असेम्बली में आ कर मंत्री जी की लम्बी चौड़ी तकरीरें हो जाती हैं, मगर जो बुनियादी बात है उधर कोई नहीं जाता है । क्यों न खेतिहर पल्टन बनाई जाती है ? जो यह हट्टे कट्टे लोग बेकार पड़े हुये हैं इनको काम में लगाया जाता है । वह जमीन तोड़ सकते हैं, खाद दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं और खेती के तमाम कार्य कर सकते हैं । उनके जरिये उत्पादन बढ़ाया जा सकता है । यदि उनके जरिये उत्पादन बढ़ाया जाता तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे यहां खाद्यान्न की कमी नहीं हो सकती थी । हमने हिसाब लगाया है ढाई लाख पल्टन नई जमीन तोड़ने के लिये भर्ती होनी चाहिये थी जो ९० लाख एकड़ जमीन को तोड़ सकती है, यह सरकारी आंकड़े के अनुसार है । इस तरह से यह उत्पादन बढ़ा सकते हैं ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सम्पूर्णानन्द जी के मकान में स्वाथलेस एग्रीकल्चर के ऊपर ११ हजार रुपया खर्च किया गया है वहां मिट्टी विहीन खेती हो रही है । यह ११ हजार रुपया गरीब जनता की कमाई का है यह किसी एक आदमी की कमाई नहीं है । हम यह कह रहे हैं अलाभकर जोतों से लगान को माफ किया जाय । माफ करें लाल बत्ती जल गई वरना मैं अर्ज करता ।

श्री उपाध्यक्ष—आप दो चार मिनट और लेना चाहें तो ले सकते हैं ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, यह हो रहा है कि अभी मेरी मोहनलाल जी गौतम से बातचीत हुई थी तो उनका एक सीड स्टोर अच्छी जमीन पर (एक अहीर की गोइड़ की जमीन है) बनाया जा रहा है । वह अच्छा खेत है और उसमें अच्छी फसल होती है और उसमें वह दो तीन फसलें पैदा करता है । उसके पास ही एक बंजर जमीन है जो सड़क पर है वहां सीड स्टोर नहीं बनाया जा रहा है । वह तो अहीर, यादव के खेत पर ही बनाया जा रहा है जो एक मात्र उसके जीवन का सहारा है । बात असल में यह है कि कांग्रेस पार्टी के लोग उसको दबाना चाहते हैं । इलेक्शन में वोट मांगने पर उसने नहीं दिया । यदि इस तरह से पोलिटिक्स को सामने रखकर विकास की योजनायें कार्यान्वित की जायंगी तो वह योजनायें सफल नहीं हो सकती हैं और देश रसातल में जायगा । मैं कहना चाहता हूं कि वहां जाकर जांच की जाय । वहां फोन किया जाय । बनारस के अधिकारियों को फोन किया जाय कि यादव के खेत में सीड स्टोर न बने, बन्जर जमीन में बने ।

श्रीमन्, तीन वर्ष का मामला है । मैं लगातार तीन से परेशान हो चुका हूं । आज तक वहां से किसान निकाले जा रहे हैं, उनकी बेदखली हो रही है, लगान के लिये उनको कुर्की हो रही है । इसके अलावा श्रीमन्, मैं क्या कहूं ? किसी खाद्य मंत्री के दिमाग में एक फितूर पैदा हुआ । गंगा के किनारे की जमीन जो बिना सींचे हुये १४-१५ मन प्रति एकड़ गेहूं पैदा करने वाली है, वहां मिकेनाइज्ड खेती होगी । जहां अच्छी खेती हो रही थी उसको खतम करके अब यह खेती शुरू होगी । कानून की उपेक्षा करके १३०० एकड़ जमीन ले ली गई । जब लोग लड़े तो जमीन दी गई । लेकिन उस जमीन का आज तक बटवारा नहीं हुआ है । जब वह जमीन सरकारी फार्म में आ गई तो सारी जमीन मिल गई । उसका बटवारा आज तक नहीं हुआ और आज तक वहां के किसान परेशान किये जा रहे हैं । हमारे मित्र बलवान सिंह जो कह रहे हैं कि मामला सदन में उठाया जा चुका है ।

बड़े बड़े इकोनोमिस्ट्स यानी अर्थशास्त्रियों की सम्मति हमारे पास मौजूद है कि मानव को मारकर, मानव की शक्ति का हरण करके अगर कोई सरकार विकास की योजना चलाती है तो वह कभी भी सफल नहीं हो सकती है । कानपुर में एक आदमी के पास हजारों एकड़ जमीन है

[श्री राजनारायण]

लेकिन उसके खेत को नहीं लिया जायगा , क्योंकि वह उनको गद्दी पर बिठायेगा और सुगंधित वातावरण में ठंडी समीर में उनको आदर देगा, लेकिन गरीब किसान से उनको क्या मिलेगा । जिसके शरीर में बदबू आती है और उसका रंग भी काला पड़ गया है । उनके लिये कहावत मशहूर है कि "लाल देही कालो हो गई बिन जेठ के सोये ।" उनका बदन काला पड़ जाता है मगर जेठ की दुपहरी में उनका सोना नहीं होता । मैं माननीय गेंदा सिंह जी की ताईद करता हूं कि जो बड़े बड़े अफसर देहातों में जाते हैं किसान उनसे भड़कता है । वह सोचता है कि न लोक भूषा है, न लोक भाषा है, न लोक भोजन है और न लोक भवन है । अगर लोकतंत्र चलाना है तो इसके लिये जरूरी है कि लोक भोजन हो, लोक भूषा हो, लोक भाषा हो, लोक भवन हो । माननीय मंत्री जी ने क्या कोई इसकी व्यवस्था की है ? चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है । मैं एक एक उदाहरण देकर कहना चाहता हूं । अगर माननीय गौतम जी के अन्दर ईमानदारी है, क्षमता है, तो चलें बनारस के अन्दर पार्टी पालिटिक्स को ऊपर रख कर। उस यादव की जमीन ली जा रही है । शहन्शाहपुर आराजी लाइंस में जो फार्म बनाया गया उस फार्म में घाटा हो रहा है । किसान बरबाद होता रहा और फार्म घाटे में चलता रहा । कानपुर का मामला पार्टी लाइन पर प्रत्यक्ष है । माननीय गौतम जी इसकी जांच करें और तब अगर वह यहां आयें और तब कोई कह दे कि इन की प्रशंसा कर दो तो शायद हम तैयार होंगे । जितना निकम्मा काम हुआ है, जितना धन का दुरुपयोग हुआ है उसके मुकाबले में जनता ने कुछ नहीं पाया । सूबे में एक छोर से दूसरे छोर तक घूम कर और जानकारी करके मैंने इसको कहा है ।

श्री ब्रजगोपाल सक्सेना (जिला हमीरपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने दोनों ओर के भाषण सुने । अभी तक यह देखने में आता था कि इस ओर के और उस ओर के भाषणों में अन्तर मालूम होता था, लेकिन आज के भाषणों से इस ओर क्या है और उस ओर क्या है इसकी मैं तमीज नहीं कर सका तो मुझे एक कहानी याद आ गयी हितोपदेश की । एक ब्राह्मण अपने यज्ञ के लिये बकरा लेकर आया । जब वह ठगों के गांव में पहुंचा तो उन्होंने सलाह कर ली कि इस बकरे को छीनना है । षडयंत्र बना लिया और ब्राह्मण से कहना शुरू किया कि कुत्ता कहां लिये जा रहे हो । ब्राह्मण ने कहा कि कुत्ता कहां लिये जा रहा हूं, बकरा है । उन्होंने कहा कि नहीं मानते हो तो यज्ञ अपवित्र हो जायगा । आगे चला तो फिर किसी ने कहा कि यह कुत्ता कहां लिये जा रहे हो । गरज यह कि गांव के गांव ने यह कहना शुरू कर दिया कि कुत्ता कहां लिये जा रहे हो । ब्राह्मण का दिमाग बदल गया । उसने सोचा कि मुझ से खरीदने में गलती हो गयी । वाकई यह बकरा नहीं है कुत्ता है । तो यज्ञ न भ्रष्ट हो जाय इसलिये बकरे को फेंक दिया । ठगों को बकरा मिल गया । ऐसी सूरत तो नहीं है , लेकिन मुझे यह आशंका हो रही है कि कहीं ऐसी सूरत पैदा न हो जाय । कृषि पर अनुदान मांगे गये मैंने उन अनुदानों पर कटौतियां भी पढ़ीं । जहां विवाद होता है वहां कोई बात नहीं है लेकिन उसकी नीति भी होती है कि किस ढंग से चर्चा करनी चाहिये । दोष बताये जाते हैं । वह भी कोई बात नहीं, लेकिन मेरा ऐसा खयाल है कि हम लोग बड़े जिम्मेदार लोग हैं । अपने अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं । यह कोई नाटक है नहीं । यह नाटक का घर नहीं है । कोई स्ट्राइक कराने का स्थान भी नहीं है । न जोशीले भाषणों की आवश्यकता है और न प्रहसन खेलने की आवश्यकता है । हमें इस बात की आवश्यकता है कि हम कोई कांक्रीट चीज ऐसी लायें जिससे कुछ फायदा हो मुल्क का । इस दृष्टि से हमें सोचना चाहिये । पार्टीबन्दी को भुला कर हमें वही कहना चाहिये जो ठीक हो । बंधन होता है पार्टी का, लेकिन उस में ऐसी बात होनी चाहिये जिससे नुकसान न हो । मुझे एक बात याद आई । जो भाषण उन्होंने अभी दिया

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य का पहला भाषण है । आप लोग जरा उन पर कृपा रखें ।

श्री ब्रजगोपाल सक्सेना—और मैं आशा करता हूं कि आप मुझे और भी मौके देंगे ऐसे भाषण के, क्योंकि आज आवश्यकता है ऐसे भाषणों की।

आपने गत महायुद्ध देखा। आपने चर्चिल का 'वी' आन्दोलन देखा। उन्होंने कहा कि हर जगह 'वी' लगा दो। सब जानते हैं कि वी केवल दीवारों पर लिख देने से विजय नहीं होती। लेकिन वी लिख देने से ऐसी भावना पैदा हो जाती है कि हर ओर अपनी विजय ही दिखाई देती है। उससे आत्मा में शक्ति पैदा होती है, सिपाही के अन्दर शक्ति आ जाती है लड़ने की। वह चारों तरफ जब वी देखता है तो उसे अपनी विजय ही विजय, विक्ट्री ही विक्ट्री दिखाई देती है। जब किसी पहलवान को यह विश्वास होता है कि उसकी बिजय होगी, पराजय का गुमान तक नहीं है, तो अवश्य ही वह जीतता है। यह मनोवैज्ञानिक चीज है। हिटलर ने रूस पर हमला किया, इंग्लैन्ड पर हमला नहीं किया क्योंकि वह जानता था कि इंग्लैन्ड की जनता कैसी है ? वह इतनी स्थिर-बुद्धि है कि अपना कर्त्तव्य पालन करना जानती है। इसलिये उसने इंगलैन्ड पर हमला नहीं किया। रूस के बारे में उसको कुछ भ्रम था। ४८ घंटे उसको सोचने में लगे, लेकिन उसने यही पसन्द किया कि इंग्लैन्ड पर न कर के रूस पर हमला किया जाय। तो अब मैं यह देखता हूं इस जमाने में कि यह जमाना प्रचार वाला जमाना है।

हर मसले पर जब यहां बहस होती है तो ऐसा वातावरण पैदा किया जाता है कि बड़ी बदगुमानी, बड़ी बदअमनी पैदा होती चली जाय। सृजन नहीं करते, डेस्ट्रक्शन करते हैं। बनाते नहीं है बल्कि विध्वंस करते हैं। असल चीज भी कहेंगे तो ऐसे आवेश में कह देंगे या ऐसी हंसी के साथ कहेंगे कि उसका महत्व खत्म हो जायगा। ऐसा कुछ भ्रम पैदा हो जायगा कि असली चीज क्या है यह पता ही नहीं लगेगा। हमारे दोनों के दोनों ही मित्र ऐसे हैं माननीय विष्ट साहब और माननीय राजनारायण जी कि दोनों ही बहुत विद्वान हैं, मैं उनसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूं, लेकिन आपने फरमाया भूमिहीन खेती, जहां मिट्टी नहीं है वहां खेती की जा रही है। वहां खेती का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है ? तो क्या जहां जमीन है वहां एक्सपरिमेंट करें क्या ? अगर हम यह एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जहां भूमि नहीं है वहां भी कुछ उपज हो सके और उसमें अगर हम सफल हो सके तो बड़ी अच्छी बात है। जमीन की हमारे यहां कमी है। आबादी हर साल बढ़ती जा रही है, जमीन तो नहीं बढ़ सकती, वह कोई रबर तो है नहीं। वह तो उतनी ही रहेगी। लेकिन आबादी हर साल ५० लाख बढ़ती चली जा रही है। आगे चलकर ऐसी समस्या पैदा हो सकती है कि खाने के लाले पड़ जायं। तो अगर गवर्नमेंट दूरदर्शिता से काम ले रही है और इस तरह का एक्सपेरिमेंट कर रही है कि बिना भूमि के खेती कैसे की जाय तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। दसरी बात पत्थर पर धान पैदा करने वाली आयी। पत्थर पर भी धान उपज सके तो बड़ी अच्छी बात है। उसमें अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और वह एक्सपेरिमेंट सफल हो जाय तो बड़ा अच्छा है।

तीसरी बात उन्होंने यह कही कि हम अमेरिका वालों की नकल करते हैं दूसरे मुल्कों की नकल करते हैं। यहां तो मैं भाषण सुनते सुनते थक गया। यहां तो नकल के सिवाय और कोई बात कोई कहते ही नहीं हैं। बी० सी० जी० के लिये पहले अमेरिका ने कहा कि बड़ी अच्छी चीज है। हमने भी कहा कि बड़ी अच्छी चीज है। अब कहते हैं कि बड़ी खराब बात है। दो मिनट और देने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष—आपके दो मिनट हैं अभी।

श्री ब्रजगोपाल सक्सेना—तो मैं यह कह रहा था कि अनुभव होता है। कुनैन के बारे में अनुभव किया था एलोपैथी ने कि कुनैन नहीं देना चाहिये चढ़े बुखार में। आज वह चढ़े बुखार में कुनैन देते हैं। फिर वह भी तो बड़े वैज्ञानिक हैं। उनकी बुद्धि पर हमने विश्वास कर लिया है। उन्होंने कहा कि बी० सी० जी० लगाना चाहिये, हमने अपना लिया। अगर

[श्री ब्रजगोपाल सक्सेना]

हम उनकी बात इस तरह से नहीं मानते हैं तो जनता कैसे हमारी बात मान जायगी ? वह भी तो कहेगी कि हम देख लेंगे तो करेंगे । तो जिसके अनुभव पर हमने विश्वास कर लिया है उसकी बात हमें माननी होती है । एक बात नवल किशोर जी ने यह कही कि यह रिसर्च जो हो रहे हैं आपके उनको देहात में ले जाने की बात में कोई कोआर्डिनेशन नहीं है ।

सरकार रुद्रपुर ऐग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कायम करने जा रही है । उसका यही उद्देश्य है रिसर्च इंस्टीट्यूट एक्सटेंसन सर्विस , फील्ड पर काम और ट्रेनिंग । तो सरकार अन्धी नहीं है । वह अपनी आंखों को बन्द नहीं किये हुए हैं । वह जागरूक है । वह देख रही है कि हमें यह करना चाहिये । नुक्स होते हैं । वह नुक्स बताये जाते हैं । उनका समाधान भी किया जाता है । इस तरह कुछ उसका भी समाधान हो रहा है । एक बात और कही गई एग्रीकल्चर अफसरों के बारे में कि एग्रीकल्चर अफसर अब एडमिनिस्ट्रेटिव अधिक हो गये हैं । यह जमाना ही ऐसा हैकि समाज एडमिनिस्ट्रेशन की अपेक्षा रखता है और हमको इसकी आवश्यकता पड़ती है । कौन आदमी ऐसा है जो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करता ? श्रीमन्, आप स्वयं यहां एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं और उसी लहजे से यहां पर बोलते हैं । एडमिनिस्ट्रेशन की कहां पर आवश्यकता नहीं है ? अकेले टेक्निकल होने से काम नहीं चलेगा । इसलिये एडमिनिस्ट्रेटिव होना कोई बेजा नहीं है । कुछ एग्रीकल्चर अफसरों के गजटेड अफसर बन देने की बात कही गई । श्रीमन्, यहां पर रोज कहा जाता है कि उनकी तनख्वाह आप बढ़ा नहीं रहे हैं और उनका मुस्तकिल इन्तजाम नहीं कर रहे हैं ताकि उनको संतोष हो, लेकिन जब उनको क्वालिफाइड होने पर गजटेड आफिसर बना दिया जाता है तो कहा जाता है कि ये अफसर बना कर रख दिये गये हैं । इसलिये यह कटौती का प्रस्ताव जो रखा गया है उसमें कोई भी तथ्य नहीं है जिसके आधार पर कोई कमी इस एग्रीकल्चर के बजट में की जा सके ।

माननीय मंत्री जी ने कृषि विभाग की प्रगति पर खुशी प्रकट की है । श्री गोविन्द सहाय जी ने इस पर कुछ आपत्ति सी की है । श्रीमन्, इस सदन में जो कम्युनिस्ट भाई हैं उनको विदित है कि कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता की योग्यता की यह कसौटी है कि वह सदस्य अपने भाषण में जिस विषय का प्रतिपादन कर रहा है उसमें उसको पूर्ण आस्था है, विश्वास है । वक्ता को स्वयं कन्विंस्ड होना चाहिये, उसका कन्विक्शन होना चाहिये, ओडियन्स कन्विन्स्ड हों या न हों । अगर किसी चीज को लेकर गौतम जी वाकई ईमान्दारी के साथ यह कहते हैं कि उनको खुशी है तो मैं उनको इसके लिये बधाई देता हूं क्योंकि उनकी खुशी उनके विश्वास पर आधारित है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है मैं उसका समर्थन करता हूं । माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में २, ३ बातों का जिक्र किया कि १० लाख ग्रामीण सहायकों को शिक्षा देने की व्यवस्था की जा रही है और १९५९ में रबी आन्दोलन और खरीफ आन्दोलन की तैयारी हो रही है । दूसरी बातों का भी उन्होंने जिक्र किया कि पैदावार ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि आपकी तरफ से खाद ज्यादा दी गयी और बीज दिया गया। मैं इसके संबंध में यह अर्ज करना चाहता हूं कि बहुत अच्छी बात है कि जो ऐसा हुआ । माननीय मंत्री जी कैबिनेट के एक मेम्बर हैं । मैं यह देखता हूं कि कृषि और सिंचाई दोनों विभागों का ऐसा गहरा संबंध है कि यदि इनको एक मंत्री के पास नहीं रखा जायगा तो आप लाख कोशिश करें खेती की पैदावार बढ़ नहीं सकती है । इसलिये मैं चाहता हूं कि यह दोनों विभाग कृषि और सिंचाई एक मंत्री के हाथ में रहें ।

रबी आन्दोलन के सिलसिले में २, ३ जगह माननीय मंत्री जी की तरफ से जो आन्दोलन चलाया गया, उसमें मैंने भाग लिया था । उसमें जो दिक्कतें मिलीं मैं उनके आधार पर कहना चाहता हूं कि यह दोनों विभाग एक ही मंत्री के पास रहें तो बहुत अच्छा है । जहां पर बाढ़ आ जाती है और पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है तो सिंचाई विभाग की तरफ से पानी निकाला जाता है । उससे सैकड़ों एकड़ जमीन जो परती पड़ी हुई है, खेती नहीं की गई, वह

बरबाद हो जाती है । यह बहुत जरूरी है और इसकी तरफ सरकार का ध्यान जाय इसी वजह से हमारे सूबे की पैदावार बहुत कम हो रही है । इसलिये यह दोनों विभाग एक जगह रहें तो लाभ हो सकता है ।

दूसरी बात यह है कि जैसा माननीय मंत्री जी ने ब्लाक का जिक्र किया । आप ब्लाक में जाकर देखें तो वहां पर किसानों का जितना फायदा होता है उससे ज्यादा वहां पर इमारतों और इसी तरह की चीजों की तरफ ध्यान दिया जाता है । मैं कहता हूं कि जब हमारा देश गरीब है और किसान गरीब है और आप कृषि की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो आप किसानों के लिये साधन जुटायें । इमारतों की तरफ आपका ध्यान क्यों जाता है ? मैं चाहता हूं कि यह जो भिक्षा दी जाती है ५, ५ दाने इसके बजाय ब्लाक में कुछ गांव चुने जायं और पूरी की पूरी ताकत उनमें लगायी जाय और देखा जाय रिसर्च की तरह से । चीजों की भिक्षा बांटना, मैं समझता हूं, उसका दुरुपयोग करना है । उसका सही इस्तेमाल नहीं होता । तो बिल्डिंग की तरफ ध्यान नहीं होना चाहिये । दूसरे, जो जीप भेजी गयी है ब्लाक के अफसरों के पास, पता नहीं वह अमरीका के कहने से भेजी गयी है अथवा किसी और जरिये से, उसका जो दुरुपयोग हो रहा है उसको रोका जाय । उसको वापस लें अथवा दुरुपयोग रोकें । उससे प्लानिंग से मतलब नहीं है ।

एक बात और कहना चाहता हूं । ब्लाक में जितने अधिकारी जाते हैं चाहे बी० डी० ओ० हों अथवा कृषि के ए० डी० ओ०, वे सब लोग देहात की जनता में खप नहीं पाते । देहात में ज्यादातर लोग धोती कुरता पहनते हैं और उनमें जब ये सूटबूटधारी लोग पहुंचते हैं तो वहां की जनता भड़कती है । इसलिये इधर भी निगाह होनी चाहिये कि ये अफसर देहात में जाकर उसकी जनता में मिलें जुलें, उनकी बोली भाषा बोलें और तब उनको कुछ सिखलायें या व्यावहारिक ज्ञान दें ।

एक बात और मैं कृषि मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं । हमारे प्रदेश में बहुत से सरकारी कृषि फार्म हैं और नैनीताल फार्म की तरह से ही झांसी में एक बड़ा फार्म है । माननीय मंत्री जी ने एक दिन जवाब देते हुए बताया था कि १९५७-५८ में उसमें ९५,००० रुपये का घाटा था और १९५८-५९ में उसमें १,२५,००० रुपये का घाटा हुआ । मैं जानना चाहता हूं कि जब वहां ट्यूबवेल लगे हुए हैं, अच्छे अच्छे बैल हैं, अच्छे अच्छे यंत्र हैं, अच्छी खाद दी जाती है, अच्छे अच्छे अफसर हैं, वैज्ञानिक हैं, तो क्या वजह है कि हर साल हमारे सरकारी फार्मों में घाटा होता है । जब विभागीय इंजीनियर और वैज्ञानिक सरकारी फार्मों में इतने साधन होते हुए भी घाटा कराते हैं तो हमारे देहात के किसानों को वह कौन सा फायदा पहुंचा सकते हैं यह मैं जानना चाहता हूं । गोविन्द सिंह जी ने उस तरफ ध्यान आकर्षित कराया था, कृषि विभाग के अधिकारियों ने बलिया की तरफ जो जौ का बीज दिया बलिया बार्ली के नाम से और जिसके पौधे छोटे-छोटे रहे तभी बड़े-बड़े होकर बाली तो निकल आयी, और जौ नहीं हुआ और हजारों हजार किसान तबाह हुए उसके लिये माननीय मंत्री जी ने क्या किया यह मैं जानना चाहता हूं । बस्ती में इसी तरह का धान का बीज दिया गया । यह क्या हो रहा है ? अगर अफसर इस तरह का काम करते हैं तो उसकी सारी जिम्मेदारी मंत्री जी के ऊपर होती है और मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसकी सफाई करें ।

एक बात और इस सिलसिले में कहना चाहता हूं । जो आप किसान को सुविधा देते हैं बीज की, खाद की, यंत्र की, पानी की, इन सब के लिये आपको वर्गीकरण करना चाहिये। वर्गीकरण से मेरा मतलब यह है कि आप इस बात को देखें कि किस किसान को इन सब चीजों की आवश्यकता है । कौन किसान गरीब है जो बाजार से सामान नहीं खरीद सकता है । आप सब चीजें दिया करते हैं ब्लाक के जरिये, प्लानिंग के जरिये, लेकिन बड़े-बड़े किसान और जो पहले जमींदार थे उनका संबंध ब्लाक से रहता है और वे सब सामान उठा ले जाते

[श्री ऊदल]
हैं और १०० में से ८० किसान, गरीब किसान उन सामानों से वंचित रह जाता है । इसलिये मैं चाहता हूं कि आप इसका वर्गीकरण करें कि किस किस किसान को इन सामानों की आवश्यकता है और उसका प्रबंध गांव में करें या एक ऐसा सर्वे करायें कि जिससे यह पता चल सके कि किन-किन किसानों को इस तरह की मदद की जरूरत है । तो इस तरफ भी मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

एक बात मुझे और कहनी है कि आज मंत्री जी के हाथ में सहकारी समितियां भी हैं उनके जरिये काश्तकारों को ४०, ४०, रुपये तकावी के रूप में खाद के लिये दिये गये, लेकिन जैसा आप चाहते हैं कि किसानों को फायदा हो वैसा फायदा नहीं हुआ । इसलिये ज्यादा न कह कर यही कहना चाहता हूं कि वर्गीकरण करके जिन किसानों को आवश्यकता हो, जिनके पास पैसा न हो, बाजार में सामान खरीदने में असमर्थ हों, १०-५ बीघे के छोटे किसान हों, जो कि इन चीजों से वंचित रह जाते हैं उनकी सहायता विभाग किया करे । मैं अखबारों में कभी कभी पढ़ता हूं कि किसान मेहनत नहीं करते हैं, मैं कहता हूं कि वे खूब मेहनत करते हैं लेकिन उसके पास साधनों की कमी है । पानी की कमी की समस्या और बाढ़ की समस्या से उसके खेत परती पड़े रह जाते हैं । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कृषि और सिंचाई, यह दोनों विभाग एक ही मंत्री के हाथ में रहने चाहिये ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि अगर कोई महिला सदस्या खड़ी हों तो उनको हम लोगों से प्राथमिकता मिलनी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष---मैंने यह नियम बना लिया है कि जब तक कोई ऐसा सदस्य मिलता जिसने अभी भाषण नहीं दिया है उसको प्राथमिकता देता हूं ।

श्री खयालीराम (जिला लखनऊ)---श्रीमन्, मैं पहली बार बोलने की इच्छा रखता था ।

श्री उपाध्यक्ष---आपको कल मौका मिलेगा ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैंने यह निवेदन किया था कि जब कोई महिला सदस्या खड़ी हुआ करें तो उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि संविधान के अनुसार महिलायें कोई रियायत नहीं चाहतीं ।

***श्री वीरेन्द्र वर्मा**---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि प्रस्तुत दोनों अनुदान प्रदेश की खाद्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए आज अपना सब से महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं । देश के विकास और जनता की खुशहाली के लिये जरूरी है कि हम अपनी खाद्य समस्या को हल करें । मैंने बड़े ध्यानपूर्वक माननीय राजनारायण जी के व्याख्यान को सुना और आज ही नहीं इससे पेश्तर भी जब मुझे सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, मेरा दुर्भाग्य है कि कान भी मेरे ठीक हैं, लेकिन फिर भी वे इतने आवेश के साथ बोलते हैं कि शायद इस सदन के बहुत कम माननीय सदस्य उनके व्याख्यान को समझ पाते होंगे और लाभ उठा पाते होंगे । इसलिये अगर वे इतने आवेश में न आकर नुक्ताचीनी करके सक्रिय सुझाव दें तो माननीय सदस्य उसका अधिक फायदा उठा सकते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है । हमारे इस प्रदेश में आज इस बात की आवश्यकता है कि हम इन्टेंसिव कल्टिवेशन पर जोर दें । यह बात सही है कि हम अपनी जमीन को ज्यादा नहीं बढ़ा सकते लेकिन उत्पादन के बढ़ाने की आवश्यकता है । जनसंख्या बढ़ती जा रही है, पता नहीं भाई गेंदा सिंह जी ने इसका विरोध क्यों किया । आज आवश्यकता है कि खाद्य उत्पादन बढ़े और जनसंख्या कम हो । यह हमारा दुर्भाग्य है कि पिछले ४ सालों से जलवायु ने इस प्रदेश का साथ नहीं दिया, लेकिन किसी भी सदस्य ने यह कोशिश नहीं की कि वे इस बात का प्रचार करते कि जो दिन प्रति दिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है और खाने के नये मुंह पैदा होते जा रहे हैं उनमें कमी हो और अनाज का उत्पादन बढ़े । यह भी आवश्यक है कि हम इन्टेंसिव कल्टिवेशन के लिये, जैसा दो एक माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कि, बेस्ट किसानों को ज्यादा प्राइस की घोषणा करके उनको उत्साहित करें ताकि खेती में वे अधिक धन लगाकर ज्यादा पैदावार कर सकें। यह खुशी की बात है कि इस तरफ तवज्जुह गयी है और नागपुर अधिवेशन में प्राइस सपोर्ट के लिये घोषणा की गयी है और मुझे यह उम्मीद है कि प्रदेशीय सरकार केन्द्रीय सरकार के साथ मिल कर अनाज के उत्पादन में काफी हद तक वृद्धि कर सकेगी और जो रुपया अनाज के मांगने में वह खर्च करती है उसका अनाज लेकर वह बांट सकती है। उससे निस्संदेह हमारे देश का किसान अधिक उत्पादन करने की ओर ध्यान दे सकेगा। इसी प्रकार से सेंटर ने स्टेट ट्रेडिंग के सिलसिले में भी तजुर्बा करने के बारे में तय किया है। नागपुर अधिवेशन के सिलसिले में, माननीय सदस्यों के सामने मैं यह रख देना चाहता हूं कि इस कदम से भी हम किसानों को मुसीबत से बचा सकेंगे, लेकिन इन सब बातों के साथ यह जरूरी है कि हमारे प्रदेश में जो ६३ के करीब अनुसंधान सेंटर्स हैं, कृषि मंत्री जी जरा उनकी तरफ भी तवज्जह दें। मैं यह मानता हूं कि उनके ऊपर तजुर्बा किया जाता है, कुछ एक कामर्शियल फार्म्स भी हैं, लेकिन प्रदेश की खाद्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुझे नहीं मालूम कि इन अनुसंधान केन्द्रों में से किन-किन पर चावल पैदा करने का जापानी तरीका अपनाया गया है और उन सेंटर्स पर अधिक उत्पादन करके किसानों के सामने एक मिसाल रखी गयी है। आज की स्थिति को ध्यान में रख कर यह आवश्यक है कि जहां हम इन केन्द्रों में अनुसंधान करें, वहां अधिक उत्पादन करके किसानों के सामने मिसाल भी रख सकें। खेती के कानपुर सरीखे कालेज बहुत थोड़े हैं। कानपुर में जो कृषि का कालेज है वहां पर रिसर्च के सब साधन मौजूद हैं, लेकिन जितने और कालेज हैं, यानी मान्यता प्राप्त कालेज हैं, उनमें ऐग्रीकल्चर रिसर्च के एक्स-पैरीमेंट्स करने के साधन उपलब्ध नहीं है। उन कालेजेज में पढ़ने वाले किसानों के बच्चे जो वहां खेती की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जब प्रोक्टिकल ट्रेनिंग लेकर अपनी खेती पर जाते हैं, या मुलाजमत में जाते हैं तो अपने देश में अधिक उत्पादन के कार्यक्रम में योगदान नहीं दे पाते। मुझे उम्मीद है कि कृषि मंत्री जी इस ओर तवज्जह देंगे।

इसके अतिरिक्त यह मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि जितने भी कृषि अनुसंधान केन्द्र हैं उनका वन वे ट्रेफिक रहता है और जो रिसर्च वहां पर होती है वह आफीसरों तक ही रह जाती है। लेकिन किसानों को जो कठिनाई खेती में होती है उसको लेकर वह स्वतः रिसर्च स्टेशन पर नहीं पहुंचता है केवल रिसर्च स्टेशन की बात किसान तक पहुंचती है। मेरा यह सुझाव है कि इसमें टू वे ट्रेफिक होना ही चाहिये। जो मसले और दिक्कतें किसान को खेत पर आती हैं वे रिसर्च स्टेशन तक पहुंचनी चाहिये और जो रिसर्च वहां पर होती है, वे किसानों तक पहुंचनी चाहिये। इसके लिये आवश्यक है किसान गोष्ठी और सेमीनार पर जोर दिया जाय और उसके ऊपर ज्यादा खर्च किया जाय, जिससे रिसर्च स्टेशनों की जानकारी हम किसानों तक पहुंच सके। इसके साथ ही साथ मैं यह भी आवश्यक मानता हूं कि मैंने जिन कालेजेज का जिक्र किया है, सरकार इनको कुछ जमीन दिला दे जिससे किसान वर्ग वहां पर प्रेक्टिकल ट्रेनिंग पाकर जब घर लौटे तो पहले से अधिक पैदा करके अपने प्रदेश और देश को लाभान्वित कर सके। मुझे ज्ञात हुआ है कि स्वायल एनालेसिस के लिये बहुत से फर्टिलाइजर्स की तरफ सरकार की तवज्जह गयी है लेकिन आज हमारे प्रदेश के किसान चाहे पूर्वी यू० पी० के हों, चाहे पश्चिमी यू० पी० के हों चाहे मध्य यू० पी० के हों वे इस बात की जानकारी नहीं रखते कि अपने खेत में जो खाद वे इस्तेमाल करते हैं वह किस मिकदार में तथा किसी किस्म के खेत के लिये देनी चाहिये तथा किस जमीन में किस खूराक की कमी है, कौन सा मिक्सचर या अमोनियम सल्फेट या यूरिया से किस फसल को लाभ पहुंच सकता है या कौन सी फसल जमीन से किस खुराक को खींचती है।

इस प्रदेश के किसानों को इन सब बातों की जानकारी हो इसके लिये आवश्यक है कि प्रत्येक सेंटर में या प्रत्येक जिले में स्वायल एनालेसिस के केन्द्र खोले जायं जिससे फर्टिलाइजर्स या

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

दूसरे प्रकार की खादों को किसान जानकारी के साथ प्रयोग कर सकें। इसके लिये माननीय कृषि मंत्री जी से एक सुझाव यह है कि हम अपने प्रदेश में एक स्टेट बोर्ड आफ एग्रीकल्चर कंस्टीट्यूट करें, उसको रिआर्गनाइज करें और ऐसे पैमाने पर उसका रिआर्गनाइजेशन किया जाय जिससे कि इस माननीय सदन के प्रत्येक विचाराधारा के सदस्य अच्छी से अच्छी जानकारी रखने वाले वहां पहुंचें और उसकी सिफारिशों पर बल दिया जाय। अगर उस बोर्ड को स्टेटयूटरी बोर्ड बना दिया जाय तो मैं समझता हूं कि माननीय कृषि मंत्री जी की तरफ से भी बहुत तवज्जह हो। मैं इस बात को मानता हूं कि माननीय कृषि मंत्री जी अपने मुहकमे का काम चलाने के लिये काफी जानकारी हासिल किये हुए हैं, लेकिन उनकी जानकारी एक व्यक्ति की ही जानकारी है लेकिन अगर इस स्टेट बोर्ड आफ एग्रीकल्चर कायम करने की तरफ तवज्जह दी जाय तो इस प्रदेश की जनता के फायदे के लिये हमारे माननीय सदस्य सुझाव दे सकेंगे। इसके साथ ही साथ बजट में बीज की तरक्की के लिये भी २५ बीज फार्म खोलने की बात रखी गयी है। जो हमारे रिसर्च स्टेशन हैं उनके लिये मेरा सुझाव यह है कि अगर हम उन्नतिशील किसानों के यहां उन्नत बीज प्रदान करने में सहयोग दें और उनका सहयोग लें तो बगैर किसी भी फार्म के हम अधिक उन्नत बीज किसानों तक पहुंचा सकते हैं और उससे हम ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। यह मेरा एक सुझाव है।

इसके अलावा एक और सुझाव जो हमारे प्रदेश में प्रति एकड़ कितना गल्ला पैदा हुआ उसकी जांच की जाती है और पड़ताल की जाती है, उस सिलसिले में देना चाहता हूं। जिस समय फसल बोयी जाती है उसके आंकड़े हमारे लेखपाल महोदय तैयार करते हैं कि कितनी फसल बोयी गयी लेकिन कितनी फसल कटी उसके कोई आंकड़े तैयार नहीं होते। हमारे यहां इसके आंकड़े भी लेने चाहिये कि जिस समय फसल काटी गयी उस वक्त कितने एकड़ खेत से कौन सी फसल काटी गयी। क्योंकि अक्सर होता यह है कि ड्राट की वजह से या ओला पड़ने की वजह से या और किसी दैवी आपत्ति की वजह से फसल बर्बाद हो जाती है। इसका मतलब यह है कि जितनी फसल बोयी गयी थी उतनी कटती नहीं है। तो सरकार को इस तरफ तवज्जह देनी चाहिये कि कितने एकड़ फसल काटी गयी। उसके आंकड़े भी तैयार हों तो हम को सही जानकारी मिल सकती है।

इसके अलावा समय पर किसानों को बीज मिलना चाहिये। अभी सहारनपुर की बात है कि वहां चने का बीज नवम्बर के महीने में भेजा गया जो सिर्फ खाने के ही काम में आया। अगर माननीय कृषि मंत्री जी चाहते हैं कि जितना बीज तकसीम किया जाय उसका सही इस्तेमाल हो तो कृषि विभाग के अधिकारियों को इंस्पेक्टर को या दूसरे और अधिकारियों को इस बात की तरफ तवज्जह देनी चाहिये कि वे इस बात का पता लगायें और देखें कि जो बीज बोने के लिये तकसीम किये गये कहीं वे ब्लेक मार्केट में तो नहीं चले गये और उनको खाने के काम में तो नहीं लाया गया। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी मेरे इस सुझाव को स्वीकार करेंगे।

इसके अलावा मेरा एक सुझाव और है जो खेती के इनश्योरेंस के लिये है। जमीन का भी इनश्योरेंस होना चाहिये, क्योंकि अक्सर जमीन में आग लग जाती है या ओले से फसल बर्बाद हो जाती है। तो अगर हम किसानों को इन आपत्तियों से बचा कर उनका फायदा करना चाहते हैं तो माननीय कृषि मंत्री जी को इस इनश्योरेंस की स्कीम को स्वीकार करना चाहिये। मुझे आशा है कि इससे हम अपने प्रदेश के किसानों की हालत को बेहतर बनाने में और उनको उन्नत बनाने में मदद देंगे।

श्री उपाध्यक्ष---श्री बलवान सिंह जी, अब आप कल बोलेंगे।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५९ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२ मार्च, १९५९।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७९ पर)

कस्बा तिलहर जिला शाहजहांपुर में स्थित ईंट के भट्ठे वालों की सूची तथा उनको सन् १९५६ की प्रथम छमाही (जनवरी जून से वर्तमान छमाही) जनवरी जून १९५९ तक दिये गये कोयले के कोटे का विवरण

क्रम-संख्या	नाम भट्ठे वाले	स्थान	कोयले का कोटा जो दिया गया							अन्य विवरण
			१९५६		१९५७		१९५८		१९५९	
			जनवरी जून	जुलाई दिसम्बर	जनवरी जून	जुलाई दिसम्बर	जनवरी जून	जलाई दिसम्बर	जनवरी जून	
१	सर्वश्री गोपालराम, देवदत्त	मोहल्ला बनवारीपुर, तिलहर	५ वैगन	९ वैगन	४ वैगन	६ वैगन	३ वैगन	१२ बैगन	६ वैगन	
*२	बिल्लन लाल, तिलहर	भट्ठे के लिये स्थान प्राप्त नहीं किया	२ वैगन	..	..	..	..	..	..	
३	ओम् प्रकाश अग्रवाल	निकट म्युनिसिपल बोर्ड चौकी, फर्रुखाबाद रोड, तिलहर	५ वैगन	शून्य	४ वैगन	६ वैगन	३ वैगन	शून्य	शून्य	

*२९ जून, १९५६ को जिले की मान्यता प्राप्त भट्ठों की सूची से नाम हटा दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ १८० पर)

गढ़वाल जिले में अगस्त १९५८ से जनवरी १९५९ तक खोली गई सस्ते गल्ले की दूकानों की सूची

स्थान	दूकानों की संख्या	स्थान	दूकानों की संख्या
धुमोकोट ..	३	पखारी सेन ..	१
खोरेरोखाल ..	१	जोशीमठ ..	२
अगरोरा ..	१	डांगी ..	१
श्रीकोतखल ..	२	पारखोला ..	१
रुद्रप्रयाग ..	१	सारा ..	१
कुनझोली ..	१	उड्डा ..	१
कोटद्वारा ..	१	सांकर ..	१
घोलटिर ..	१	ऊखीमठ ..	१
भयांसू ..	१	नन्दप्रयाग ..	१
भिरोगुखल ..	१	चिन्का ..	१
मनडई ..	१	छ नाखाल ..	१
भारचूला ..	२	देवीखाल ..	१
सियून्सी ..	१	कांडा ..	१
कलालघाटी ..	१	साकिनखेत ..	१
खोपार (स्नेह)	१	चौबाटखाल ..	१
बिरभद्रापुर ..	१	लमगौंवी ..	१
डूंगारी ..	१	विजयनगर ..	१
पौड़ी ..	१	घिनगाराना ..	१
लाछी ..	१	देरीवखाल ..	२
कन्डाखल ..	१	मैरगांव ..	१
कालजीखल ..	१	महादेव मंडल जमेली	१
सुखराउ देवी ..	१	लक्षमनझूला ..	१
भवेनंसी ..	१	बन्दर चट्टी ..	१
दमदेवल ..	१	महादेव चट्टी	१
दवारीखाल ..	१	व्यास घाट ..	१
बन्टापानी ..	१	देलचौरी ..	१
कोटमाकादेव ..	१	सबदरखाल ..	१
गदवागद ..	१	वहबाजार ..	१
रिखानीखाल ..	१	दौंदल ..	१
उटिन्डा ..	१	थराली ..	१
सिलोगी ..	१	ग्वालदम ..	१
हेलान्ग ..	१	टिमली बारी ..	१
अदालीखाल ..	१	काथुरवारा ..	१
पोखारी ..	१	धामघर ..	१
धौलखाटखाल ..	१	बन्गर ..	१
डावरीसेन ..	१	कन्दरा ..	१
पुनार ..	१		
सियालखाल ..	१	टोटल ..	८२
पैथानी ..	१		
बदियारगांव ..	१		

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८३ पर)

तालिका 'क'

पूरे मेरठ जिले में रबी वितरण की मात्रा निम्नलिखित है :

बीज .. .. १,६७,५३८ मन ३५ सेर ८ छटांक ।

खाद .. .. २,८६४.९९ टन ।

ब्लाक लौनी, मुरादनगर और रजापुर क्षेत्रों में रबी वितरण की मात्रा निम्नलिखित है :

ब्लाक का नाम	वितरित बीज की मात्रा (मनों में)			वितरित खाद की मात्रा (टनों में)
	मन	सेर	छ०	टन
लौनी	६,९६८	२२	१०	३३.१२
मुरादनगर	४,९७०	१	४	१६.५५
रजापुर	७,२६८	३८	४	२४२.००

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८४ पर)

तालिका 'ख'

पद	संख्या	वेतन-क्रम
फार्म मैनेजर ..	१	२५०---२५---४००---द० रो०---३०---७०० ---द० रो०---५०---८५० रु० ।
ट्रैक्टर मैकेनिक ..	१	१२०---६---२१०---१०---२५० रु० ।
फार्म असिस्टेंट ..	१	१२०---६---२१०---१०---२५० रु० ।
सीनियर क्लर्क ..	१	८०---५---१००---६---१३० रु० ।
ट्रैक्टर आपरेटर ..	४	८०---५---१२० रु० ।
कल्विेशन ओवेरसियर ..	२	७५---५---१२० रु० ।
जूनियर क्लर्क ..	२	६०---३---९०---४---११० रु० ।
स्टोर कीपर ..	१	६०---३---९०---४---११० रु० ।
ट्रक ड्राइवर ..	१	४५---२---६५---३---८० रु० ।
जीप ड्राइवर ..	१	
ब्लैक स्मिथ कम कारपेन्टर	१	४५---२---६५---३---८० रु० ।
ट्रैक्टर क्लीनर ..	२	४५---३---६० रु० ।
स्वीपर ..	२	२२---१/२---२७ रु० ।
प्याऊमैन ..	१७	
आफिस प्योन ..	१	
अर्दली प्योन ..	१	
चौकीदार ..	६	

उपरोक्त कर्मचारियों के अतिरिक्त कृषि क्षेत्र के विभिन्न कामों के लिए ४२ सामान्य श्रमिक भी लगाए जाते हैं। जिनका प्रतिदिन का वेतन १ रु० तथा १५ नये पैसे होता है। उक्त कर्मचारियों के वेतन आदि व्यय ३,५५७ रु० है।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८४ पर)

तालिका 'व'

वर्ष	व्यय (केवल कृषि विभाग) रु०	अन्न की पैदावार (मनों में)
१९४९–५०	७३,६३१	४,०२८
१९५०–५१	१,००,००५	२,६११
१९५१–५२	१,२६,४८७	१,९७७
१९५२–५३	१,१०,९६२	२,८८९
१९५३–५४	१,१८,३७०	५,७३८
१९५४–५५	१,३६,४६५	८,१२०
१९५५–५६	१,४८,६२६	४,३८०
१९५६–५७	१,५६,८०३	८,५३८
१९५७–५८	१,०१,१८९	३,८००

इसमें डेप्रिसियेशन तथा सूद भी सम्मिलित है।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८५ पर)

तालिका ।

नाम बीज	मात्रा मन
गेहूं	६६,३३३
चना	५,६८७
जौ	२,२७०
मटर	१०,४८८
सरसों	३०
मसूर	५

सत्यमेव जयते

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८६ पर)

जिला वाराणसी के परगना कटेहर, जालूपुर तथा सुलतानीपुर में खुली हुई सस्ते गल्ले की दूकानों की सूची ।

परगने का नाम	उन स्थानों के नाम जहां दूकानें हैं		
१—कटेहर	(१) अयार		
	(२) भटौली		
	(३) मोहार		
	(४) चौबेपुर		
	(५) चोलापुर		
	(६) धरहरा		
	(७) गरथमा		
	(८) कैथी		
	(९) नियार दीह		
	(१०) पहरिया		
	(११) परबतपुर		
	(१२) रजवाड़ी		
	(१३) तुसौरा	१३	दूकानें
२—जालूपुर	(१) गौरा		
	(२) गोबरहा		
	(३) नरायनपुर		
	(४) जालूपुर	४	दूकानें
३—सुलतानीपुर	(१) दानगंज	१	दूकान
	योग ..	१८	दूकानें

नत्थी 'ज'

(देखिये पीछे पृष्ठ १९० पर)

ख

उत्तर प्रदेश बिक्री–कर (संशोधन) विधेयक, १९५९

प्रवर समिति की निर्मिति—

(१)	श्री	सैयद अली जहीर, वित्त मंत्री	सभापति
(२)	,,	नारायणदत्त तिवारी	सदस्य
(३)	,,	रामस्वरूप वर्मा	,,
(४)	,,	शिवप्रसाद नागर	,,
(५)	,,	पब्बरराम	,,
(६)	,,	भूपकिशोर	,,
(७)	,,	शिवशंकर सिंह	,,
(८)	,,	राजेन्द्रसिंह	,,
(९)	,,	शिवमूर्ति	,,
(१०)	,,	ब्रजभूषणशरण	,,
(११)	,,	नरेन्द्रसिंह भंडारी	,,
(१२)	,,	शिवशरणलाल	,,
(१३)	,,	जगदीशशरण अग्रवाल	,,
(१४)	,,	रामहेत सिंह	,,
(१५)	,,	अब्दुल लतीफ नोमानी	,,
(१६)	,,	दीपनारायणमणि त्रिपाठी	,,
(१७)	,,	महीलाल	,,
(१८)	,,	चन्द्रहास मिश्र	,,
(१९)	श्रीमती	चन्द्रावती	,,

विधान सभा सचिवालय

१—श्री देवकीनन्दन मित्थल, सचिव, विधान सभा ।

सरकारी सचिवालय

१—श्री विपिन बिहारीलाल, आई० सी० एस०, वित्त आयुक्त तथा सचिव ।

२—श्री हरिश्चन्द्र सक्सेना, सेल्स टैक्स कमिश्नर ।

३—श्री लक्ष्मी प्रसाद निगम, संयुक्त सचिव, न्याय शाखा तथा संयुक्त विधि परामर्शदाता ।

ग

प्रवर समिति का प्रतिवेदन

मैं, उस प्रवर समिति का सभापति, जिसे उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५९ निर्दिष्ट किया गया था, समिति की ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये अधिकृत होकर समिति का प्रतिवेदन, समिति द्वारा संशोधित संलग्न विधेयक सहित प्रस्तुत करता हूं।

२---यह विधेयक विधान सभा में ११ फरवरी, १९५९ को पुरःस्थापित किया गया और उत्तर प्रदेश सरकार के २१ फरवरी, १९५९ के गजट में प्रकाशित हुआ। विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के संकल्प पर १८, १९, २०, २१ तथा २३ फरवरी, १९५९ को विचार होने के उपरान्त, वह संकल्प २३ फरवरी, १९५९ को स्वीकृत हुआ।

३---समिति की कुल पांच बैठकें २४, २५, २६, २७ व २८, फरवरी, १९५९ को हुईं और सदस्यों द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के प्रकाश में विधेयक पर खंडशः विचार किया गया।

४---समिति ने प्रतिवेदन पर २८ फरवरी, १९५९ को विचार करके उसे स्वीकार किया।

५---समिति द्वारा प्रस्तावित मुख्य-मुख्य परिवर्तनों का विवरण इस प्रकार है---

खंड १---खंड १ के उपखंड (२) के पश्चात् निम्नांकित रख दिया जायः

"(३) यह तुरन्त प्रचलित होगाः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ (जिसे आगे 'मूल अधिनियम' कहा गया है) में धारा ४ द्वारा किये गये संशोधन इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पहिले के किसी भी वर्ष के निमित्त कर-निर्धारण के सम्बन्ध में भी लागू होंगे, चाहे ऐसे कर-निर्धारण किसी भी स्तर पर पूर्ण हो गये थे या पूर्ण हो गये हों अथवा नहीं।"

खंड २---खंड २ में शब्द तथा अंक "उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० (जिसे आगे 'मूल अधिनियम' कहा गया है)" के स्थान पर शब्द "मूल अधिनियम" रख दिये जायं।

खंड ६---खंड ६ में प्रस्तावित धारा (१-क) की पंक्ति २ में शब्द "के पूर्व" तथा शब्द "व्यापारी" के बीच में शब्द "या उसके साथ" रख दिये जायं।

खंड १०---खंड १० में शब्द तथा अंक "धारा ४ की उपधारा (१) के खंड (ख) के अधीन मुक्ति-शुल्क (exemption fee) निर्दिष्ट करने की आज्ञा अथवा" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायः

"धारा ४ की उपधारा (१) के खंड (ख) के अधीन कर-मुक्ति प्रमाण-पत्र के लिये दिये गये किसी प्रार्थना-पत्र को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने की आज्ञा अथवा धारा ३० के अधीन प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार करने की आज्ञा अथवा"

खंड १३---खंड १३ में प्रस्तावित धारा १४ (१) के खंड (क), (ख) तथा (ग) (१) के प्रारम्भ में शब्द "उपयुक्त कारण के बिना" जोड़ दिये जायं।

सैयद अली जहीर,
सभापति,
प्रवर समिति।

घ

विमति टिप्पणी

वर्तमान बिक्री-कर संशोधन विधेयक मूल अधिनियम में २० वां संशोधन है । इस तीव्रता के साथ संशोधनों का लाना केवल एक ही बात की ओर संकेत करता है कि विधेयक में जनहितकारिणी प्रवृत्तियों का समादर नहीं किया गया है । कई वर्षों से खाद्यान्नों पर लगाये गये बिक्री-कर का भयंकर विरोध सार्वजनिक रूप से हुआ है तथापि वर्तमान विधेयक में खाद्यान्न पर से बिक्री-कर हटाने का संशोधन नहीं प्रस्तुत किया गया है वरन् बहुपदी बिक्री-कर लगा दिया गया है ।

प्रस्तुत विधेयक के खंड ३ की उपधारा (१) में पुराने १ पैसे के स्थान पर अब नये २ पैसे रख दिये गये हैं जिससे २८ प्रतिशत की वृद्धि टैक्स में हो गयी है । इस प्रकार प्रस्तुत विधेयक केवल कुछ धाराओं का संशोधन करने के लिये ही नहीं वरन् कर वृद्धि करने के लिये लाया गया है जो उद्देश्य और कारणों में वर्णित न होने के बावजूद प्रस्तुत किया गया है । अतः सर्वथा अनियमित तथा अनुचित है ।

इस प्रकार उद्देश्य तथा कारण के भाग २ में वर्णित प्रक्रिया सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने के नाम पर शासन ने अपने हाथ में और भी सुदृढ़ शक्ति को ले लिया है । खंड ३, ८, ९, १२, १३ व १४ में दी गयी विधियों से उपर्युक्त तथ्य की पुष्टि होती है ।

इस सम्बन्ध में यह स्मरणीय है कि टैक्स से बचने की प्रवृत्ति प्रायः दो कारणों से होती है एक तो कर अदा करने की अक्षमता से और दूसरे बहुत बड़े व्यापारियों द्वारा अतुल सम्पत्ति कमाने के लिये प्राप्त हुनर के उपयोग से । इनमें पहले वाले सर्वथा क्षम्य होने चाहिये क्योंकि जिनकी क्षमता ही नहीं, जिन्हें व्यापार में लाभ ही नहीं हुआ है ऐसे लोग अपने भरण-पोषण के लिये लाले पड़ने के बाद बिक्री-कर कहां से अदा करें ? गल्ला के छोटे-छोटे व्यापारी तो प्रायः इसके शिकार होते हैं क्योंकि बिक्री-कर आमदनी पर नहीं, बिक्री पर होता है, चाहे उस बिक्री से लाभ हुआ हो अथवा नहीं । व्यावहारिक रूप में प्रदेश का बहुत बड़ा व्यापारी वस्तु धारण की क्षमता रखने के कारण बिक्री से हानि प्रायः कभी नहीं उठाता जबकि छोटे-छोटे व्यापारी बाजार के उतार पर चढ़ाव के कारण प्रायः इसके शिकार हो जाते हैं । प्रस्तुत विधेयक में इन प्रवृत्तियों पर रंचमात्र भी ध्यान नहीं दिया गया है । अन्यथा इन विधियों में बिक्री-कर से बचने वालों में सम्पत्ति (कर) का उल्लेख होना चाहिये था । शासन का बोझा सबल पर ही पड़ना चाहिये निर्बल पर नहीं, परन्तु प्रस्तुत विधेयक इससे पूर्णतया वंचित है । फलतः शासन का रुख छोटे, बड़े सभी व्यापारियों के प्रति किसी कुशल शासक जैसा नहीं । मेरा तो विश्वास है कि उपर्युक्त खंडों के प्रवृत्त होने पर दीन व्यापारी अधिक कुचले जायेंगे और सक्षम व्यापारी उतने अधिक नहीं । अतः ऐसे खंडों का समर्थन जनहित में नहीं है । न तो प्रस्तुत संशोधन विधेयक कर भार कम करने वाला है और न जीवन के लिये परमावश्यक तथा अन्य जीवनोपयोगी वस्तुओं, जैसे खाद्यान्न पर से ही बिक्री-कर हटाने वाला है । अतः यह विधेयक असामयिक होने के साथ-साथ अपने उद्देश्य से परे जनहित के विरोध में जाता है । इसलिये हम अपनी इस विमति टिप्पणी के द्वारा जन भावनाओं को प्रतिबिम्बित करना अपना आवश्यक कर्त्तव्य समझते हैं ।

रामस्वरूप वर्मा,
सदस्य, विधान सभा ।

पब्बर राम,
सदस्य, विधान सभा ।

२८ फरवरी, १९५९ ई०

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५९

(जैसा कि प्रवर समिति द्वारा संशोधित किया गया। समिति द्वारा निकाला गया विषय कोष्ठकों [ ] में है, तथा बढ़ाया गया विषय रेखांकित है।)

कतिपय प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० को और संशोधित करने का

उ० प्र० ऐक्ट संख्या १५, १९४८

विधेयक

यह इष्टकर है कि आगे प्रकट होने वाले प्रयोजनों के निमित्त उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० को संशोधित किया जाय :

अतएव भारतीय गणतंत्र के दसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रसार

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, १९५९ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) में धारा ४ द्वारा किये गये संशोधन इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पहिले के किसी भी वर्ष के निमित्त कर निर्धारण के सम्बन्ध में भी लागू होंगे चाहे ऐसे कर निर्धारण किसी भी स्तर पर पूर्ण हो गये थे या पूर्ण हो गये हों अथवा नहीं।

उ० प्र० ऐक्ट संख्या १५, १९४८ की धारा २ का संशोधन

२--[उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है)] मूल अधिनियम की धारा २ में--

(१) खंड (ख) में, अन्त में पूर्ण विराम के पूर्व निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं :

"और इसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त बिक्री-कर के अतिरिक्त कमिश्नर, संयुक्त कमिश्नर या उप-कमिश्नर (डिप्टी कमिश्नर) भी हैं।"

(२) खंड (ग) के स्पष्टीकरण १ तथा २ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

"स्पष्टीकरण--कोई मध्यवर्णिक (factor), दलाल, कमीशन एजेन्ट या आढ़ती, परिशोधी अभिकर्ता (a del credere agent), नीलाम करने वाला, या अन्य कोई व्यापारिक अभिकर्ता (mercantile agent), वह चाहे जिस नाम से पुकारा जाय, और चाहे वह ऊपर उल्लिखित अभिधान वाला हो या न हो, जो कि माल खरीदने या बेंचने का व्यापार करता हो और जिसे व्यापारिक चलन के अनुसार अपने निर्देष्टाओं की ओर से माल खरीदने या बेंचने का प्राधिकार हो, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये व्यापारी समझा जायगा।"

(३) खंड (घ) में से निम्नलिखित शब्द निकाल दिये जायं :

"वह प्रत्येक सामान, वस्तु और व्यापारिक माल सम्मिलित है जो चल अथवा अचल संपत्ति के निर्माण, फिटिंग, सुधार या मरम्मत के काम में आता है, और इसमें"

(४) खंड (छछ) का प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिया जाय।

(५) खंड (ज) के स्पष्टीकरण २ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"स्पष्टीकरण २—ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसके पास धारा ३—ङ के अधीन लाइसेंस न हो, किसी कमीशन एजेन्ट को धारा ३—घ की उपधारा (१) के अधीन विज्ञापित माल, मूल्य पर, जिसका भुगतान कर दिया गया हो या आगे किया जाना हो, दिया जाना उस कमीशन एजेन्ट द्वारा माल की खरीद समझा जायगा।"

(६) खंड (झ) में द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिया जाय तथा शब्द "विक्रय धन (टर्न ओवर), से तात्पर्य व्यापारी द्वारा की गयी बिक्री से प्राप्त कुल धनराशि से है" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"विक्रय धन" का तात्पर्य उस कुल धनराशि से है जितने का माल किसी व्यापारी द्वारा या तो स्वयं या दूसरे के द्वारा, अपनी ओर से या दूसरों की ओर से, नकद रुपये या बाद में किये जाने वाले भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये बिक्री के रूप में दिया या वितरित किया जाय या खरीदा या बेचा जाय।"

उ० प्र० ऐक्ट संख्या १५, १९४८ की धारा ३ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (१) में—

(१) शब्द "तीन पाई प्रति रुपये" के स्थान पर शब्द "दो नये पैसे प्रति रुपये" रख दिये जायं।

(२) प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"प्रतिबन्ध यह है कि व्यापारी धारा १८ में अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़ कर, कर का देनदार न होगा यदि कर-निर्धारण वर्ष में उसका विक्रय धन १२,००० रु० अथवा ऐसी अधिक धनराशि से, जो तदर्थ राज्य सरकार द्वारा किसी विशेष माल के व्यापारियों के सम्बन्ध में अथवा ऐसे व्यापारियों के किसी विशेष वर्ग अथवा श्रेणी के सम्बन्ध में विज्ञापित की जाय, कम हो, सिवाय उस स्थिति के जब :—

(क) उसने उत्तर प्रदेश के बाहर से अपने द्वारा आयात किये गये किसी माल को, जिसके विक्रय धन पर धारा ३—क की उपधारा (१) के अधीन कर लगाया जा सकता हो, बेचा हो, और ऐसी दशा में इस प्रतिबन्धात्मक खंड में विक्रय धन की निम्नतम धनराशि के सम्बन्ध में किसी भी बात के होते हुये भी वह ऐसे माल के विक्रय धन पर उक्त धारा की उपधारा (२) के अन्तर्गत निर्दिष्ट दर के अनुसार कर का देनदार होगा; अथवा

(ख) वह सेंट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट, १९५६ के अधीन रजिस्टर्ड हो तथा उसने उपर्युक्त ऐक्ट की धारा ८ की उपधारा (४) के अधीन घोषणा-पत्र दे दिया हो, और ऐसी दशा में, इस प्रतिबन्धात्मक खंड में विक्रय-धन की निम्नतम धनराशि के सम्बन्ध में किसी बात के होते हुये भी वह किसी भी ऐसे माल की अपनी बिक्री पर कर का देनदार होगा जिसकी खरीद के सम्बन्ध में उसने पूर्वोक्त घोषणा-पत्र दे दिया हो।"

(३) द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड में अंक तथा शब्द "६ पाई प्रति रुपये" के स्थान पर शब्द "तीन नये पैसे प्रति रुपये" रख दिये जायं ;

(४) तृतीय प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द "में निर्धारित" के स्थान पर शब्द "के अधीन विज्ञापित" रख दिये जायं; तथा

(५) अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

"स्पष्टीकरण—जब कमीशन एजेंट द्वारा अपने निर्देष्टा की ओर से किसी विक्रय-धन पर कर देय हो और वह दे दिया गया हो, तो निर्देष्टा ऐसे विक्रय-धन के सम्बन्ध में कर का देनदार न होगा।"

उ० प्र० ऐक्ट संख्या १५, १९४८ की धारा ३-ग का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा ३-ग के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"३-ग—(१) किसी भी विघटित फर्म इत्यादि पर कर का दायित्व—यदि व्यापारी कोई फर्म अथवा व्यक्तियों का संघ अथवा संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब हो तथा ऐसी फर्म, संघ अथवा कुटुम्ब ने किसी कर निर्धारण वर्ष की अवधि में व्यापार बन्द कर दिया हो, तो—

(क) इस अधिनियम के अधीन उक्त फर्म, संघ अथवा कुटुम्ब द्वारा व्यापार के इस प्रकार बन्द किये जाने के दिनांक तक की अवधि के लिए देय, अर्थदंड सहित, यदि कोई हो, कर, इस प्रकार निर्धारित तथा अवधारित किया जायगा मानो व्यापार इस प्रकार बन्द हुआ ही न हो ; तथा

(ख) प्रत्येक व्यक्ति जो व्यापार के इस प्रकार बन्द होने के समय उक्त फर्म का हिस्सेदार, अथवा उक्त संघ अथवा कुटुम्ब का सदस्य रहा हो, व्यापार के इस प्रकार बन्द होने पर भी उक्त फर्म, संघ अथवा कुटुम्ब द्वारा देय निर्धारित कर तथा आरोपित अर्थ-दंड का पृथक्-पृथक् तथा संयुक्त रूप से देनदार होगा, चाहे ऐसा कर-निर्धारण या अर्थदंड का आरोपण व्यापार के इस प्रकार बन्द होने के पूर्व अथवा पश्चात् किया गया हो, तथा पूर्वोक्त के अधीन रहते हुये, इस अधिनियम के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे मानो प्रत्येक ऐसा व्यक्ति अथवा हिस्सेदार स्वयं ही व्यापारी हो :

प्रतिबन्ध यह है कि जब ऐसा मालूम हो कि फर्म या संघ के संघटन में परिवर्तन हुआ है तो पुनः संघटित फर्म या संघ तथा पुनःसंघटन के पूर्व यथा विद्यमान उस फर्म या संघ के हिस्सेदार या सदस्य संयुक्त रूप से तथा पृथक्-पृथक्, अर्थदंड सहित, यदि कोई हो, ऐसे कर के देनदार होंगे जो पुनःसंघटन के पहले कि किसी अवधि के लिये उक्त फर्म या संघ द्वारा देय हो।

(२) हस्तान्तरिती पर कर का दायित्व—यदि कर के देनदार किसी व्यापारी के, व्यापार का स्वामित्व हस्तान्तरित किया जाय तो हस्तान्तरकर्ता तथा हस्तान्तरिती (transferee), ऐसे हस्तान्तरण के समय तक उक्त व्यापार के सम्बन्ध में देय, अर्थदंड सहित, यदि कोई हो, कर के संयुक्त रूप से तथा पृथक्-पृथक्

देनदार होंगे, चाहे कर निर्धारण या अर्थदंड का आरोपण ऐसे हस्तांतरण के पूर्व अथवा पश्चात् किया गया हो।

(३) यदि पुनःसंघटित फर्म अथवा संघ से उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन अथवा हस्तान्तरितो से उपधारा (२) के अधीन, अर्थदंड सहित, यदि कोई हो, कर वसूल किया जाय तो ऐसी फर्म अथवा संघ या हस्तान्तरिती को अधिकार होगा कि वह उस व्यक्ति से वसूल कर ले जो उस कर का मूलतः देनदार था।

स्पष्टीकरण—किसी फर्म अथवा व्यक्तियों के संघ का निघटन अथवा पुनस्संघटन, अथवा किसी व्यापारी द्वारा अपने व्यापार का हस्तान्तरण अथवा संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब का विभाजन, इस धारा के अर्थ में व्यापार का बन्द किया जाना समझा जायगा।"

५—मूल अधिनियम की धारा ५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

उ० प्र० ऐक्ट संख्या १५, १९४८ की धारा ५ का संशोधन

"५—ऐसे माल के सम्बन्ध में जो विज्ञापित किये जायं, राज्य सरकार, ऐसी शर्तों तथा निबन्धनों के अधीन रहते हुये जो निर्धारित किये जायं, ऐसे माल की बिक्रियों के क्रम में किसी निर्दिष्ट स्थल (point) पर लगाये गये कर की पूरी धनराशि तक छूट दे सकती है।"

उ० प्र० ऐक्ट संख्या १५, १९४८ की धारा ७ का संशोधन

६—मूल अधिनियम की धारा ७ की उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (१-क) के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

(१-क) उपधारा (१) के अधीन विवरण-पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व, या उसके साथ व्यापारी ऐसी रीति से जो निर्धारित की जाय, ऐसे विवरण-पत्र में दिखाये गये विक्रय-धन पर देय कर की धनराशि जमा करेगा।"

उ० प्र० ऐक्ट संख्या १५, १९४८ की धारा ७-क का संशोधन

७—मूल अधिनियम की धारा ७-क की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"७-क (१) राज्य सरकार किसी व्यापारी को कर-निर्धारण वर्ष के किसी भाग के विक्रय-धन का विवरण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए आदेश दे सकती है और यदि व्यापारी के विक्रय धन का, जैसा कि वह कर निर्धारक अधिकारी द्वारा कर निर्धारण वर्ष के उस भाग के लिये अवधारित किया गया हो, धारा ३ की उपधारा (१) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड में निर्दिष्ट या उसके अधीन विज्ञापित धनराशि, यदि कोई हो, से अनुपात उससे कम न हो जो कर-निर्धारण अवधि का १२ मास से हो, कर निर्धारक अधिकारी, धारा ७ के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कर निर्धारण वर्ष के उस भाग के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, जहां तक कि वे लागू होते हों, अस्थायी रूप से कर निर्धारण (Provisional Assessment) कर सकता है।"

यू० पी० ऐक्ट संख्या १५, १९४८ की धारा ८ का संशोधन

८—मूल अधिनियम की धारा ८ में :—

(१) उपधारा (१) में शब्द तथा अंक "उपधारा (२)" के स्थान पर शब्द तथा अंक "उपधारा (८)" रख दिये जायं :

(२) उपधारा (२) निकाल दी जाय ;

(३) निम्नलिखित उपधारा (३) से (८) तक के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

"(३) किसी विधि या संविदा में किसी विपरीत बात के होते हुये भी कर-निर्धारक अधिकारी, किसी समय या समय-समय पर, लिखित

नोटिस द्वारा, जिसकी एक प्रति व्यापारी के पास उसके अन्तिम पते पर जो कर निर्धारक अधिकारी को ज्ञात हो, भेजी जायगी, किसी व्यक्ति से—

(क) जिसके द्वारा व्यापारी को कोई धनराशि देय हो या देय हो जाय, या

(ख) जिसके पास व्यापारी के निमित्त या उसकी ओर से धन हो या बाद में हो जाय,

यह अपेक्षा कर सकता है कि वह कर-निर्धारक अधिकारी को—

(१) धन देय होने पर या उसके पास होने पर तुरन्त, या

(२) नोटिस में निर्दिष्ट समय पर या उसके भीतर, जो धन देय होने या उसके पास होने के पहले न होगा,

उस धनराशि में से ऐसी राशि अदा करे जो व्यापारी द्वारा देय कर के बकाया या इस अधिनियम के अधीन देय अन्य धनराशियों के भुगतान के निमित्त पर्याप्त हो या, जब वह उक्त धनराशि के बराबर हो या उससे कम हो तो, वह पूरी धनराशि अदा करे।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजन के निमित्त व्यापारी को देय धनराशि या व्यापारी के निमित्त या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के पास की धनराशि का हिसाब उन दावों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात् लगाया जायगा जिनके भुगतान उक्त व्यापारी द्वारा उस व्यक्ति को देय हो गये हों और जो उस समय विधितः अवस्थित हों।

(४) कर-निर्धारक अधिकारी किसी भी समय या समय-समय पर किसी ऐसे नोटिस को संशोधित कर सकता है या वापस ले सकता है या नोटिस के अनुसरण में किसी धनराशि के भुगतान के लिये समय बढ़ा सकता है।

(५) उपधारा (३) के अधीन नोटिस के पालन में भुगतान करने वाले व्यक्ति के विषय में यह समझा जायगा कि उसने व्यापारी के प्राधिकार से भुगतान किया तथा कर-निर्धारक अधिकारी की रसीद, उस व्यक्ति को व्यापारी के प्रति दायित्व से रसीद में उल्लिखित धनराशि की मात्रा तक विधि संगत तथा पर्याप्त रूप से उन्मुक्त करेगी।

(६) जो व्यक्ति उपधारा (३) में उल्लिखित नोटिस की प्राप्ति के पश्चात् व्यापारी के प्रति दायित्व का उन्मोचन करता है वह कर-निर्धारक अधिकारी के प्रति उन्मुक्त दायित्व की मात्रा तक या उस नोटिस में उल्लिखित धनराशि की मात्रा तक, जो भी कम हो, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।

(७) यदि कोई व्यक्ति जिसे उपधारा (३) के अधीन नोटिस भेजा जाता है, कर निर्धारक अधिकारी के सन्तोषानुसार यह सिद्ध कर दे कि मांगी गई धनराशि या उसका कोई भाग उसके द्वारा व्यापारी को देय नहीं है, या व्यापारी के निमित्त या उसकी ओर से कोई धनराशि उसके पास नहीं है तो इस धारा में दी गई किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि उसके कारण उस व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह मांगी गई धनराशि या उसके किसी भाग का, जैसा भी दशा हो, कर निर्धारक अधिकारी को भुगतान करे।

(८) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार को देय कोई कर या अन्य धनराशियां या कोई धनराशि जिसे कर निर्धारक अधिकारी को देना किसी व्यक्ति से उपधारा (३) के अधीन अपेक्षित हो या जिसके लिये वह उपधारा (६) के अधीन कर-निर्धारक अधिकारी के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हो, मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।"

उ० प्र० ऐक्ट संख्या १५, १९-४८ की धारा ८-क का संशोधन

९—मूल अधिनियम की धारा ८-क में—

(१) उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(१) (क) प्रत्येक व्यापारी जो उत्तर प्रदेश के बाहर से अपने द्वारा आयात किया हुआ कोई ऐसा माल बेचता है जिसके विक्रय धन पर धारा ३-क को उपधारा (१) के अधीन कर देय है; तथा

(ख) प्रत्येक व्यापारी जो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन कर का देनदार है; तथा

(ग) प्रत्येक व्यापारी, जो इस अधिनियम के अधीन दी गई अथवा स्वीकृत छूट के अभाव में तद्धीन कर का देनदार होता, यदि कर निर्धारण वर्ष में उसका वास्तविक या अनुमानित विक्रय धन १२,००० रु० से अथवा ऐसी अधिक धनराशि से, जो धारा ३ की उपधारा (१) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन विज्ञापित की जाय, कम न हो; तथा

(घ) प्रत्येक व्यापारी जो कर निर्धारण वर्ष के दौरान में व्यापार प्रारम्भ करता है तथा जिसका वर्ष के शेष भाग का औसत मासिक अनुमानित विक्रय धन, अथवा जिसका उपर्युक्त अवधि के किसी मास का वास्तविक विक्रय धन १२,००० रुपये के अथवा ऐसी अधिक धनराशि के, जो धारा ३ की उपधारा (१) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन विज्ञापित की जाय, बारहवें भाग से कम न हो,

कर निर्धारक अधिकारी को ऐसे रूप में, ऐसी रीति से तथा ऐसी अवधि के भीतर, जो निर्धारित किये जायं, रजिस्ट्री के लिए प्रार्थना-पत्र देगा।"

(२) उपधारा (१-क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(१-क) (क) पर निर्धारक अधिकारी, ऐसी जांच के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर सकता और व्यापारी को रजिस्टर करा सकता है। इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, रजिस्ट्री कर निर्धारण वर्ष में अथवा उस कर निर्धारण वर्ष के जिसके लिये वह स्वीकृत हुई हो, अव्यतीत भाग में प्रवृत्त रहेगी।

(ख) जो व्यापारी इस धारा के अधीन रजिस्टर हो जाय वह प्रति वर्ष अपने रजिस्ट्री के प्रमाण-पत्र का नवीकरण कराने के लिए उत्तरदायी होगा जब तक कि वह रद्द न कर दिया जाय।

(ग) रजिस्ट्री तथा उसके प्रत्येक नवीकरण के लिये व्यापारी को १० रुपया शुल्क देना होगा ;

(घ) जो व्यक्ति निर्धारित अवधि के भीतर रजिस्ट्री अथवा नवीकरण के लिये, जैसी भी दशा हो, प्रार्थना-पत्र न दे उसे, धारा १४ के उपबन्धों पर कोई विपरीत प्रभाव डाले बिना, उपर्युक्त अवधि के समाप्त होने के एक मास के भीतर प्रार्थना-पत्र दे देने की दशा में,

अपेक्षित शुल्क के अतिरिक्त ५ रुपया अर्थ दंड तथा अन्य दशाओं में १० रु० का अर्थदंड देना होगा।"

(३) उपधारा (१-ख) में शब्द "कर के दायित्व" के स्थान पर शब्द "रजिस्ट्रो के दायित्व" रख दिये जायं।

(४) उपधारा (३-क) में शब्द "आठ आना" के स्थान पर जहां कहीं भी वे आये हो शब्द "पचास नये पैसे" रख दिये जायं।

(५) उपधारा (४) में शब्द तथा अक्षर "के वाक्यखंड (च)" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"की उपधारा (२) के खंड (छ)"।

(६) उपधारा (६) के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द "किन्तु प्रतिभूति" तथा "के उपरान्त" के बीच में आये हुए शब्द "को राशि जमा कर देने" के स्थान पर शब्द "दे देने" रख दिये जायं।

१०—मूल अधिनियम की धारा ६ की उपधारा (१) में शब्द "कोई व्यापारी, जो" और अंक तथा अक्षर "१५-क" के बीच में निम्नांकित रख दिया जाय : उ० प्र० ऐक्ट संख्या १५, १६-४८ की धारा ६ का संशोधन

["धारा ४ की उपधारा (१) के खंड (ख) के अधीन मुक्ति शुल्क (exemption fee) निर्दिष्ट करने का आज्ञा अथवा"]

"धारा ४ की उपधारा (१) के खंड (ख) के अधीन कर मुक्ति प्रमाण-पत्र के लिये दिये गये किसी प्रार्थना-पत्र को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने की आज्ञा अथवा धारा ३० के अधीन प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार करने की आज्ञा अथवा"

११—मूल अधिनियम की धारा ११-ख निकाल दी जाय। उ० प्र० ऐक्ट संख्या १५, १६-४८ की धारा ११-ख का निकाल दिया जाना

१२—मूल अधिनियम की धारा १३ की उपधारा (३) से (५) तक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय : उ० प्र० ऐक्ट संख्या १५, १६-४८ की धारा १३ का संशोधन

"(३) यदि उपधारा (२) के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी को, जो सहायक बिक्री-कर अधिकारी (A sistant Sales Tax Officer) या उससे निम्न श्रेणी का अधिकारी न हो, ऐसा विश्वास करने के लिये यथोचित कारण हो कि कोई व्यापारी इस अधिनियम के अधीन कर या अन्य देय धनराशियां के दायित्व से बचने का प्रयत्न कर रहा है, और यह कि उसके दायित्व की जांच के प्रयोजन के लिये आवश्यक कोई बात किसी लेखे, खाते (रजिस्टर) या लेख-पत्र में प्राप्त की जा सकती है, तो वह ऐसे लेखे, खाते या लेख-पत्र पर जो आवश्यक हो, अपना अधिकार कर सकता है। उक्त लेखे, खाते या लेख-पत्र पर अधिकार करने वाला अधिकारी उसके लिये तुरन्त रसीद देगा और वह उनसे

ऐसी प्रतिलिपियां या उद्धरण लेने के बाद, जो आवश्यक समझे जायं, इस प्रकार अधिकार करने के दिनांक से नब्बे दिन की अवधि के भीतर उन्हें उस व्यापारी या व्यक्ति को लौटा देने के लिये बाध्य होगा जिसकी अभिरक्षा से लेकर उन पर अधिकार किया गया हो; किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि व्यापारी या उपर्युक्त व्यक्ति उस लेखे, खाते या लेख-पत्र के लिये, जो उसे लौटाया जाय, लिखित रसीद दे। अधिकारी लेखा, खाता या लेख-पत्र लौटाने के पूर्व उस पर एक या अधिक स्थानों पर अपने हस्ताक्षर कर सकता है और अपनी सरकारी मुहर लगा सकता है और ऐसी दशा में व्यापारी या उपर्युक्त व्यक्ति से यह अपेक्षित होगा कि वह अपनी दी हुई रसीद में उन स्थानों की संख्या का उल्लेख करे जहां पर ऐसे अधिकारी के हस्ताक्षर तथा मुहर प्रत्येक लेखे या लेख-पत्र में किये अथवा लगाये गये हों।

(४) उपधारा (२) या उपधारा (३) के प्रयोजनों के निमित्त उसके अधीन कार्य करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी किसी कार्यालय, दूकान, गोदाम, यान, गाड़ी या व्यापार के किसी अन्य स्थान या किसी भवन अथवा स्थान में जहां उक्त अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि व्यापारी अपने व्यापार से संबद्ध लेखा, खाता लेख-पत्र या माल रखता है या सम्प्रति रख रहा है, प्रवेश कर सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है।

(५) उपधारा (१) के अधीन अधिकार प्राप्त कोई अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को,—

(क) जो किसी व्यापारी को या उसकी ओर से देने के निमित्त किसी माल का परिवहन करता है या उसे अभिरक्षा में रखता है, यह आदेश दे सकता है कि वह उक्त माल के सम्बन्ध में ऐसी सूचना, जिसके उसके पास होने की संभावना हो, दे अथवा उसका निरीक्षण करने दे, जैसी भी दशा हो;

(ख) जो किसी व्यापारी के व्यापार के सम्बन्ध में कोई लेखा, बही या लेख-पत्र रखता हो या उसे अपने अधिकार में रखे हो, यह आदेश दे सकता है कि वह उक्त लेखे, बही या लेख-पत्र को निरीक्षण के लिये प्रस्तुत करे।"

उ० प्र० ऐक्ट संख्या १५, १९-४८ की धारा १४ का संशोधन

१३—मूल अधिनियम की धारा १४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"१४—(१) कोई व्यक्ति जो—

(क) उपर्युक्त कारण के बिना इस अधिनियम के अधीन उस पर निर्धारित कर का नियत समय के भीतर न दे; अथवा

(ख) उपयुक्त कारण के बिना धारा ३-ङ के अधीन लाइसेंस प्राप्त न करे, जब कि वह धारा ३-घ के अधीन कर का देनदार हो; अथवा

(ग) इस अधिनियम के अधीन कर का देनदार होते हुये—

(१) उपयुक्त कारण के बिना इस अधिनियम के उपबन्धों अथवा तद्धीन बने नियमों के अधीन अपने विक्रय-धन का विवरण-पत्र प्रस्तुत न करे; अथवा

(२) धारा ८–क के अधीन तथा उसके अनुसार रजिस्ट्री के लिये प्रार्थना-पत्र दिये बिना व्यापारी के रूप में व्यापार करे; अथवा

(घ) किसी बही, लेख-पत्र अथवा लेखे का निरीक्षण या परीक्षण करने देने से इन्कार करे या उन्हें निरीक्षण या परीक्षण के लिए प्रस्तुत करने से इन्कार करे या प्रस्तुत करने में उपेक्षा करे अथवा धारा १३ के उपबन्धों के अनुसार उसकी प्रतिलिपियां तैयार करने देने से इन्कार करे; अथवा

(ङ) इस अधिनियम के उपबन्धों या तद्धीन बने नियमों का उल्लंघन करे,

किसी अन्य विधि के अधीन, जो तत्समय प्रचलित हो, उसके दायित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, तथा इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा देय कर तथा अन्य देय धनराशियों की वसूली के अतिरिक्त, सिद्ध दोष ठहराये जाने पर अर्थ-दंड का भागी होगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, और जब अपराध बराबर होता रहे तो अतिरिक्त अर्थ-दंड का भागी होगा जो पहले दिन के बाद ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसमें अपराध बराबर होता रहे, ५० रुपये तक हो सकता है।

(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुये भी, कोई व्यक्ति जो जानबूझ कर—

(क) इस अधिनियम के अधीन विक्रय धन का मिथ्या विवरण-पत्र प्रस्तुत करे; अथवा

(ख) मिथ्या लेखे, खाते या लेख-पत्र रखे या प्रस्तुत करे; अथवा

(ग) मिथ्या प्रमाण-पत्र या घोषणा-पत्र दे या प्रस्तुत करे जिसके कारण इस अधिनियम अथवा तद्धीन बने नियमों के अन्तर्गत विक्रय या क्रय पर कर न लग सके; अथवा

(घ) रजिस्ट्री के लिये प्रार्थना-पत्र पर या इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य कार्यवाही के सम्बन्ध में मिथ्या सत्यापन या घोषणा करे; अथवा

(ङ) कर का जिसका वह इस अधिनियम के अधीन देनदार हो; भुगतान करने से बचे; अथवा

(च) धारा १३ के अधीन अधिकृत किसी अधिकारी को उस धारा की उपधारा (२), (३), (४) और उपधारा (५) के खंड (क) में निर्दिष्ट कृत्यों को करने से रोके या उसमें बाधा डाले; अथवा

(छ) किसी माल की बिक्री पर ऐसा कर मांगे या वसूल करे जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय न हो; अथवा

(ज) कोई ऐसी सूचना देने से इन्कार करे या देने में उपेक्षा करे जो उसकी जानकारी या अधिकार में हो और जिसे देने का आदेश उसे इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिया गया हो, या ऐसी सूचना दे जिसका कोई महत्वपूर्ण विवरण मिथ्या हो; अथवा

(झ) धारा ८–क की उपधारा (६) के अधीन मांगी गई प्रतिभूति दिये बिना व्यापारी के रूप में व्यापार करे,

किसी अन्य विधि के अधीन जो तत्समय प्रचलित हो, उसके दायित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तथा इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा देय कर तथा अन्य देय धनराशियों की वसूली के अतिरिक्त, सिद्ध दोष ठहराये जाने पर साधारण कारावास के दंड का, जो छः (६) मास तक हो सकता है, या अर्थ-दंड का या दोनों का भागी होगा और जब अपराध बराबर होता रहे तो अतिरिक्त अर्थ-दंड का भागी होगा जो पहले दिन के बाद ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जिसमें अपराध बराबर होता रहे, १०० रुपये तक हो सकता है।

(३) बिक्री कर कमिश्नर की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन या तद्धीन बने नियमों के अधीन किसी अपराध का संज्ञान (cogn zance) न करेगा तथा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से नीचे की श्रेणी का कोई न्यायालय ऐसे किसी अपराध की सुनवाई नहीं करेगा।"

उ० प्र० ऐक्ट संख्या १५, १९-४८ की धारा १५-क का संशोधन

१४—मूल अधिनियम की धारा १५-क में—

(१) उपधारा (१) में शब्द "इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान में" निकाल दिये जायं;

(२) उपधारा (१) के खंड (क) में शब्द तथा अंक "धारा ७" के पश्चात् कामा रख दिया जाय और तत्पश्चात् अंक तथा शब्द "७-क अथवा १८" बढ़ा दिये जायं;

(३) उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड के खंड (२) में, शब्द तथा अंक "धारा ७" के पश्चात् कामा रख दिया जाय और तत्पश्चात् अंक तथा शब्द "७-क अथवा १८" बढ़ा दिये जायं; और

(४) उपधारा (४) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(४) धारा १४ के अधीन कोई अभियोग उन्हीं तथ्यों के आधार पर नहीं चलाया जायगा जिनके लिये इस धारा के अधीन कोई अर्थ-दण्ड लगाया जा चुका हो और देय कर के अतिरिक्त उस अर्थ दण्ड की धनराशि का भी भुगतान किया जा चुका हो।"

उ० प्र० ऐक्ट संख्या १५, १९-४८ की धारा १८ का संशोधन

१५—मूल अधिनियम की धारा १८ में—

(१) उपधारा (१) तथा (२) में—

(क) शब्द "खण्ड के अधीन" तथा "की जाय" के बीच आने वाले शब्द "निर्धारित" के स्थान पर शब्द "विज्ञापित" रख दिया जाय, तथा

(ख) क्रमशः शब्द तथा अंक "या जिसने ऐसी अवधि में उत्तर प्रदेश के बाहर से अपने द्वारा आयात किया गया कोई ऐसा माल बेचा हो जिसके विक्रय धन पर धारा ३-क की उपधारा (१) के अधीन उस पर कर लगाया जा सकता हो," और शब्द तथा अंक, "या जिसने ऐसी अवधि में उत्तर प्रदेश के बाहर से आयात किया हुआ ऐसा माल बेचा हो जिसके विक्रय धन के सम्बन्ध में उस पर धारा ३-क की उपधारा (१) के अधीन कर लगाया जा सकता हो," के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"या ऐसी अवधि के जिसके विक्रय-धन पर धारा ३ की उपधारा (१) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड के खंड (क) या (ख) के अधीन कर लगाया जा सकता हो";

(२) उपधारा (३) में शब्द तथा अंक "या व्यापारी ने उपधारा (१) या (२) में निर्दिष्ट आयात किया हुआ कोई माल बेचा है" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"या व्यापारी के विक्रय-धन पर धारा ३ की उपधारा (१) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड के खंड (क) या (ख) के अधीन कर लगाया जा सकता है;" और

(३) उपधारा (४) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(४) यदि तदर्थ निश्चित अवधि के भीतर कोई व्यापारी उपधारा (१) या (२) के अधीन विवरण-पत्र प्रस्तुत न करे या उसके द्वारा प्रस्तुत कोई विवरण-पत्र गलत या अपूर्ण प्रतीत हो, तो कर निर्धारक अधिकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, अपने सुविचार से (to the best of his judgment) व्यापारी का विक्रय धन अवधारित करेगा और देय कर, यदि कोई हो, निर्धारित कर सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति पर, किसी ऐसे मामले में जो उपधारा (१) या (२) के अधीन आता हो, औसत मासिक विक्रय धन तत्रोल्लिखित राशि से कम पाया जाय, तो कर की उतनी राशि को छोड़कर जिसे धारा ८-क की उपधारा (४) या (५) के अधीन, जैसी भी स्थिति हो, जमा करने का उत्तरदायित्व व्यापारी पर हो, अदा किये गये कर की शेष राशि वापस कर दी जायगी ।

अपवाद--उपर्युक्त प्रतिबन्धात्मक खंड ऐसे व्यापारी पर लागू नहीं होगा जिसके विक्रय धन पर धारा ३ की उपधारा (१) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड के खंड (क) या (ख) के अधीन कर लगाया जा सकता हो।"

१६--मूल अधिनियम की धारा २२ में शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "तीन वर्ष" रख दिये जायं । उ० प्र० ऐक्ट संख्या १५, १९-४८ की धारा २२ का संशोधन

१७--मूल अधिनियम की धारा २४ की उपधारा (५) में शब्द "कम से कम सात दिन तक" के स्थान पर शब्द "चौदह दिन" रख दिये जायं । उ० प्र० ऐक्ट संख्या १५, १९-४८ की धारा २४ का संशोधन

१८--मूल अधिनियम की धारा २८ के पश्चात् निम्नलिखित धारा २९ तथा ३० के रूप में बढ़ा दिया जाय : उ० प्र० ऐक्ट संख्या १५, १९-४८ में नई धारायें २९ तथा ३० का बढ़ाया जाना

"२९--रुपये की वापसी--कर निर्धारक अधिकारी, किसी व्यापारी के तदर्थ प्रार्थना-पत्र देने पर, इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा देय धनराशि से अधिक भुगतान किये गये कर, शुल्क या अन्य देय धनराशियों को उसे निर्धारित रीति से वापस कर देगा, सिवाय उतनी धनराशि के जिसे धारा ८-क की उपधारा (४) या उपधारा (५) के अधीन, जैसी भी स्थिति हो, जमा करने का उत्तरदायित्व व्यापारी पर हो:

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के अधीन भुगतान किये गये किसी कर या अन्य धनराशि की वापसी का कोई दावा स्वीकृत नहीं किया जायगा, जब तक कि वह कर निर्धारण का आदेश दिये जाने के दिनांक से चौबीस महीने के भीतर या कर निर्धारण के आदेश के सम्बन्ध में अपील, पुनरीक्षण या समाधान के लिये भेजे गये मामले (reference) पर अन्तिम आदेश दिये जाने के बारह महीने के भीतर, जो भी अवधि बाद में हो, प्रस्तुत न किया जाय :

प्रतिबन्ध यह भी है कि कर निर्धारक अधिकारी वापस करने योग्य पाई गई धनराशि को प्रथमतः व्यापारी द्वारा देय अवशिष्ट कर, अर्थ-दंड या शुल्क के भुगतान में लगायेगा तथा शेष धनराशि को, यदि कोई हो, वापस कर देगा।

३०—एक पक्षीय आदेश को रद्द करने का अधिकार—किसी मामले में जिसमें कर निर्धारण के सम्बन्ध में एक पक्षीय आदेश दिया गया हो, व्यापारी उक्त आदेश की तामील के तीस दिन के भीतर कर निर्धारक अधिकारी को ऐसे आदेश को रद्द करने तथा उस मामले पर पुनः विचार करने के लिये प्रार्थना-पत्र दे सकता है ; और यदि उक्त अधिकारी को सन्तोष हो जाय कि प्रार्थी को नोटिस नहीं मिला या वह पर्याप्त कारणों से नियत दिनांक को उपस्थित न हो सका तो वह आदेश को रद्द कर सकता है और मामले की सुनवाई पुनः प्रारम्भ कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि कर निर्धारण के एकपक्षीय आदेश के रद्द किये जाने के लिये कोई ऐसा प्रार्थना-पत्र तब तक नहीं लिया जायगा तब तक कि उसके साथ कर की धनराशि के, जिसे व्यापारी ने देय स्वीकार किया हो, भुगतान का सन्तोषजनक प्रमाण न हो।"

उद्देश्य तथा कारण

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, १९४८, से जिस रूप में कि वह इस समय है, राज्य सरकार को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह उपयुक्त मामलों में भी माल की बिक्री के क्रम में किसी निर्दिष्ट स्थल (point) पर लगाये गये कर में छूट दे सके। इसके अतिरिक्त इसमें ऐसी किसी प्रक्रिया की भी व्यवस्था नहीं है जिससे किसी व्यापारी द्वारा देय कर से अधिक जमा की गई कर की धनराशि उसको वापस की जा सके। इसी प्रकार किसी उपबन्ध के न होने के कारण कर-निर्धारक अधिकारी ऐसे मामलों पर पुनः विचार प्रारम्भ नहीं कर सकता जिनमें एक पक्षीय कर निर्धारण किया गया हो। इन त्रुटियों के कारण कर-दाताओं तथा प्रशासन दोनों ही को असुविधा हो रही है। इन कठिनाइयों को दूर करने के विचार से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट में उपयुक्त संशोधन करने का प्रस्ताव है।

२—इस अवसर का उपयोग कुछ प्रक्रिया सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने के लिये तथा अधिनियम के कार्यान्वय से प्रकट होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से कुछ अन्य संशोधन करने के लिये भी किया जा रहा है।

३—अतः यह विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है।

सैयद अली जहीर,
वित्त मंत्री।

प्रतिनिहित विधायन के सम्बन्ध में ज्ञाप

यह विधेयक राज्य सरकार को यह अधिकार देना चाहता है कि वह मूल अधिनियम की धारा २४ के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके बनाये जाने वाले नियमों के द्वारा कुछ विषयों को व्यवस्था कर सके। जिन विषयों के सम्बन्ध में राज्य सरकार ऐसे नियम बना सकती है, वे निम्नलिखित हैं:

(१) मूल अधिनियम की धारा ५ के अधीन राज्य सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह उन शर्तों और प्रतिबन्धों को व्यवस्था करे जिनके अधीन रहते हुये स्थानीय रूप से निर्मित ऐसे माल पर, जिसका राज्य से बाहर निर्यात किया जाय, लगाये जाने वाले कर पर उसको आधी मात्रा तक छूट दी जा सकती है। अब विधेयक के खंड ५ में यह प्रस्ताव है किसी माल पर विक्रय के किसी स्थल (point) पर लगाये गये कर में उसको पूरी मात्रा तक छूट देने की व्यवस्था की जाय। क्योंकि उन शर्तों और निर्बन्धों का व्यवस्था करना आवश्यक होगा जिनके अधीन रहते हुये राज्य सरकार स्वमति से ऐसी छूट दे सके और क्योंकि इन निर्बन्धनों और शर्तों में मामलों को विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार भिन्नता होगी, अतः यह प्रस्ताव किया गया है कि राज्य सरकार को नियमों द्वारा ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों को व्यवस्था करने का अधिकार प्रतिनिहित किया जाय।

(२) विधेयक के खंड ६ में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य सरकार उस रीति की व्यवस्था करने के लिये नियम बना सके जिसके अनुसार व्यापारी अपने विक्रय धन का विवरण-पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व कर जमा करेगा। यद्यपि मूल अधिनियम की धारा ७ की उपधारा (१) के अधीन राज्य सरकार को यह अधिकार पहले ही से प्राप्त है, किन्तु उक्त उपधारा (१) की भाषा स्पष्ट न होने के कारण, प्रस्तावित खंड ६ द्वारा उक्त अभिप्राय स्पष्ट किया जा रहा है।

(३) वह अवधि जिसके भीतर, वह आकार जिसमें और वह रीति जिससे व्यापारी रजिस्ट्रो के लिये प्रार्थना-पत्र देगा, इन सबके सम्बन्ध में नियम बनाने के अधिकार, जो विधेयक का खंड ९ का उपखंड (१) राज्य सरकार को प्रदान करना चाहता है, मूल अधिनियम की धारा ८-क (१) के अधीन पहले ही से विद्यमान है। प्रस्तावित उपखंड (१) की उपधारा (१) उक्त धारा ८-क (१) को नई भाषा में प्रस्तुत करता है। इस प्रकार विधायी अधिकार का कोई नया प्रतिनिधान अभिप्रेत नहीं है।

(४) विधेयक का खंड १८ राज्य सरकार को यह अधिकार देता है कि वह उस रीति की व्यवस्था करने के लिये नियम बनाये जिसके अनुसार देय धनराशि से अधिक जमा किया गया कर वापस किया जायगा। क्योंकि उक्त वापसी के लिये विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करनी पड़ेगी और क्योंकि समय-समय पर उस प्रक्रिया में आवश्यकतानुसार संशोधन हो सकते हैं अतः यह वांछनीय प्रतीत होता है कि ऐसी प्रक्रिया को इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों द्वारा व्यवस्था की जाय।

नियम बनाने का अधिकार समान्य प्रकार का है।

परिशिष्ट १

विधान सभा में संकल्प

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५९ को इस सदन की एक प्रवर समिति (निम्नलिखित सदस्यों से बनी हुई) को निर्दिष्ट किया जाय, जो पांच दिन के भीतर इस पर अपनी रिपोर्ट सदन के समक्ष प्रस्तुत करे :

१—श्री नारायणदत्त तिवारी, हल्द्वानी फर्नीचर मार्ट, दि माल, नैनीताल।
२—श्री रामस्वरूप वर्मा, गौराकर, जिला कानपुर।

३—श्री शिवप्रसाद नागर, मुहल्ला बाजार, डा० लखीमपुर, जिला खीरी ।
४—श्री पब्बरराम, कपूरपुर सिटी, पो० आ० गाजीपुर ।
५—श्री भूपकिशोर, ग्राम पहाड़ा, डा० कैला, जिला एटा ।
६—श्री शिवशंकर सिंह, लालगंज, जिला रायबरेली ।
७—श्री राजेन्द्र सिंह, ग्राम मन्दोला, डा० अतरौली, जिला हरदोई ।
८—श्री शिवमूर्ति, ११-ए , बाई का बाग, इलाहाबाद ।
९—श्री ब्रजभूषण शरण, ८, हरिद्वार रोड, देहरादून ।
१०—श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी, जौरासी, खादर, डा० रदुवा (गोचर), जिला गढ़वाल ।
११—श्री शिवशरण लाल, काजीपुर, बहराइच ।
१२—श्री जगदीशशरण अग्रवाल, आलगोरीगंज, बरेली ।
१३—श्री रामहेत सिंह, अझई खुर्द, जिला मथुरा ।
१४—श्री अब्दुल लताफ नोमानी, ७३, कटरा मऊनाथमंजन, जिला आजमगढ़ ।
१५—श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी, १४५, देवरिया रामनाथ, देवरिया ।
१६—श्री महीलाल, मिलक रुस्तमपुर बघमार, डा० व जिला मुरादाबाद ।
१७—श्री चन्द्रहास मिश्र, दुर्गागंज, जिला हरदोई ।
१८—श्रीमती चन्द्रावती, अगरो हाउस, बिजनौर ।

[वित्त मंत्री जो उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम २५२ (२) के अन्तर्गत इस समिति के पदेन सदस्य हुये, माननीय अध्यक्ष द्वारा उक्त नियमावली के नियम २०२ के अन्तर्गत इस समिति के सभापति नियुक्त किये गये ।]

परिशिष्ट २

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५९ पर नियुक्त प्रवर समिति की बैठकों की संक्षिप्त कार्यवाही—

दिनांक २४ फरवरी, १९५९ को सायंकाल ५ बजे विधान वाचनालय में उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५९, पर नियुक्त प्रवर समिति की बैठक माननीय सैयद अली जहीर, वित्त मंत्री के सभापतित्व में हुई । निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे—

१—श्री सैयद अली जहीर, वित्त मंत्री, सभापति
२—श्री नारायणदत्त तिवारी
३—श्री शिवप्रसाद नागर
४—श्री राजेन्द्र सिंह
५—श्री ब्रजभूषण शरण
६—श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी
७—श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी
८—श्री महीलाल
९—श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव

विधान सभा सचिवालय

१—श्री देवकीनन्दन मित्थल, एम० ए०, एल-एल० बी०, सचिव, विधान सभा ।

सरकारी सचिवालय

१—श्री विपिन बिहारी लाल, आई० सी० एस०, वित्त आयुक्त तथा सचिव ।
२—श्री हरीशचन्द्र सक्सेना, सेल्स . क्स आयुक्त ।
३—श्री लक्ष्मी प्रसाद निगम, संयुक्त सचिव, न्याय शाखा तथा संयुक्त विधि परामर्शदाता ।

खंड २ से सम्बन्धित प्रस्ताव कि खंड २ में प्रस्तावित धारा ३ व ४ को निकालने के संबंध में विभिन्न माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये और अंतिम निर्णय यह हुआ कि इसको ऐस ही रहने दिया जाये।

खंड २ से सम्बन्धित संशोधन कि "खंड २ में प्रस्तावित धारा २ की उपधारा (६) की पंक्ति १ व २ के निम्नलिखित शब्द निकाल दिये जायं, खंड 'झ' में द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिया जाय तथा" पर विभिन्न माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्ति किये और वाद-विवाद के पश्चात् यह निर्णय हुआ कि इस प्रस्तावित संशोधन को अस्वीकार किया जाये।

खंड ३ से सम्बन्धित संशोधन प्रस्ताव पर कि खंड ३ की उपधारा १ में शब्द "दो नये पैसे प्रति रुपये" के स्थान पर "एक नया पैसा प्रति रुपया" रख दिया जाये, विभिन्न माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये।

माननीय सभापति ने समिति को बताया तीन पाई एक पुराने पैसे के बराबर होती है जो कि नई मुद्रा प्रणाली के अनुसार दो नये पैसे होते हैं इसलिये इस खंड में वास्तविक रूप से कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है और यदि दो नये पैसे नहीं रक्खेंगे तो खरीदार से बेचने वाला दो नये पैसे के हिसाब से ही वसूल कर लेगा और वह बेचने वाले को एक प्रकार से अनुचित लाभ होगा। प्रस्तावित संशोधन अस्वीकृत हुआ। इस अवसर पर आगे के प्रस्तावों पर विचार करने के लिये समिति ने दूसरे दिन अर्थात् २५ फरवरी, १९५९ को सांयकाल ५ बजे अथवा सदन की बैठक के उपरान्त बैठने का निश्चय किया।

दिनांक २५ फरवरी, १९५९ को सांयकाल ५ बजे विधान वाचनालय में उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५९ पर नियुक्त प्रवर समिति की बैठक, माननीय सैयद अली जहीर, वित्त मंत्री के सभापतित्व में हुई, निम्नलिखित सदस्य तथा आफिसर उपस्थित थे---

१---श्री नारायणदत्त तिवारी
२---श्री रामस्वरूप वर्मा
३---श्री शिवप्रसाद नागर
४---श्री राजेन्द्र सिंह
५---श्री ब्रजभूषण शरण
६---श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी
७---श्री शिवसरन लाल
८---श्री महीलाल
९---श्री चन्द्रहास मिश्र
१०---श्रीमती चन्द्रावती

विधान सभा सचिवालय

१---श्री देवकी नन्दन मित्थल, सचिव, विधान सभा।

सरकारी सचिवालय

१---श्री बिपिन बिहारी लाल, आई० सी० एस०, वित्त आयुक्त तथा सचिव।
२---श्री हरीशचन्द्र सक्सेना, सेल्स टैक्स आयुक्त।
३---श्री लक्ष्मी प्रसाद निगम, संयुक्त सचिव, न्याय शाखा तथा संयुक्त विधि परामर्शदाता।

श्री ब्रजभूषण शरण ने समिति के समक्ष निम्नलिखित संशोधन उपस्थित किये---

१---खंड १ के उपखंड (२) के पश्चात् निम्नांकित रख दिया जाय---

"(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ (जिसे आगे 'मूल अधिनियम' कहा गया है) में धारा ४ द्वारा किये गये संशोधन इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पहिले के

किसी भी वर्ष के निमित्त कर निर्धारण के सम्बन्ध में भी लागू होंगे चाहे ऐसे कर निर्धारण किसी भी स्तर पर पूर्ण हो गये थे या पूर्ण हो गये हों अथवा नहीं"।

२---खंड २ में शब्द खंड "उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० (जिसे आगे 'मूल अधिनियम' कहा गया है)" के स्थान पर शब्द "मूल अधिनियम" रख दिये जायं।

समिति ने उक्त संशोधनों से सहमति प्रकट की और स्वीकार किया। संशोधित खंड १ व खंड २ स्वीकार हुये।

खंड ३ से संबंधित प्रस्तावित संशोधन क्रम-संख्या ३, ४, ४-क, ५ व ६ पर विभिन्न माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये और समिति ने इन संशोधनों को अस्वीकार किया।

खंड ३ स्वीकार हुआ।

खंड ४ से सम्बन्धित प्रस्तावित संशोधन क्रम-संख्या ७, ८ व ९ को समिति ने अस्वीकार किया। खंड ४ स्वीकार हुआ।

खंड ५ से सम्बन्धित प्रस्तावित संशोधन क्रम-संख्या १० पर विभिन्न माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये और अन्त में समिति ने इस संशोधन को भी अस्वीकार किया।

खंड ५ स्वीकार हुआ।

खंड ६ से सम्बन्धित संशोधन क्रम-संख्या ११ को समिति ने स्वीकार किया जो इस प्रकार है---

खंड ६ में प्रस्तावित धारा (१-क) की पंक्ति २ में शब्द "के पूर्व" तथा शब्द "व्यापारी" के बीच में शब्द "या उसके साथ" रख दिये जायं। संशोधित खंड ६ स्वीकार हुआ।

खंड ७ स्वीकार हुआ।

खंड ८ से संबंधित प्रस्तावित संशोधन क्रम-संख्या १२, १३ व १३-क पर विभिन्न माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये और समिति ने इन संशोधनों को अस्वीकृत किया।

खंड ८ स्वीकृत हुआ।

इस अवसर पर ६ बजकर ३० मिनट पर समिति की कार्यवाही अगले दिन २६ फरवरी, १९५९ को प्रातःकाल ९ बजकर ३० मिनट तक के लिये स्थगित की गयी।

दिनांक २६ फरवरी, १९५९ को प्रातःकाल ९ बजकर ३० मिनट पर विधान वाचनालय में उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५९ पर नियुक्त प्रवर समिति की बैठक माननीय सैयद अली जहीर, वित्त मंत्री के सभापतित्व में हुयी।

निम्नलिखित सदस्य तथा अधिकारी उपस्थित थे---

१---श्री नारायणदत्त तिवारी,
२---श्री रामस्वरूप वर्मा,
३---श्री ब्रजभूषण शरण,
४---श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी,
५---श्री शिवसरन लाल,
६---श्री जगदीश शरण अग्रवाल
७---श्री अब्दुल लतीफ नोमानी,
८---श्री महीलाल,
९---श्री चन्द्रहास मिश्र,
१०---श्रीमती चन्द्रावती।

विधान सभा सचिवालय

१---श्री देवकी नन्दन मित्थल, सचिव, विधान सभा।

सरकारी सचिवालय

१---श्री विपिन बिहारी लाल, आई० सी० एस०, वित्त आयुक्त तथा सचिव।
२---श्री हरीशचन्द्र सक्सेना, सेल्स टैक्स आयुक्त।
३---श्री लक्ष्मी प्रसाद निगम, संयुक्त सचिव न्याय-शाखा तथा संयुक्त सचिव विधि, परामर्शदाता।

खंड ६ से सम्बन्धित प्रस्तावित संशोधन क्रम-संख्या १४, १५, १६, १७ व १८ पर विभिन्न माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये। समिति ने प्रस्तावित संशोधन क्रम-संख्या १४ को अस्वीकृत किया। शेष संशोधनों पर श्री जगदीश शरण अग्रवाल ने जोर नहीं दिया। खंड ६ स्वीकृत हुआ।

खंड १० से सम्बन्धित प्रस्तावित संशोधन क्रम-संख्या १६ पर वाद-विवाद हुआ। श्री ब्रजभूषण शरण ने निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किया। खंड १० के अन्त में यह प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय:

"Provided no stay shall be granted in any case unless Judge Appeals is of opinion that the tax has been imposed wrongly and after hearing both the parties."

उक्त संशोधन पर विचार समाप्त होने के पूर्व ही समिति की बैठक १० बजकर ४५ मिनट पर अगले दिन (२७ फरवरी, १६५६) के सांयकाल ५ बजे तक के लिये स्थगित हो गयी।

दिनांक २७ फरवरी, १६५६ को सांयकाल ५ बजे विधान वाचनालय में उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १६५६ पर नियुक्त प्रवर समिति की बैठक माननीय सैयद अली जहीर, वित्त मंत्री के सभापतित्व में हुई। निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे--

१--श्री सैयद अली जहीर, वित्त मंत्री	.. ..	सभापति
२--श्री नारायणदत्त तिवारी ..	.. ..	सदस्य
३--श्री रामस्वरूप वर्मा ..	.. ..	,,
४--श्री ब्रजभूषण शरण ..	.. ..	,,
५--श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी ..	.. ..	,,
६--श्री जगदीश शरण अग्रवाल	.. ..	,,
७--श्री महीलाल ..	.. ..	,,
८--श्री चन्द्रहास मिश्र ..	.. ..	,,
६--श्रीमती चन्द्रावती ..	.. ..	,,

विधान सभा सचिवालय

१--श्री देवकी नन्दन मित्थल, सचिव, विधान सभा।

सरकारी सचिवालय

१--श्री भरत नारायण, उपसचिव, वित्त विभाग।

२--श्री हरिश्चन्द्र सक्सेना, सेल्स टैक्स आयुक्त।

३--श्री लक्ष्मी प्रसाद निगम, संयुक्त सचिव, न्याय शाखा तथा संयुक्त विधि परामर्शदाता।

श्री नारायणदत्त तिवारी माननीय सभापति की अनुमति लेकर चले गये, क्योंकि उन्हें किसी अन्य समिति में भाग लेना था।

खंड १० में प्रस्तावित निम्नलिखित संशोधन के सम्बन्ध में जिस पर २६ फरवरी, १६५६ को पूर्ण विचार न हो सका था उस पर पुनः विचार हुआ।

खंड १० के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:

"Provided no stay shall be granted in any case unless Judge Appeals is of opinion that the tax has been imposed wrongly and after hearing both the parties."

कुछ और विचार के उपरान्त संशोधन अस्वीकृत हुआ।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल ने निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किया--

खंड १० की पंक्ति के शब्द "रख दिया जाय" के पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय--

"तथा मूल धारा के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक वाक्य के अन्त में शब्द परन्तु उसको अपने निर्णय तक लगाये गये टैक्स में से विवाद-ग्रस्त टैक्स को ऐसे प्रतिबन्धकों के साथ जिनको वह उचित समझे रोकने का अधिकार होगा।"

विवाद के उपरान्त उक्त संशोधन पर श्री जगदीश शरण अग्रवाल ने जोर नहीं दिया।

समिति ने निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया--

खंड १० में शब्द तथा अंक "धारा ४ की उपधारा (१) के खंड (ख) के अधीन मुक्ति शुल्क (exemption fee) निर्दिष्ट करने की आज्ञा अथवा" के स्थान पर निम्नांकित रख दिया जाय :

"धारा ४ की उपधारा (१) के खंड (ख) के अधीन कर-मुक्ति प्रमाण-पत्र के लिये दिये गये किसी प्रार्थना-पत्र को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने की आज्ञा अथवा धारा ३० के अन्तर्गत दिये गये प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार करने की आज्ञा अथवा"

संशोधित खंड १० स्वीकार किया गया।

खंड ११ स्वीकृत हुआ।

खंड १२ में प्रस्तावित संशोधनों से समिति ने असहमति प्रकट की।

खंड १२ स्वीकार किया गया।

खंड १३, श्री जगदीश शरण अग्रवाल ने समिति के समक्ष प्रस्ताव रखा कि मूल अधिनियम की धारा १४ (१) के (क), (ख), (ग) (१) और (ङ) के प्रारम्भ में शब्द "उपयुक्त कारण के बिना" (without reasonable cause) जोड़ दिये जायं। श्री जगदीश शरण अग्रवाल ने अपने अन्य प्रस्तावित संशोधनों पर कोई जोर नहीं डाला। समिति ने उक्त संशोधन को स्वीकार कर लिया।

संशोधित खंड १३ स्वीकार हुआ।

खंड १४ में प्रस्तावित संशोधन प्रस्तुत नहीं किये गये और खंड १४ स्वीकृत हुआ।

खंड १५, १६ और १७ स्वीकृत हुये।

खंड १८ भी जैसा कि बिल में था स्वीकृत हुआ।

श्री रामस्वरूप वर्मा ने सुझाव दिया कि खंड ५ के बाद एक नया खंड ५-ए निम्नलिखित रूप में जोड़ दिया जाय:--

"No tax shall be payable on the sale of foodgrains."

समिति ने यह निर्णय किया कि यह विधेयक की परिधि के बाहर है।

समिति की कार्यवाही ६ बजकर ३० मिनट पर इस निश्चय के उपरान्त समाप्त हो गयी कि प्रतिवेदन स्वीकार करने के लिये समिति की बैठक अगले दिन सायंकाल ५ बजे की जाय।

दिनांक २८ फरवरी, १९५९ को सायंकाल ५ बजे विधान वाचनालय में उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५९ पर नियुक्त प्रवर समिति की बैठक माननीय सैयद अली जहीर, वित्त मंत्री के सभापतित्व में हुई।

निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे--

१--श्री सैयद अली जहीर, वित्त मंत्री, सभापति
२--श्री जगदीश शरण अग्रवाल सदस्य
३--श्री रामस्वरूप वर्मा ,,
४--श्री ब्रजभूषण शरण ,,
५--श्री महीलाल ,,
६--श्रीमती चन्द्रावती ,,
७--श्री पब्बर राम ,,
८--श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी ,,

९--श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी सदस्य

१०--श्री चन्द्रहास मिश्र ,,

विधान सभा सचिवालय

१--श्री देवकी नन्दन मित्थल, सचिव, विधान सभा ।

सरकारी सचिवालय

१--श्री लक्ष्मी प्रसाद निगम, संयुक्त विधि परामर्शदाता ।

२--श्री भरत नारायण, उप-सचिव, वित्त विभाग ।

३--श्री हरिशचन्द्र सक्सेना, सेल्स टैक्स आयुक्त ।

समिति ने खंड १३ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा १४ (१) (ङ) पर पुन: विचार किया और यह निश्चय किया कि दिनांक २७ फरवरी, ५९ की बैठक में इस क्लाज में जो शब्द "उपयुक्त कारण के बिना" जोड़े गये थे उन्हें जोड़ना उचित न होगा, अत: इन शब्दों को निकाल दिया जाय ।

उक्त शब्दों को निकाल दिये जाने के कारण १४ (१) (ङ) जैसा कि बिल में था, स्वीकृत हुआ ।

तत्पश्चात् समिति ने अपनी रिपोर्ट पर विचार किया और स्वीकार किया । समिति की ओर से सभापति ने रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किये ।

श्री रामस्वरूप वर्मा ने समिति के समक्ष अपनी विमति टिप्पणी पढ़कर सुनाई जिस पर समिति ने यह निश्चय किया कि इस विमति टिप्पणी को माननीय अध्यक्ष के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय, और वे इसके सम्बन्ध में यह निर्णय करें कि आया यह विमति टिप्पणी ठीक है अथवा नहीं और उसे छापने के विषय में चाहे इसी रूप में अथवा किसी संशोधित रूप में, उनका निर्णय ले लिया जाय ।

तदुपरान्त समिति की कार्यवाही ५ बजकर ५० मिनट पर समाप्त हुई ।

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव ।

पी० एस० यू० पी०--ए० पी०--३६८ एल० ए०--१९५९--८४५ ।